खण्ड-345, अंक-8
मंगलवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(9 सितम्बर, 1980 ई0)

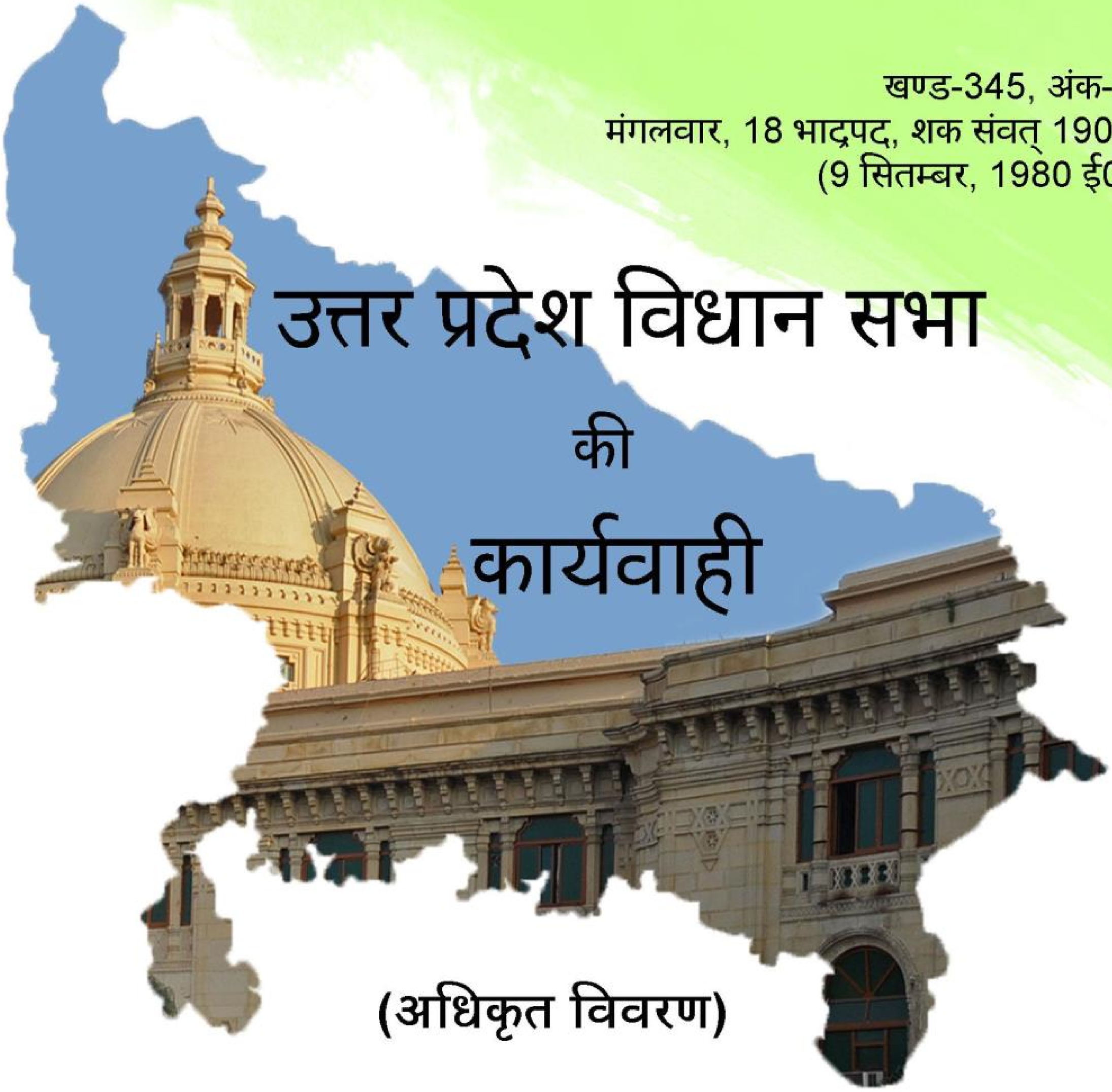

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	773–777
प्रश्नोत्तर	..	779–825
जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले आगरा निवासी श्री अशोक जन की जान को खतरा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	825–826
श्री चन्द्रिका पासी (हरिजन), निवासी ग्राम चमरतलिया, थाना गुंसाईगंज जिला लखनऊ की पुलिस पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	826
फैजाबाद जनपद की अकबरपुर तहसील के कतिपय ग्रामों में अतिवृष्टि से क्षति तथा अपर्याप्त सहायता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	826–827
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के छात्रों के दो गुटों में संघर्ष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	827
सुल्तानपुर जनपद में भयानक बाढ़ से तबाही की स्थिति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	827–828
अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	828–829
पुलिस अधीक्षक बदायूं, श्री जी0 एल0 शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	829–833
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	834
अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	..	834–849
1980–81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या 85—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 119—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	..	849–852
अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में वक्तव्य दिए जाने का निर्देश	..	852
1980–81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग तथा अनुदान संख्या 96—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	..	852–877
कतिपय निकायों तथा समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	..	877–878
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	878
एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (मिल नं0 2), कानपुर में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	879–882
नत्थियां	..	883–892

बिहार विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—350

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 प्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)

गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोडा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेत राम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिल राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)

बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पांडेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मंजूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री (बस्ती) (उर्फ शबरोज़)
मसरूर जाफरी, श्री (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मांडवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पांडेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)

राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कल्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सुरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)

सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट :—श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 9 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

इलाहाबाद में हिन्दू मुस्लिम दंगा

*1--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महानगर के अन्तर्गत जून, 1980 के प्रथम सप्ताह में हिन्दू मुस्लिम दंगे का कारण क्या था ? दंगे में कितने लोग घायल हुए, कितने आदमियों को जेल भेजा गया तथा कितना जन व धन की क्षति हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-6-80 को प्रातः लगभग 9 बज नक्खासकोना, थाना अतरसुइया (इलाहाबाद) में स्थित एक सार्वजनिक नल से पानी लेने के प्रश्न पर श्री अशोक पुत्र श्री सुखदेव तथा श्री हमीदउल्ला उर्फ मुन्ने पुत्र श्री लल्लन के बीच हुए आकस्मिक झगड़े ने दंगे का रूप धारण कर लिया । घटना में 15 सरकारी सेवकों सहित कुल 29 व्यक्ति घायल हुए तथा 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । गिरफ्तार किए गए 163 व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों को जेल भेजा गया । लगभग 30 हजार रुपये की क्षति के दावे प्रस्तुत किए गए थे जिनकी जांच की जा रही है ।

श्री हरिवंश सहाय--

जिस सार्वजनिक नल का जिक्र किया गया है, उससे अशोक और हमीद उल्ला के घर के बीच की दूरी क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय--

जिन दो लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो लोग मरे हैं, उनके परिवार को मुआवजा दिया गया है । श्री मोहम्मद नफीस पुत्र मोहम्मद इद्रीस को 1,500 रुपये 8 जून को तथा 35 सौ रुपये 11 जून को दिये गये थे । हबीबुल्ला पुत्र लल्लन को 8 सौ रुपये और 35 सौ रुपये 11 जून को दिये गये । इसके अलावा घायलों को भी दिया गया जिनकी सूची लम्बी है ।

श्री फखरे आलम--

क्या मंत्री जी यह मानते हैं कि यह हिन्दू-मुस्लिम दंगा था ? मेरी सूचना के अनुसार यह हिन्दू मुस्लिम दंगा नहीं था बल्कि पी0 ए0 सी0 ने गोलियां चलायीं....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री फखरे आलम--

मेरा प्रश्न यह है कि और लोग जो मारे गये हैं उनको कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैंने कहीं नहीं कहा था कि यह साम्प्रदायिक दंगा था । मैंने कहा कि 2 व्यक्तियों के झगड़े ने दंगे का रूप ले लिया । इसके अतिरिक्त और जो लोग मरे हैं, उनको साढ़े सात सौ, साढ़े सात सौ रुपया दिया गया है । आबिद अली पुत्र कल्लू, मोहीबउल्ला पुत्र शमशुद्दीन, श्री मुन्ना लाल पुत्र गंगा प्रसाद, श्री राधे श्याम मिश्र कान्स्टेबिल, श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी ओंकार नाथ आदि को दिया गया है ।

श्री रियासत हुसन--

क्या मंत्री जी अपने कागजात को देखकर बतायेंगे कि अशोक और हमीद उल्ला जिन दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, एफ0 आई0 आर आदि में उनकी सकूनत लिखी होगी । वे दोनों मुहल्ले कौन से हैं और उनकी दूरी क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मोहल्लों के नाम तो मुझे मालूम हैं लेकिन फासलों का अंदाज लगाना मुश्किल है । वैसे अशोक तथा जो दूसरा नाम है हमीद उल्ला वह 126 नम्बर, डुंढीपुर में रहते हैं और यह 146 नम्बर डूंढीपुर में रहते हैं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह लोग जो मर गये हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने पर भी शासन विचार कर रहा है, जिससे कि उनकी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था हो जाये ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह तो मान्यता बड़ी कठिन है । आर्थिक सहायता तो हम देते हैं । नौकरी उपलब्ध हो, वह अर्हता रखता हो और माननीय विधायक संस्तुति करें तो सभी कुछ संभव है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना 6-6-80 को प्रातः 9 बजे की बतायी जाती है । सार्वजनिक नल से पानी लेने की बात पर तत्काल घटनास्थल पर लोग इकट्ठा हो गये या बीच बचाव होने के बाद योजना-बद्ध रूप से घटना घटी ? घटना कैसे घटी, इस विषय को स्पष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जो सूचना यहां है वह यह है कि घटना 9 बजे हुई। धीरे-धीरे झगड़ा बढ़ गया। पुलिस ने बीच बचाव का प्रयत्न किया। ईंट पत्थर चलने लगे। कंट्रोल स्टेशन को सूचना मिली। थानाध्यक्ष वहां पर पहुंचा। बाद में पी0 ए0सी0 ने भी प्रयास किया। बीच बचाव में कांस्टेबुल के पेट में चोट आई, झगड़ा बढ़ गया।

[दिनांक 9 सितम्बर, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों का सेलेक्शन ग्रेड

*1-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक शिक्षा) बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक स्तर तथा एल0 टी0 स्तर के कला अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने में प्रशिक्षित होने का बन्धन न होने के बाद भी सी0 टी0 ग्रेड के कला अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने में प्रशिक्षित होने का बन्धन है ? यदि हां, तो इस भेद का क्या कारण है ? क्या सरकार इस भेद को समाप्त करने की कृपा करेगी ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी)--

जी नहीं, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड प्रशिक्षित होने के प्रतिबन्ध के आधार पर दिया गया है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न को देखने की कृपा करें। इसके उत्तरार्ध का उत्तर अगर मिल जाता, तो मैं पूरक प्रश्न न करता। मेरी इस सूचना को सही मानते हुए कि लेक्चरर ग्रेड में, एल0 टी0 ग्रेड में, चाहे एल0 टी0 ट्रेंड हों, चाहे बी0 टी0 ट्रेन्ड हो चाहे लैन्ग्वेज अन्ट्रेन्ड हों सी0 टी0 में सी0 टी0 ट्रेन्ड नहीं हैं। अनट्रेंड होने पर सी0 टी0 ग्रेड मिल जाता, है तो इस विरोधाभास का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्सी--

मान्यवर, एल0 टी0 ग्रेड के जो टीचर्स हैं, जिनको एल0 टी0 ग्रेड का वेतन मिलता है उनके लिए भी आवश्यक है सेलेक्शन ग्रेड के समय प्रशिक्षित होना।

बी0 टी0 हो या एल0 टी0 जो भी कला अध्यापकों के बारे में आप पूंछ रहे हैं जिन कला अध्यापकों को एल0 टी0 ग्रेड मिल रहा है, सेलेक्शन ग्रेड की बात आती है, तो प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने यह पूंछा है। इस पर जरा ध्यान दे लें। आप स्वयं प्रिन्सिपल रही हैं, बात को समझ जायेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सी0 टी0 ट्रेनिंग

या बी0 टी0 सी0 है, कोई ट्रेनिंग है, तो मान लिया जाये । सी0 टी0 ट्रेनिंग करे यह बार क्यों कर दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सेलेक्शन ग्रेड का जो जी0 ओ0 8486-153016/76, लखनऊ, 3 नवम्बर, 1978 है, उसमें यह है कि जो इन्टर सी0 टी0 प्रशिक्षित हो उनको 15 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद सेलेक्शन ग्रेड मिल सकता है । जो स्नातक हों और सी0 टी0 हों या टी0 सी0 हों, उनको 10 वर्ष के बाद यह ग्रेड मिल सकता है । इसी प्रकार एक जी0 ओ0 और है 8485-5016/76, लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 1978 उसमें भी ऐसे अध्यापक-अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के बारे में है । तो चाहे कला के अध्यापक हों या और किसी सब्जेक्ट के हों, एल0 टी0 ग्रेड तथा सी0 टी0 ग्रेड पाने वाले अध्यापकों के लिये प्रशिक्षित होना आवश्यक है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश में इंटर-मीडियेट कालेजों में कला पढ़ाने के लिये कोई पोस्ट ग्रेजुयेट कला अध्यापक रखे गये हैं या एल0 टी0 ग्रेड के लोग को प्रोमोट करके इसको पढ़ाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका अलग से प्रश्न है ।

कानपुर जिले के ग्राम दोहरापुर के हरिजनों को मारे-पीटे जाने की घटना

*2--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 26 मई, 1980 को ग्राम दोहरपुर, थाना सिकन्द्रा, जिला कानपुर में सात हरिजनों को बन्दूक के छर्रों से घायल करने वाले और उनके नौ घरों को आग लगा कर फूंकने वाले वहां के ब्राह्मणों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उनके घर जलने से विस्थापित हरिजनों को सरकार ने क्या सहायता दी ? क्या ऐसे लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाने की कार्यवाही सरकार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना से सम्बन्धित 18 अभियुक्तों का चालान धारा 147/148/323/436/307/427 भारतीय दण्ड विधान व 3/4 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में किया गया है । घटना से सम्बन्धित सभी शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेन्स निलम्बित कर दिये गये हैं । धारा 107/116 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही भी की जा चुकी है ।

घटना से प्रभावित सभी 9 हरिजन परिवारों को ग्यारह सौ रु0 प्रति परिवार की दर से आर्थिक सहायता दी गई है ।

ऐसे मामलों में सामूहिक जुर्माना लगाये जाने के प्रश्न पर विस्तृत रूप से अलग से परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से शस्त्र धारकों के शस्त्र निलंबित करके जमा कराये गये हैं ? मेरी सूचना है कि किसी का शस्त्र निलंबित नहीं किया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

लिस्ट उपलब्ध नहीं है । इस चीज को दिखा लिया जायगा कि अगर किसी का शस्त्र निलम्बित नहीं किया गया है, तो निलम्बित कर दिया जाय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा नीति का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

राम स्वरूप वर्मा जी को पूछ लेने दीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, प्रश्न को देखें, इसमें है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, तो यह जाति विद्वेषक प्रश्न है, क्या इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

यह प्रश्न ठीक है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठें ।

श्री त्रिवेणी--

मान्यवर, जातिगत सवाल नहीं होने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । माननीय राम स्वरूप वर्मा जी आप जो प्रश्न करना चाहते हैं करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी नियम के सम्बन्ध में आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जब चमार को चमार कहा जा सकता है । हरिजन को हरिजन कहा जा सकता है, तो ब्राह्मण शब्द आ गया है और ब्राह्मणों पर कत्ल होने का आरोप आ गया तो क्यों तिलमिला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री ओझा जी, आप बैठें । श्री राम स्वरूप वर्मा को प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि धारा 107/116 की कार्यवाही दुतरफा की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

दोनों पक्षों के खिलाफ की गयी है लेकिन जो नामजद हैं उनमें से एक व्यक्ति विशेष को जरूर छोड़ा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो प्रश्न श्री वर्मा ने पूछा है उसमें क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्राह्मणों के विरुद्ध क्या यह संसदीय परम्परा है कि जाति विशेष को इंगित किया जाय ? मेरी मान्यता है कि वह शर्मा नहीं वर्मा थे, तो क्या जाति विशेष के ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं ?

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि इस प्रकार से प्रश्नों की क्या परम्परा चलेगी ? यदि हां, तो जाति विहीन समाज में क्या होगा ?

(व्यवधान)

इसलिये मैं स्पष्ट व्यवस्था आपकी चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न तर्क संगत है, सदन की परम्पराओं के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो ऐसे प्रश्न की इजाजत क्यों दी गयी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा, आप बैठ जायं । कृपया आप सभी लोग बैठ जायं । कृपया शांत रहें और मुझे सुनने की कृपा करें ।

यह सदन है, जैसा आपने कहा है उसमें, सदन के गौरव और गरिमा का ध्यान रखें। एक प्रश्न कोई ऐसा आ गया जिसमें ऐसा लगता है कि एक तरह से उत्तेजना उत्पन्न हो गई। यह प्रश्न स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था। प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता (तालियां) अब इस प्रश्न पर काफी विवेचना हो चुकी

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपने व्यवस्था भी दे दी।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय विद्युत मंत्री ...

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

(शोर)

आप बैठ जायं।

माननीय राम आसरे वर्मा जी, आप कृपया बैठ जायं

(व्यवधान)

प्रश्न नं0 3 माननीय विद्युत् मंत्री. . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं...।

श्री अध्यक्ष--

मैं अब इस पर किसी अनुपूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता। कृपया बैठ जायं। यह नहीं हो सकता। वह प्रश्न खत्म हो गया। मैं प्रश्न सं0 3 पुकार चुका हूं।

चमोली जिले की विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना

*3--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में निर्मित होने वाली विष्णु प्रयाग योजना से कितनी मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है और कब से इस योजना से विद्युत् मिलने का लक्ष्य रखा गया है तथा क्या इस योजना से सिंचाई के लिए भी पानी संचित करने की योजना है? यदि हां, तो कितनी क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस योजना से मिलने की सम्भावना है?

श्री ब्रह्म दत्त--

जिला चमोली में निर्मित होने वाली विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना से 262 मेगावाट विद्युत् शक्ति के उत्पादन का लक्ष्य है। इस परियोजना के वर्ष

1988-89 में चालू होने की सम्भावना है । इस परियोजना से सिंचाई के लिये पानी संचित करने का प्राविधान नहीं है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विष्णु प्रयाग परियोजना कब से आरम्भ की गई थी और इसके पूरे हो जाने का समय पहले क्या निर्धारित किया गया था और इस समय इसकी क्या प्रगति है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, योजना ...

श्री मुईद अहमद--

[× × ×]

एक सदस्य--

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री ब्रह्म दत्त--

इस योजना का कार्य 1978 में शुरू किया गया और मैंने निवेदन किया 1988-89 तक इसकी पूर्ण होने की सम्भावना है । पहले इसका क्या लक्ष्य था, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के लोगों की जो जमीनें इस योजना के लिये ले ली गयी हैं, उनको मुआवजा का रुपया दे दिया गया है कि नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायगा और उसमें कहां-कहां के लोगों को पुनर्स्थापित करने की सरकार की योजना है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह योजना बिल्कुल प्रारम्भिक चरण में है और अन्य योजनाओं के समान मुआवजा देने की व्यवस्था यथाशीघ्र की जा रही है । पुनर्स्थापित करने के लिये जमीन भी दी जायगी और उनके लिये नौकरी देने तथा अन्य विस्तृत कार्यक्रम की सूचना यथासमय दे दी जायगी ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

उनको सरकार किस स्थान पर बसाने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

कई क्षेत्र हम लोग उनके बसाने के लिये डेवलप कर रहे हैं जैसे देहरादून को डेवलप किया गया है जहां टेहरी के विस्थापित बसाये जा रहे हैं, और उनके लिये संतोषजनक व्यवस्था की जा रही है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जोशीमठ के नीचे से जो सड़क जा रही है वह बहुत संवेदनशील इलाका है और वहां भूस्खलन होता रहता है, जिससे जोशीमठ का अस्तित्व ही खतरे में है, तो क्या माननीय मंत्री उस सड़क का रास्ता बदलने को तैयार हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जब कोई योजना बनाई जाती है, तो पूरी जांच की जाती है और विशेषज्ञों की राय के मुताबिक वहां पूरा पालन किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा, कुल कितने लोग इस योजना के अन्तर्गत विस्थापित होंगे और उनको किन-किन स्थानों पर बसाया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

योजना बनाते समय इसके सभी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है । प्रश्न यह किया गया था कि कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और इस योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि सिंचित होगी । जहां तक लागत की बात है इसकी कुल लागत 10,451 लाख रुपया वर्ष 71 के मूल्यों पर आधारित है ।

विधान सभा क्षेत्र, भाटपार रानी जिला देवरिया के कतिपय मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में लिखायी गयी रिपोर्ट

*4--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 103, 104, 105 कठधरा तथा 98 भठवा पाण्डेय केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों ने कोई रपट थाने में लिखाया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? मुलजिमानों के खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र 103, 104, 105 कठधरा तथा 98 भठवा पाण्डेय केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों ने थाना बनकटा में दिनांक 31-5-80 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असलहों से लैस होकर मतदान केन्द्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डरा धमका कर जबरन वोट डालने आदि के सम्बन्ध में रिपोर्ट, लिखायी जिनके आधार पर क्रमशः अपराध संख्या 58, 58-ए, 58-बी एवं 59 कायम हुए । विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

थाने में जो रिपोर्ट लिखायी गयी है, वह क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

रिपोर्ट यह है कि मतदान के समय कुछ लोग असलहा ले कर आये और उन्होंने जबरन कुछ वोट डाले जिसकी संख्या दी हुई है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

उत्तर में बताया गया है कि इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है, तो किन-किन गवाहान के बयान लिये गये थे ? क्या मेरी जानकारी सही है कि सत्तारूढ़ दल के लोगों ने दबाव डाल कर पुलिस से फाइनल रिपोर्ट लगवा दी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जहां तक वोट का सवाल था और जितने वोट पड़े थे उनको कैंसिल कर दिया गया है । रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं था इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

फैजाबाद जिले के अमानीगंज-गुद्दीपुर मार्ग के निर्माण की माँग

*5--श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमानीगंज-गदुरही-ड्योढ़ी मार्ग अन्तर्गत विकास खंड खण्डासा, फैजाबाद निर्माण हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत थी ? यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य के प्रारम्भ न होने का क्या कारण है और उसे पूरा कराने में शासन को क्या कठिनाई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

अमानीगंज गदुरही ड्योढ़ी मार्ग के नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है । अमानीगंज गद्दीपुर मार्ग तीन कि0मी0 लम्बाई का जनपद फैजाबाद में सूखा ग्रस्त योजना 79-80 में स्वीकृत था । खाद्यान्न के अभाव म तथा भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण वर्ष 79-80 में इस कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

सी0 आई0 डी0 विभाग, लखनऊ के पुलिस निरीक्षकों का कार्यकाल

*6--श्री सुनील शास्त्री--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस इन्सपेक्टर जो लखनऊ जनपद के थाना इंचार्ज रह चुके हैं एवं पिछले आठ साल से सी0 आई0 डी0 में काम कर रहे हैं, को अन्यत्र स्थानान्तरण करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पिछले आठ वर्ष अर्थात दिनांक 30-6-72 या उसके पूर्व से अपराध अनुसंधान विभाग में कोई ऐसा पुलिस निरीक्षक नियुक्त नहीं है, जो लखनऊ जनपद में थाना इन्चार्ज नियुक्त रह चुका हों । अतः स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुनील शास्त्री--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि शासन ने सी0 आई0 डी0 विभाग में पुलिस निरीक्षकों की पोस्टिंग के सम्बन्ध में कोई अवधि निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

श्रीमन्, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में तो अवधि है ।

श्री राम औतार दीक्षित—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निरीक्षकों के सम्बन्ध में भी कोई अवधि है या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त —

नियमानुसार है । जो साधारण नियम सब पर लागू होते हैं, वही है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को सत्य मानकर कि कोई पुलिस निरीक्षक एक बार भी सी0 आई0 डी0 या सतर्कता विभाग में नहीं गया और कोई तीन-तीन और चार-चार बार तक गये हैं तथा कोई 4-4 साल से वहीं पड़े हुये हैं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिससे सबके साथ समानता का व्यवहार किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो जनरल क्वेश्चन हो गया । यह सवाल तो लखनऊ जनपद के बारे में था ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

कोई आधार तो होना चाहिए ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र —

मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस का सी0 आई0 डी0 से सिविल और सिविल से सी0 आई0 डी0 में तबादला करना किन नीतियों के अन्तर्गत आता है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी आप नियम, कायदा और आधार पूंछ रहे हैं कि कैसे होता है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने माननीय राम आसरे वर्मा को बुलाया है, तो पहले नियमानुसार उनको पूछ लेने दीजिये और उनका जवाब आने पर आपको मौका दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि हर पुलिस अधिकारी को दो वर्ष तक सी0 आई0 डी0 में रहने के लिये प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या अभी हाल ही में हरदोई के एक इन्सपेक्टर को 3 साल सी0 आई0 डी0 में रख दिया गया था और उन्हें पुनः वहां भेजा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष —

यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को लेकर बहुत से लोगों की सिफारिस पहुंच जाती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन सी सरकार के पास ऐसी नीति है, जिससे आप सी० आई० डी० से सिविल में और सिविल से सी० आई० डी० में पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त---

जहां तक नीति का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं, वे ज्यादा ज्यादा जानते हैं लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी की सिफारिश पर किसी को वहां से हटा कर दूसरी जगह भेज दूं । मैं आभारी रहूंगा यदि इस तरह की सिफारिशें न हों, तो मेरा काम चलता रहेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, जवाब नहीं आया । मैंने पूछा कि कौन सी नीति आपके पास स्पष्ट है, जिसके द्वारा आप उनका तबादला सी० आई० डी० से सिविल में और सिविल से सी० आई० डी० में करते हैं ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री काशीनाथ मिश्र ---

श्रीमन्, उत्तर दिलवाया जाय ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी सब-इंस्पेक्टर एक जिले में 8 साल से ज्यादा तैनात नहीं रहेगा ?

श्री अध्यक्ष---

इसके लिए आप अलग से प्रश्न करें ।

श्री प्रियदर्शी जैतली---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी ने काशीनाथ जी को उनके प्रश्न के उत्तर में कहा कि आपको सदन में रहने का ज्यादा तजुर्बा है । लेकिन काशी नाथ जी को सदन में रहने का ज्यादा तजुर्बा है, आपको सरकार के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है सदन से सम्बन्धित नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

इसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । सी० आई० डी०, विजिलेंस, पी० ए० सी० और सिविल पुलिस का आपस में तबादला होता रहता है, तो क्या इन

तबादलों के लिए कोई नीति है ? यदि है, तो उसे सदन में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त --

नीति सम्बन्धी बात नहीं है, नियम इसका होता है, नियमों की जानकारी माननीय सदस्यों को होती है ।

श्री महेन्द्र कुमार, मोहम्मद अली रोड, मुरादाबाद को मारे पीटे जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*7--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री जटाशंकर सिंह तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र कुमार, निवासी मोहम्मद अली रोड, मुरादाबाद द्वारा जिलाधिकारी, मुरादाबाद को लिखे गये शिकायती-पत्र की कोई प्रतिलिपि दिनांक 15 जून, 1980 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें (मुख्य मन्त्री को) मिली जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि कोतवाली के भीतर हथकड़ी लगी दशा में उन्हें एक पुलिस दरोगा ने बुरी तरह पीटा और घायल कर दिया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री ब्रह्म दत्त --

ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे क्योंकि जो उत्तर दिया गया है, वह अस्पष्ट है, क्या यह चीज स्पष्ट है कि कोई पत्र उनको नहीं मिला या फिर कनफर्म करके उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त --

यह प्रश्न है कि कोई प्रतिलिपि दिनांक 15 जून को अथवा उसके आसपास मुख्य मंत्री जी को मिली, जिसमें शिकायत की गई थी, तो मुख्य मंत्री कार्यालय में यह प्रतिलिपि प्राप्त होना उपलब्ध नहीं है ।

श्री जटाशंकर सिंह --

मान्यवर, वह पत्र जो भेजा गया उसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है और यह पत्र-मुख्य मंत्री जी को भेजा गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को जो पत्र भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, इसकी जांच कराकर इसके अन्दर जो दुर्व्यवहार की बात की गई है, उसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह पत्र मुख्य मंत्री जी को नहीं प्राप्त हुआ, आप भिजवा दें, आप जांच कराना पसंद नहीं करेंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मेरे पास उसकी प्रतिलिपि मौजूद है, रजिस्टर्ड पत्र है ।

श्री अध्यक्ष —

उन्होंने कहा कि उनके पास पत्र नहीं है ।

(प्रश्न संख्या 9 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मंत्री जी ने कहा कि मुझे पत्र नहीं मिला, तो क्या हमारे पत्रों को सेंसर किया जाता है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष —

उत्तर आ गया है, अब आप समय बरबाद न करें प्रश्नों का समय समाप्त हो जाएगा । मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए ।

श्री जटाशंकर सिंह—

स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि पत्र प्राप्त नहीं हुआ । इसमें कहा गया है कि पत्र का प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

कह दिया है कि प्रतीत नहीं होता ।

श्री जटाशंकर सिंह—

इसका उत्तर तो श्रीमन्, दिलवा दें ।

एक सदस्य—

क्या पत्र को सेन्सर कर लिया गया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

इसका उत्तर आ चुका है कि पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा प्रश्न बिलकुल स्पष्ट था, उसका उत्तर अभी तक नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष —

अब आप बैठिए ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई भी शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात इस पत्र के लिए वह अभी कन्फर्म नहीं हैं ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

आपने आदेश दिया था, तो फिर यह लोग प्रश्न क्यों उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष —

अब कुछ लिखा नहीं जाएगा । पत्र की बात का उन्होंने दे दिया है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

तो क्या आप इसके उत्तर से सन्तुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष --

जो उत्तर दिया गया है, मैं उससे सन्तुष्ट हूं....

(व्यवधान)

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

[कई विभागों से सम्बन्धित—निरस्त ।]

*9—श्री शिव मंगल सिंह—

[4 थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड का विकेन्द्रीकरण

*10—श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासन उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड को विकेन्द्रित करने पर विचार कर रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हां । कार्य विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत सन् 1972 एवं 1978 में परिषद के तो उप कार्यालय क्रमशः मेरठ एवं सारनाथ-वाराणसी में खोले जा चुके हैं और उन्हें अधिकाधिक परीक्षा कार्य सौंपने की व्यवस्था की जा रही है । भविष्य में और उप कार्यालय स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सिद्धांत रूप में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विकेन्द्रीकरण की नीति कब निश्चित की गई है ? और सन् 1972 से 1978 तक 6 वर्ष लगे आपको एक उप कार्यालय खोलने में, तो अन्य जो आप स्थापित करने जा रही हैं, वह किन-किन स्थानों पर होंगे और इनको खोलने में आपको कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लगेंगी ?

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

परीक्षार्थियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही थी और इन सबके प्रबन्ध को सुचारू रूप से चलाना था, इस बात पर विचार करने के लिए परिषद ने विकेन्द्रीकरण करने पर विचार किया और इस सम्बन्ध में उन्होंने 64 में ही एक समिति का श्री राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठन किया था और सन् 78 में भी इस पर गौर करने के लिए श्री हरीप्रसाद शाही की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसने कहा कि विकेन्द्रीकरण करने के लिए और भी उप कार्यालय स्थापित किए जाएं, तो पहले मेरठ में खोला गया, फिर 78 में वाराणसी में इसके अन्तर्गत कार्यालय स्थापित किया गया। लखनऊ और बरेली में और भी केन्द्र के उप कार्यालय खोलने की बात शासन के विचाराधीन है।

श्री पंचानन—

माननीय मंत्री ने शाही कमेटी का जिक्र किया। गोरखपुर में कार्यालय खोलने के लिए वर्ष 1978 में एक भवन भी लिया गया, तो बवजूद इसके और बावजूद समिति की सिफारिश के भी वहां पर कार्यालय न खोलकर बनारस में खोलने के क्या कारण है?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, गोरखपुर में एक कार्यालय खोलने का पहले निश्चय हुआ था लेकिन बनारस के शिक्षा मंत्री होने के कारण वहाँ कार्यालय न खुलकर बनारस में खोला गया और अब माननीय शिक्षा मंत्री लखनऊ की हैं इसलिए उन्होंने लखनऊ में कार्यालय खोलने का निश्चय कर लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन केन्द्रों को परीक्षा सम्बन्धी कौन-कौन से अधिकार सरकार देने जा रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने तो केवल यह कहा कि बरेली और लखनऊ में कार्यालय खोलने का मामला विचाराधीन है। जहां तक इन्हें अधिकारों का प्रश्न है, वाराणसी और मेरठ में जो केन्द्र खुले हैं, उनको उनके क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों को मान्यता देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी जो परीक्षाओं में सम्मलित होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का वर्क भी इन्हीं को दिया गया है लेकिन जो इनके रिजल्ट्स निकलेंगे, वे फाइनल रिजल्ट्स इलाहाबाद के मुख्य केन्द्र से ही निकलेंगे।

श्री पंचानन—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि शाही कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही विकेन्द्रीकरण हुआ या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

जब दूसरे के प्रश्न में आप प्रश्न कर रहे हैं तो कैसे आपके प्रश्न का उत्तर आयेगा?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

गोरखपुर में जो भवन किराये पर लिया गया था उसका किराया क्या माननीय मंत्री जी देंगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सदन में और सदन के बाहर सदैव चिन्ता प्रकट की जाती रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर परीक्षार्थियों का पंजीकरण होता है और लगभग 3 लाख शिक्षार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी इस कार्य के लिए कोई विकेन्द्रीकरण की कोई योजना है, जिससे परीक्षायें सुलभता से और समय से हो जायें और परीक्षाफल भी समय से प्रकाशित हो जाये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह मामला भी अभी सरकार के विचाराधीन है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विकेन्द्रीकरण करना भी खतरनाक होता है। इसका एक प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। हम चाहते हैं कि परीक्षाओं का कार्य सुचारु रूप से हो, एफिशियेन्सी के साथ चले। यही हमारा ध्येय है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब शाही कमेटी ने गोरखपुर में केन्द्र खोलने का जिक्र है, तो वहां न खोल कर क्या राजनैतिक कारणों से ही दूसरी जगह खोला गया है और गोरखपुर में तो कोई शिक्षा मंत्री पैदा होने वाला है नहीं, तो शाही कमेटी की सिफारिश के अनुसार गोरखपुर में खोलेंगी या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बाकी जगह खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

(व्यवधान)

राष्ट्रपति शासनकाल में जिला अधिकारियों एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों का स्थानान्तरण

*11--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत राष्ट्रपति शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारियों एवं श्रेष्ठ पुलिस अधीक्षकों के स्थानान्तरण अधिकाधिक संख्या में किए गए हैं ? यदि हां, तो उन स्थानान्तरणों का आधार क्या था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

गत राष्ट्रपति शासनकाल में प्रदेश के 23 जिला अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गए। पुलिस विभाग में "श्रेष्ठ पुलिस अधीक्षक" नाम से कोई पद नहीं है। यदि मंतव्य 'ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक' से है, तो 4 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों के स्थानान्तरण जनहित में किये गये।

श्री बदन सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 23 जिलाधिकारियों का ट्रान्सफर किया है, उनको किन-किन जिलों में तैनात किया और ट्रान्सफर से पहले वे कहां-कहां तैनात थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह लम्बी सूची है मेरे पास, कहें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--

उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य उसकी कापी चाहेंगे, तो ले लेंगे।

श्री बदन सिंह--

इन 23 जिलाधिकारियों में से जिलों में कितने तैनात किये गए और सचिवालय में अथवा अन्य प्रशासनिक पदों पर कितने रखे गए?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसके लिए सूचना चाहिए।

श्री बदन सिंह--

17 फरवरी से 9 जून तक राष्ट्रपति शासन रहा, क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिनका ट्रान्सफर किया गया, उनके विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थीं?

श्री ब्रह्म दत्त--

सब ट्रान्सफर जनहित में किये गये।

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

माननीय जसवन्त सिंह, आप इस सदन के माननीय सदस्य हैं और मैं चाहता हूं कि आप उसी के अनुसार आचरण करें। यह अत्यन्त दुःख की बात है कि आप हर प्रश्न पर खड़े होते हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, जैसी मुझे जानकारी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप फिर बिना आज्ञा खड़े हो गए, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री मथुरा राय, सचिव, राज्य विद्युत् परिषद् एवं श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट, के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12--प्रियदर्शी जेतली, श्री दल सिंगार यादव तथा श्री जंराज गौतम--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन की अवधि में राज्यपाल के सलाहकार (श्री जे0 डी0 शुक्ल) को उनके फैजाबाद दौरे पर जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाण्डा थरमल प्रोजेक्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निश्चित आरोपों के साथ कोई प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो वह आरोप-पत्र क्या है? उसमें किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां। इस सम्बन्ध में श्री मो0 हबीब एडवोकेट, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस, कमेटी, फैजाबाद का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में श्री मथुरा राय, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् व श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट के विरुद्ध आरोप लगाये गए हैं। आरोपों का विवरण संलग्नक "क" में दिया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत् परिषद् के सतर्कता कोष्ठ द्वारा जांच किये जाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 883 पर)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आरोप-पत्र कब प्राप्त हुआ था और उसकी प्राप्ति के कितने दिन बाद जांच के आदेश दिये गये और कब-तक यह जांच समाप्त करने का आदेश है?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, आरोप पत्र का विवरण तो है लेकिन तारीख इसमें नही हैं। जहां तक जांच पूरी होने का सवाल है, बहुत जल्द जांच समाप्त हो जायगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह थर्मल परियोजना सिविल की है, लेकिन उसमें अधिकांश लोग एलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं, ऐसा क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, विद्युत विभाग में सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी लोग होते हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, इस परियोजना के चीफ का स्थानांतरण विभाग द्वारा कर दिया गया था और फिर उसका स्थानांतरण रोक दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि स्थानांतरण रोका गया है, तो कितने दिन के लिए रोका गया है?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । जो सूचना माननीय सदस्य के पास हो, वह मुझे दे दें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मेरी सूचना के आधार पर स्थानांतरण किया गया, लेकिन फिर रोक दिया गया । क्या माननीय मंत्री जी उन्हें स्थानांतरित करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य की आज्ञा शिरोधर्य है ।

इटावा जिले के ग्राम कुम्हावर निवासी श्री राधेश्याम के घर पर कत्ल सहित डकैती

*13—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार को पता है कि जिला इटावा, थाना बसरेहर के ग्राम कुम्हावर के श्री राधेश्याम के घर जून, 1980 के मध्य में सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें उनकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार के साथ परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की गयी ? यदि हां, तो सरकार ने तुरन्त क्या प्रभावी कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार 8-6-80 को लगभग 7-25 बजे सांयकाल प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित अभियुक्त वादी श्री राधेश्याम के घर शस्त्रों से सुसज्जित होकर गये व उसके पिता व अन्य सदस्यों को गोली से मार दिया तथा उसकी चचेरी बहन को पकड़ कर ले गये । रिपोर्ट के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना की गयी तथा विवेचनापरान्त 13 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राधेश्याम की बहन, जिसको कि अभियुक्तों द्वारा पकड़ने को बताया गया है, क्या उसकी बरामदगी पुलिस द्वारा की गयी? यदि नहीं, तो उसकी बरामदगी के लिए शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, कुमारी ऊमा, यह बड़े दुख का विषय है, उसका तो शव प्राप्त हुआ और यह मुकदमा विचाराधीन है । बड़े दुःख की बात है । लेकिन यह भी संतोष की बात है कि सभी अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं और मुकदमा अदालत में चल रहा है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शव प्राप्त हुए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखाया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, शव इतनी अधिक डिकम्पोज थी, जिससे कुछ सही तौर पर पता नही चल सका ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन 13 अभियुक्तों की चार्जशीट दी गयी और उन अभियुक्तों को अदालत में हाजिरी हो चुकी है और जो हाजिर हो चुके तो क्या उनमें से कुछ ऐसे भी है जिनकी जमानत स्वीकार हो चुकी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, उसमें से 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से एक अभियुक्त पर पहले से मुकदमा चल रहा है, तथा शेष 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है ।

श्री अध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । अब अल्पसूचित तारांकि प्रश्न लिये जायेंगे ।

*14--श्री धर्मपाल--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

आगरा जिले के पावर हाउस को बन्द किये जाने का निर्णय

*15--श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि निकट भविष्य में आगरा पावर हाउस को बन्द करने की योजना सरकार के विचारधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

जी हां पावर हाउसेज से निकलने वाले धुयें से उत्पन्न दूषण के कुप्रभाव से ताजमहल को बचाने के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगरा स्थित पावर हाउसेज को यथाशीघ्र बन्द कर दिया जाय । प्रदेश में विद्युत् उर्जा की कमी के कारण अभी तक उक्त निर्णय पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है । इस दिशा में यथाशीघ्र कार्यवाही की जावेगी ।

भारती इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के छात्रों पर गोली चलाने की घटना

*16--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि 25 अक्तूबर, 1979 को फर्रुखाबाद शहर में शान्ति पूर्ण छात्रों के जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई जिसके फलस्वरूप दो लड़के मरे तथा 5 घायल हुए तथा स्थानीय प्रशासन ने 43 व्यक्तियों पर जान्ता फौजदारी की संगीत धाराओं में मुकदमा कायम किया जिसको लेकर छात्र समुदाय

नोटः तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

मे तनाव है तथा शिक्षण संस्थाओं के खुलने पर गड़बड़ी की आंशका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस केस को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को भारतीय इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के बाहर उग्र एवं आक्रामक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों के विफल होने पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप 2 लड़कों की मृत्यु हो गई तथा 5 अन्य लोग घायल हुए। इस संबंध में एक मुकदमा अपराध संख्या 865 धारा 147/148/149/332/336/307/323/353 भा0 द0 वि0 का पंजीकृत किया गया जिसमें 41 व्यक्ति नामजद थे 323 अपराध विवेचनाधीन हैं व इस स्टेज पर इसकी वापसी विधिक रूप से संभव नहीं है।

कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अंतर्गत जिला जज मैनपुरी की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा इस घटना की न्यायिक जांच की जा रही है यह सही नहीं है कि इसको लेकर छात्र समुदाय में तनाव है तथा शिक्षण संस्थाओं के खुलने पर गड़बड़ी की आशंका है।

कुमाऊं तथा गढ़वाल मन्डलों में प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति

*17—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने जून, 80 में प्रवक्ता तथा स्नातक वेतनक्रम के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को कुमायूं तथा गढ़वाल मन्डलों में तदर्थ नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग से चयन होने तक सेवाओं में चालू रखने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय प्रदेश के अन्य मन्डलों के शिक्षक, शिक्षिकाओं के साथ क्यों नहीं लागू किया गया है ? क्या सरकार तत्काल उपरोक्त निणय को समस्त प्रदेश में समानता के साथ लागू करने की घोषणा कर सभी को न्याय देने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

कुमांऊ तथा गढ़वाल मन्डलों में नियुक्ति, स्थानान्तरण अथवा प्रोन्नति के फलस्वरूप काफी संख्या में अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण छात्रों की शिक्षा के हित में स्थानीय आधार पर मन्डलीय अधिकारियों द्वारा शिक्षा सत्र 1979-80 के मध्य सत्र में सत्रान्त तक के लिए प्रवक्ता तथा स्नातक वेतनक्रम में तदर्थ नियुक्तियाँ की गई थीं। इन तदर्थ नियुक्तियों को सत्रान्त के बाद भी पूर्ववत चलते रहने का निर्णय जून, 1980 में लिया गया था। प्रदेश के अन्य मन्डलों में इस प्रकार की तदर्थ नियुक्ति करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

आजमगढ़ जिले के ग्राम गम्भीरवन के हरिजनों के यहाँ डकैती

*18—श्री ललता—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला आजमगढ़, थाना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम गम्भीरवन हरिजन बस्ती में दिनांक 10/11 अप्रैल, 1980 को दरमयानी रात में डाकुओं के एक जबरदस्त गिरोह ने भीषण डकैती

डाली थी जिसमें श्री सतई, सुकुर, कैलास आदि दर्जनों हरिजनों को गोलियों से बुरी तरह घायल कर दिया गया था ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी या नहीं और यदि नहीं, हुई तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

दिनांक 10/11-4-80 की रात्रि में ग्राम गम्भीरबन, थाना कोतवाली, आजमगढ़ में 13-14 डकैत बन्दूक, कटटा लाठी लेकर आये और चार हरिजनों के घर में घुसकर लूटपाट की । डाकुओं ने बन्दूक बम व देसी पिस्तौल से फायर भी किया जिससे उक्त सतई, सुकुर, कैलास सहित 13 व्यक्तियों को चोंटें आई । विवेचना से 11 अभियुक्त प्रकाश में आये । 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । एक अभियुक्त पुलिस मुठभड़ में दिनांक 5-6-80 को मारा गया । शेष 7 अभियुक्त फरार हैं व उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है ।

*19---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[11-7-80 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त ।]

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव, जिला वाराणसी का कार्यकाल

*20---श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव) गत लगातार 21 वर्षों से सेवारत हैं जबकि नियमानुसार पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी एक जिले में छः वर्ष से अधिक और एक रेंज में 12 वर्षों से अधिक समय तक नहीं रह सकता ? क्या इन नियमों की अवहेलना करने वाले सम्बन्ध अधिकारी को दन्डित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

वाराणसी जनपद में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पद पर श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव दिनांक 20 सितम्बर 1977 से तैनात हैं । इसके पूर्व ये वाराणसी जनपद, जी0 आर0 पी0 वाराणसी, अपराध अनुसंधान विभाग, वाराणसी सेक्टर में विभिन्न पदों पर निम्नलिखित अवधियों में तैनात रहे :--

1---सहायक अभियोजन अधिकारी, वाराणसी जनपद ..	जुलाई, 1957 से अक्तूबर, 1962 तक ।
2---सहायक अभियोजन अधिकारी, जी0 आर0 पी0 वाराणसी ..	नवम्बर, 1962 से जुलाई, 1966 तक ।
3---अभियोजन अधिकारी, अपराध अनुसंधान विभाग, वाराणसी सेक्टर ..	जुलाई, 1966 से 19 सितम्बर, 1977 तक ।

उक्त अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं । मामले में नियमों की अवहेलना करने और उसके लिए किसी अधिकारी को दन्ड देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

थाना कुर्सी, जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा ग्राम पीरनगर मजरा निवासी श्रीमती कुन्ती की हत्या

**1—श्री थम्मन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नन्द राम, श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 जून, 1980 को बाराबंकी जिले के थाना कुर्सी हल्के में पुलिस जनों द्वारा एक अनुसूचित वर्ग की महिला के साथ बलात्कार करने तथा उसकी हत्या किए जाने की जानकारी मिली है ? यदि हां, तो पूरी घटना का विवरण क्या है ? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। घटना का विवरण संलग्न है। इस सम्बन्ध में अब तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

(1) श्री कालीचरन के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अभियोग अपराध संख्या 81, धारा 449/302/34 भा0 द0 वि0 अभियुक्त श्री राधेश्याम पान्डे, श्री राम सरोज एवं श्री लल्ला के विरुद्ध कायम हुआ।

(2) सम्बन्धित दोनों पुलिस सिपाहियों को निलम्बित करके बन्दी बना लिया गया और जेल भेजा गया।

(3) सम्बन्धित थानाध्यक्ष और उपनिरीक्षक को निलम्बित करके पुलिस लाइन भेजा गया।

(4) मृतक के पति को 5,000 रु0 की आर्थिक सहायता स्वीकृत करके वितरित कर दी गई है।

(5) प्रश्नगत मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग का एक टीम भेजकर प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(6) घटनास्थल पर पी0 ए0 सी0 की एक टुकड़ी एक पुलिस उपनिरीक्षक के अधीन नियुक्त कर दी गई।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 885 पर)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह घटना 17–18 तारीख की रात को हुयी और इस सम्बन्ध में जो लोग एफ0आई0आर0 दर्ज कराने गये, उनकी एफ0 आई0 आर0 दो दिन तक नहीं लिखी गयी और उन्हें काफी डराया धमकाया गया, साथ–साथ ही रुपयों का लालच भी दिया गया। तब वे लोग एस0 पी0 साहेब के पास भागकर गये। यदि यह बात सही है तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 20 तारीख की लिखी गयी एस0 पी0 साहब के यहां और कहें तो पूरी डिटेल्ड पढ़ कर सुना दूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो दो दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और जब वहां लोग लिखाने गये तो, उनको मार-पीट कर भगा दिया गया, और इन लोगों पर रिपोर्ट न लिखाने का दबाव डाला गया, तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन दबाव डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गयी और उन्हें हटा दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बता दें कि वहां सी0 ओ0, एस0 पी0 व उप निरीक्षक श्री गोपी तथा एस0 आई0 श्री बलवंत आदि सब इस मामले में इन्वाल्व हैं । इनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, थानाध्यक्ष श्री बलवन्त सिंह और उप निरीक्षक गोपीनाथ पाल को निलम्बित कर दिया गया है और पुलिस लाइन भेज दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब यह मामला साफ है कि मर्डर की बात हो गई, फिर दुबारा इसको सी0 आई0 डी0 में भेजने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सी0 आई0 डी0 को इसलिये दिया गया है कि सारे तथ्य सामने आ जायं । अगर इसको दबाना होता तो लोगों को बन्दी न बनाया जाता और निलम्बित न किया जाता ।

श्री रियाजत हुसैन--

मान्यवर, 17/18 की घटना की रिपोर्ट 20 तारीख को लिखी हुई बतलाया । 302 मर्डर वगैरह का अपराध है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 2 दिन के बाद जो एफ0 आई0 आर0 लिखी गई उसका पोस्ट मार्टम, मेडिकल वगैरह सारा हुआ तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी इस माननीय सदन में रखेंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त--

20-6 को पोस्ट मार्टम किया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

17/18 को घटना है 20 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, तो 2 दिन तक डेड बाडी कहां रखी गई, फिर पोस्ट मार्टम में कैसे पहुंची, किस पुलिस की रिपोर्ट पर पहुंची 2 दिन तक डेड बाडी का क्या हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री बच्चू लाल के भाई कालीचरन का पत्र जो पुलिस अधीक्षक को 19-6-80 को दोपहर 12-30 बजे दिया गया, में उल्लेख किया गया है थाना कुर्सी के पान्डेय तथा रावत नामक दो आरक्षी 17/18 को प्रातः लगभग 4 बजे बच्चू लाल के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ किया किन्तु बच्चूलाल के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। कालीचरन ने यह आरोप लगाया कि थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये गये। थाना कुर्सी को जी० डी० में दिनांक 18-6-80 में प्रातः साढ़े आठ बजे श्री कालीचरन की लिखित सूचना के आधार पर यह अंकित कि उसके भाई के बच्चों से मालूम हुआ कि उसकी भौजाई ने फांसी लगा ली। शव का पंचायत नामा तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पत्रादि उप निरीक्षक श्री गोपीनाथ पाल को जो उस समय क्षेत्र में थे एक सिपाही के माध्यम से भेजा गया। श्रीमती कुन्ती के शव का पंचायतनामा उपनिरीक्षक श्री गोपीनाथ पाल द्वारा 18-6-80 को किया गया। निम्न चोटें अंकित की गईं। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर 19-6-80 को पहुंच गये। इसमें सब विवरण है। मजिस्ट्रेट द्वारा 20-6-80 को पंचायतनामा बनाया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 18 तारीख साढ़े आठ बजे सूचना दी गई कि भौजाई ने फांसी लगा लिया है। इसके माने यह हुये कि 18 तारीख को साढ़े आठ बजे सूचना थाने में मिल गई उसके बाद 20 तारीख तक 2 दिन तक डिले जो हुआ, 20 तारीख को पोस्ट मार्टम हुआ, 20 के बाद अधिकारी वहां पहुचे यह किसके द्वारा हुआ है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त--

जिसके द्वारा यह किया गया, उनको निलम्बित करके लाइन भेज दिया गया है। सी० आई० डी० जांच कर रही है जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा ?

आजमगढ़ जिले थाना मऊ के छात्रों पर अश्रु का प्रयोग

**2--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में ही आजमगढ़ में छात्रों पर पुलिस द्वारा अश्रुगैस छोड़ी गई जिससे कई छात्र घायल हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 31 जुलाई, 1980 को जिला आजमगढ़ के थाना मऊ क्षेत्रान्तर्गत की रोष भरी उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस अश्रुगैस का प्रयोग किया गया था जिससे कोई छात्र घायल ा ।

अतारांकित प्रश्न

विधान सभा चुनाव के दौरान राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या

मित्रसेन तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत विधान सभा चुनाव में कितने क कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुयीं ? वे किस राजनैतिक दल से सम्बद्ध थे ? रिवार एवं आश्रितों को क्या कोई आर्थिक सहायता जिला प्रशासन एवं प्रदेश ने की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्वनाथ प्रताप सिंह--

गत विधान सभा चुनाव के दौरान 9 राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की प्रदेश ा हुई थी । इन में से 3 कांग्रेस (आई), 1 भारतीय जनता पार्टी, ा पार्टी (जेपी), 1 कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध थे तथा 3 किसी राजनैतिक सम्बद्ध नहीं थे । मृतकों के परिवार एवं आश्रितों को आर्थिक सहायता सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण पत्रकार संघ, हरदोई का मांग-पत्र

राम आसरे वर्मा तथा श्री अम्बा प्रसाद--

क्या सूचना मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण पत्रकार संघ, हरदोई ा निदेशक, उत्तर प्रदेश को जून, 80 के दूसरे सप्ताह में एक मांग-पत्र है ?, यदि हां, तो प्रमुख मांगें क्या हैं और शासन ने उन पर क्या ी की ?

श्वनाथ प्रताप सिंह--

ग्रामीण पत्रकार संघ, हरदोई का एक दिनांक रहित मांग-पत्र अभी हाल प्राप्त हुआ है, जिसकी मांगें, प्रमुख रूप से, विज्ञापन की मान्यता व विवरण, मान्यता समिति तथा पत्रकारों की मान्यता के विषय में हैं । इन विषयों सन की वर्तमान नीति में व्यापक परिवर्तन की मांग की गई है ।

इस मांग-पत्र पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

खीमपुर जिले के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त इन्टर कालेजों के अध्या की पेंशन

ी राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-7 9 76 में लखीमपुर जिले के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त इन्टर कालेज5 ा अध्यापकों ने अवकाश/रिटायरमेंट ग्रहण किया, उनमें से वह कौन-की

है जिन्हें अभी तक पेंशन देना प्रारम्भ नहीं किया जा सका है और उसका क्या है तथा कब से देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1974-75 तथा 76 में लखीमपुर जिले के गैर सरकारी प्राप्त इन्टर कालेजों के जिन अध्यापकों ने अवकाश ग्रहण किया उनमें से श्री राम स्वरूप वर्मा, सहायक अध्यापक, कृषक समाज इन्टर कालेज, गोकरन नाथ, खीरी की पेंशन का भुगतान, आवश्यक प्रपत्र सम्बन्धित से दिनांक 7 मई, 1980 तक प्राप्त न हो सकने के कारण, नहीं हो पाया अब दिनांक 22 जुलाई, 1980 को उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी गई है स्वीकृति आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को भुगतान की कार्यवाही के लि दिये गये हैं।

मेसर्स वि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0, बस्ती को बन्द किये जाने विचार

4--कु0 अलमेलु अम्माल--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बस्ती वाल्टर स्थित नारंग ग्रुप के चीनी मिल में कितने मजदूर नियुक्त हैं और कितने क नियुक्त हैं ? क्या यह सच है कि नारंग ग्रुप वाले वाल्टरगंज की चीनी मिल बन्द करने की योजना बना रहे है ? यदि हां, तो उक्त वाल्टरगंज शुगर को सरकार लेकर चलायेगी ?

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

मेसर्स दि बस्ती शुगर मिल कम्पनी लिमिटेड, वाल्टरगंज, बस्ती में स्थायी, 660 सीजनल तथा 41 अस्थायी कर्मचारी नियुक्त हैं। समय-समय कैजुअल कर्मचारी भी रक्खे जाते हैं, जिनकी संख्या 1979-80 सी 253 थी।

मिल मालिकान ने वाल्टरगंज चीनी मिल को अपनी बस्ती चीनी मि मिलाये जाने का प्रस्ताव किया है जो शासन के विचाराधीन है। वा मिल को लेकर सरकार द्वारा चलाये जाने का कोई विचार नहीं है।

श्री शिवदास उदासीन इन्टर कालेज, सादात, गाजीपुर को दिया गया अनुदान

5--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव दास उदासीन कालेज, सादात, गाजीपुर को एक मार्च, 77 से 31 मई, 80 के बीच अलग मदों से कितना-कितना अनावर्तक अनुदान प्राप्त हुआ और क्या यह सही इस अनुदान के अधिकांश भाग का उपयोग आज तक नहीं किया गया है ? हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

:वरूप कुमारी बख्शी--

ी शिव दास उदासीन इन्टर कालेज, सादात, गाजीपुर को एक मार्च, 77 से 80 तक अलग-अलग मदों में निम्नलिखित अनावर्तक अनुदान प्राप्त --

	रु0
--दक्षता अनुदान	2,000
--विकास अनुदान	50,000
--साज सज्जा अनुदान	3,600
--क्रीड़ा-स्थल अनुदान	10,000

। नहीं । उक्त सम्पूर्ण अनुदान का उपभोग विद्यालय द्वारा कर लिया

ंच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

। जिले के ग्राम नेवलगंज की ग्राम सुधार समिति के सदस्य

न्त बक्श रावत--

या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के गंज में सन् 1978 में ग्राम सुधार समिति (बी0डी0एस0) बनायी गयी नमें कितने सदस्य हैं तथा उनके नाम व पद क्या-क्या हैं ?

नाथ प्रताप सिंह--

समें 15 सदस्य हैं, जिनके नाम व पद का विवरण संलग्न है ।

देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 886 पर)

ी राज्यपाल के सलाहकार श्री इस्लाम अहमद एवं श्री जे0 डी0 शुक्ला के वेतन, भत्ता, टेलीफोन पर व्यय की गयी धनराशि

मोहन सिंह--

या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 17 फरवरी, 1980 से 9 जून, ; बीच राष्ट्रपति शासन के दौरान महामहिम राज्यपाल के सलाहकार लाम अहमद और श्री जे0 डी0 शुक्ल) के वेतन भत्ता, हेली काप्टर भाड़ा फोन के ऊपर कितना खर्च आया ? साथ ही इन लोगों ने क्या अपने र कोष से भी कुछ लोगों की सहायता की ? यदि हां, तो यह राशि ?

नाथ प्रताप सिंह--

चना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 887 पर)

प्रदेश में हत्या डकैती एंव दंगे का विवरण

8---श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 15 मार्च, 19 15 जून, 1980 की तिमाही में कत्ल, डकैती और दंगों की अलग-अलग क्या रही ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में उत्तर प्रदेश में हत्या की डकैती की 1097 तथा दंगा की 2911 घटनायें हुई ।

राज्य विद्युत् परिषद् में नियुक्त भूतपूर्व कम्पनियों के कर्मचारि पर लागू किये गये नियम

9---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य परिषद्, लखनऊ के आदेश संख्या 2092 एन0 9/एस0 ई0 बी0/80-एन दिनांक 15-4-80 के उन कर्मचारियों पर लागू किये जाने का क्या व जिन्होंने अभी बोर्ड की सेवा शर्तों को न तो स्वीकार किया है और परिषद् के परिवर्तित वेतनक्रम तथा अन्तरिम सहायता ही प्राप्त हुई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के आदेश का सही संख्या 20 जी0/एस0 ई0 बी0/चार/80/1-एन0 जी0/79, दिनांक 15-4-80 है प्रश्न में इंगित है ।

भूतपूर्व कम्पनी के कर्मचारी जो बहुधा उसी स्थान के रहने वाले जहां वे कार्यरत हैं और यद्यपि प्रशासन के हित में अनेक मामलों में उन स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करना आवश्यक समझा गया परन्तु लागू नियमों के अनुसार उनका स्थानान्तरण करने में कठिनाई अनुभव रही थी । अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिये परिषद् ने इस स विनियम बनाये हैं जिससे अब परिषद के अन्य कर्मचारियों की भांति लाइसेंसधारी कर्मचारियों को भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा । य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये बनाया गया है ।

श्री गंगा प्रसाद पाठक, ग्राम बुकनापुर, जिला गोण्डा का वेतन बे सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

10--श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि श्री गंगा प्रसाद पाठक बुकनापुर, जिला गोण्डा, जो एक भू0 पू0 संस्कृत अध्यापक हैं, ने कोई पत्र अपने अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में मई, 1979 में शासन था और इसी सन्दर्भ में उप निदेशक शिक्षा सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने भु भुगतान किये जाने का पत्र सितम्बर, 1979 को शासन को भेजा था ? तो क्या उक्त अवशेष वेतन का भुगतान हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां ।

सितम्बर 1970 में कोई पत्र नहीं भेजा गया । सितम्बर, 1979 में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने शासन को पत्र भेजा था ।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने भुगतान के आदेश दे दिये हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

11--श्री मित्र सेन--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

तमसा नदी पर अकबरपुर का जर्जर पुल

12--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद से शाहगंज जाने वाली सड़क पर कस्बा अकबरपुर में तमसी नदी पर बना मुख्य पुल जर्जर हो चुका है और इस स्थान पर नया पुल बनाने के लिए सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी थी ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब होगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । पुल पुराना है । रिडेकिंग (Redeeking) का कार्य वर्ष 1975-76 में किया गया था ।

फैजाबाद जिले का अन्नवां-पहितो मार्ग एवं तमसा नदी पर पुल निर्माण की मांग

13--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री प्रिय दर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कटहरी क्षेत्र (फैजाबाद) में अन्नावां-पहितीपुर मार्ग पर पिच रोड और श्रवण क्षेत्र में तमसा नदी पर एक पुल बनना स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य न होने के क्या कारण हैं ? तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जिले के मार्ग सिकन्द्रा–बिल्हौर मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

14—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में सिकन्द्रा से बिल्हौर मार्ग (लम्बाई 44 मील) पक्का करने की स्वीकृति किस पंचवर्षीय योजना में दी गयी थी और वह मार्ग अब तक पूरा पक्का मय नदियों के पुल के बन कर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

कानपुर जिले में सिकन्द्रा से बिल्हौर मार्ग चार भागों में अलग–अलग वर्षों में पक्का करने हेतु स्वीकृत हुआ था । इस मार्ग के सम्बन्ध में अन्य वांछित विवरण निम्नवत् है :—

क्रमांक	मार्ग का नाम	स्वीकृति का वर्ष	निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति	अवशेष कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1	सिकन्दरा से झींझक	1970	यह मार्ग बन कर तैयार हो गया है । इसके कि0 मी0 11 में सेंगुर नदी पर एक पुल बनना शेष है ।	पुल निर्माण कार्य वर्ष 1982 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।
2	झींझक से रसूलाबाद	1970	यह कार्य पूर्ण हो चुका है ।	..
3	रसूलाबाद से बिल्हौर	1971	कार्य प्रगति पर है	दिसम्बर, 1981 ।
4	ककवन–बिल्हौर–नानामऊ मार्ग की छूटी कड़ी	1979	कार्य प्रगति में है	दिसम्बर, 1981 ।

यदि आवश्यक धन उपलब्ध होता रहा तो सम्पूर्ण मार्ग मय नदियों पर पुल के दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापकों के चयन सम्बन्धी निर्देश

15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि शासन का ऐसा कोई निर्देश है कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापकों के चयन में प्राथमिकता सम्बन्धित क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों को दी जाय ? यदि हाँ, तो क्या उक्त निर्देश का पालन गोरखपुर जनपद में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार की घटना

16—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गत जून, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक और जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक औरतों के साथ उस प्रकार की बलात्कार की कितनी घटनायें हुई जिनका सम्बन्ध पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों से था और भविष्य में बलात्कार के कुकृत्यों से पुलिस को विरत किया जा सके इसके लिए कौन-सा ठोस कदम शासन के विचाराधीन है या उसे कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध बलात्कार के अपराधों के पंजीकृत मामलों की संख्या निम्नवत् है :—

जून, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक	5
जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक	13

बलात्कार के कुकृत्यों से पुलिस को विरत करने हेतु कठोर निर्देश दिये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो सके, किसी भी महिला को थाने पर न रोका जाय और शीघ्रातिशीघ्र जमानत पर छोड़ दिया जाय या न्यायालय के सामने पेश कर दिया जाय । यदि किसी विशेष कारणवश थाने पर महिलाओं का रुकना अनिवार्य हो तो उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की देखरेख में संरक्षक भी रखे जायं ।

शीलभंग, बलात्कार आदि अपराधों के नियन्त्रण के लिये कुछ विधिक उपाय भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

फर्रुखाबाद में गोली कान्ड की न्यायिक जांच सम्बन्धी पत्र

17—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 25 अक्तूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में हुए गोली कान्ड में न्यायिक जांच के आदेश होने के उपरान्त शासन की एक ज्ञापन फर्रुखाबाद के तत्कालीन निर्वाचित विधायकों द्वारा इस आशय का

दिया गया था कि इस मामले में न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में हुए गोली कान्ड की घटना की जांच हेतु शासन द्वारा न्यायिक जांच आयोग गठित किये जाने के उपरान्त फर्रुखाबाद के तत्कालीन विधायकों सर्वश्री गिरीश चन्द्र तिवारी, ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा बंश गोपाल चतुर्वेदी एवं लोक सभा के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक रहित तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित एक पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त उक्त न्यायिक जांच को रद्द किये जाने का सुझाव दिया गया था, किन्तु उस समय तक आयोग गठित हो चुका था, इसलिये न्यायिक जांच को रद्द करने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया ।

अवैतनिक कम्पनी कमान्डर, होमगार्ड को वेतन दिये जाने पर विचार एवं प्राप्त प्रार्थना-पत्र

18--श्री वृद्धि नरायन सिंह--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि होमगार्ड विभाग में अवैतनिक कम्पनी कमान्डर को सवैतनिक निरीक्षक बनाने पर विचार कर रही है ?

सूचना मंत्री (श्री हरि सिंह)--

यह विषय शासन के विचाराधीन है ।

19--श्री वृद्धि नरायन सिंह--

क्या यह सही है कि अवैतनिक कम्पनी कमाण्डरों को सवैतनिक निरीक्षक बनाने के लिए होम गार्ड मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास जिलों से रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री हरि सिंह--

जी नहीं ।

20--श्री वृद्धि नरायन सिंह--

क्या यह सही है कि होम गार्ड मुख्यालय, उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र आ गये हैं ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति होने की सम्भावना है ?

श्री हरि सिंह--

जी हां । कुछ जिलों के जिला कमाण्डेण्ट्स ने कुछ अवैतनिक अधिकारियों के प्रार्थना-पत्र होम गार्ड्स मुख्यालय को अग्रसारित किये हैं ।

क्योंकि इस विषय में शासन ने अभी कोई निर्णय ही नहीं लिया है, अतः नियुक्ति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री एस0 के0 माथुर, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, विद्युत् परिषद्, लखनऊ के मकान का निर्माण

21--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य क्षेत्रीय अभि लखनऊ का लखनऊ में ही गोखले मार्ग पर कोई मकान बन रहा है ? अग रहा है तो वह जमीन कितने की है, कितने लागत से बन रहा है और क कहाँ से आया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री एस0 के0 माथुर, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ का मकान गोख पर न बनकर, उनका व उनकी पत्नी का संयुक्त मकान लाजपत राय मार्ग, पर बन रहा है । इस मकान की भूमि का मूल्य 24,650 रु0 है । श्री द्वारा उक्त मकान की अनुमानित लागत लगभग 80-82 हजार रुपया बता है इस मकान के निर्माण हेतु श्री माथुर ने 40,000 रु0 अपने भविष्य निधि से अन्तिम निष्कासन के रूप में प्राप्त किया है एवं शेष धन की व्यव अपने परिपक्व जीवन बीमा पालिसी तथा अन्य बचतों के माध्यम से कर रहे

राज्य विद्युत् परिषद् लखनऊ जोन के दैनिक वेतन भोगी लिपिकों की छट

22--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य परिषद् के लखनऊ जोन में दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 के बाद से कितने श्रेणी लिपिकों की तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं और कितने दैनिक श्रेणी की छटनी की गयी है और यह छटनी शुदा कर्मचारी कितने माह की सेवा पूरी कर चुके हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के लखनऊ जोन के अन्तर्गत 1-12-79 के बाद कुल पन्द्रह दैनिक श्रेणी लिपिकों की तदर्थ नियुक्ति गई हैं तथा कुल पन्द्रह तदर्थ नियुक्ति दैनिक श्रेणी लिपिकों की छटनी है जिनमें से छः की नियुक्ति 1-12-79 के बाद हुई थी । छटनी शुद चारियों में से तीन लगभग अठारह से छब्बीस माह की तथा शेष लगभग चार माह की सेवा पूरी कर चुके थे ।

बाराबंकी जिले के कतिपय मार्गों का निर्माण

23--श्री राम सागर तथा श्री जमुना प्रसाद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बारा कोठी से जैदपुर, असन्दरा से घनौटी एवं कैसरगंज से मोहम्मदपुर पीर सिद्धौर सड़क का निर्माणाधीन निर्माण कार्य अवरुद्ध है ? यदि हाँ, तो क्यों नहीं, तो उक्त सड़कों का कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है और क पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

केवल असन्दरा से घनौली मार्ग में खाद्यान्न उपयुक्त मात्रा में उपल होने से कार्य की प्रगति धीमी है । शेष मार्गों के निर्माण कार्य में कोई नहीं है ।

इन कार्यों को सम्पन्न करने की लक्ष्य तिथियां निम्न प्रकार हैं, परन्तु ये न एवं खाद्यान्न के उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होने प निर्भर करेंगे—

)	मार्ग का नाम	लक्ष्य तिथि
	कोठी से जैदपुर	मार्च, 1982
	असंदरा से धनौली	मार्च, 1981
ा)	कैसरगंज से सद्धौर	मार्च, 1981
)	सिद्धौर से मोहम्मदपुर	दिसम्बर, 1980

नोट—असंदरा से धनौली के नाम से सड़क स्वीकृत है न कि असंदरा से धनौली ।

कानपुर जिले में सेंगुर एवं यमुना नदी के बीच के ग्रामों का विद्युतीकरण

ी राम स्वरूप वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में सेंगुर व यमुना के बीच के किन-किन गांवों के लोगों ने अपने गांव में बिजली देने के लिए विभाग के खाते 31 मई, 1980 तक धन जमा किया है और उन्हें कब ली मिल जाने की सम्भावना है तथा सरकार अपनी ओर से उक्त क्षेत्र के न गांवों के विद्युतीकरण की योजना 31 मई, 1980 तक बना चुकी है ?

वनाथ प्रताप सिंह—

कानपुर जिले में सेंगुर व यमुना नदियों के बीच के 9 गावों मलासा, मऊ, पैलावर, बुधौला, कुसर्जापुर, डाभा, सूजगंवा, सिहारी व गिरवां के रण हेतु क्रमशः 80, 50, 39, 30, 25, 24, 15, 6 व 4 व्यक्तियों के ी कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र रु0 25 अग्रिम धनराशि के साथ 31-5-80 त हुये हैं । मलासा, अरहरियमऊ, पैलावर, बुधौली व कुसर्जापुर गांव के ो वर्ष 1980-81 के अन्त तक बिजली मिल जाने की सम्भावना है । वों का विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना नहीं है ।

उपरोक्त पांच गांवों के अतिरिक्त, उक्त क्षेत्र में टेरा गांव का विद्युतीकरण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में किये जाने की है ।

सीतापुर जिले के वजीरनगर में विद्युत् विभाग के स्टोर में चोरी

ी राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के बिजली के वजीरनगर स्थित स्टोर में 1 जनवरी, 1980 से मई, 1980 के अन्त नी बार चोरियां हुयीं, कितना सामान गया और इस बारे में विभाग द्वारा

अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद सीतापुर में विद्युत विभाग के वजीरनगर स्थित स्टोर में की चोरी हुई प्रथम बार 5 जनवरी, 1980 को 1,680 रु0 की 70 बोरी सीमेंट चोरी हुई तथा दूसरी बार मई 18/19, 1980 को 58,139 रु0 80 प लागत के बिजली के सामान (सूची संलग्न) की चोरी हुई ।

इस सम्बन्ध में विभागीय एवं पुलिस जांच जारी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 888 पर)

26—श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।)

गोंडा जिले के पिपराघाट पर राप्ती नदी के पुल निर्माण की मांग

27—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा की उतरौला बलरामपुर तहसीलों के बीच राप्ती नदी के पिपरा घाट पर पुल निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पुल निर्माण का प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

उतरौला, गोंडा के इन्टर कालेजों में विज्ञान की शिक्षा दिये जाने की मांग

28—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गोंडा के उतरौला त मुख्यालय पर स्थित दोनों इण्टर कालेजों में विज्ञान की शिक्षा की सुविधा उ नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में विज्ञान की सुविधा करने का कोई कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि ह कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उतरौला के दोनो इन्टर कालेज केवल हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान मान्यता प्राप्त हैं । किंग जार्ज इन्टर कालेज, उतरौला का इन्टर विज्ञान मान्यता हेतु आवेदन-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है । निजी तन्त्र द्वारा संचालित विद्यालय, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों, यदि स्कूल इन्टर स्तर का विज्ञान वर्ग से कक्षायें खोलने हेतु आवेदन पत्र देते इस हेतु निर्धारित मानकों/अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं तो उन्हें विज्ञान वर्ग में खोलने हेतु मान्यता दे दी जाती है ।

कानपुर जिले में डकैती से सम्बन्धित कथित प्रार्थना-पत्र

। रामस्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या पुलिस महानिरीक्षक को जून, के तीसरे सप्ताह के अन्त में या चौथे सप्ताह के प्रारम्भ में कानपुर डकैती की वारदातें बढ़ने और जुर्म घटाकर अंकित करने की शिकायतें ई हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतें संक्षेप में क्या हैं और उनके बारे कार्यवाही की गई ?

वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई प्रार्थना-पत्र 980 के तीसरे सप्ताह के अन्त में या चौथे सप्ताह के प्रारम्भ में पुलिस ीक्षक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ ।

सचिवालय कालोनी, महानगर के 'बी' टाइप आवासों का आवंटन

श्री सन्त बक्श रावत तथा श्री राम आसरे--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 अगस्त, 1979 से 15 980 की अवधि में सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ के कितने 'बी' आवासीय गृह किन-किन सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किए गए ? क्या ी है कि प्रविष्टी द्वारा दी गई अपनी सहमति के बावजूद अधिकांश प्रदेशन बाद में निरस्त कर दिए गए ? यदि हां, तो किन-किन प्रविष्टी के और धिकारी के आदेश से ऐसा किया गया और क्यों ?

ादीश प्रसाद--

दिनांक 1-8-78 से 15-6-80 की अवधि म संलग्न सूची के अनुसार लय कालोनी, महानगर के बी-टाइप आवासों के आवंटन किए गए । सूची संख्या 1 पर उल्लिखित केवल एक प्रविष्टी का आवंटन तत्कालीन एडवाइजर के आदेशों से निरस्त किया गया क्योंकि प्रविष्टी को आवंटित आवास का नहीं मिल रहा था । बाद में प्रविष्टी को बी-टाइप का दूसरा आवास त किया गया ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 889 पर)

लखनऊ शहर में राष्ट्रपति शासन काल में डकैती, हत्या की घटनायें

श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राष्ट्रपति शासनकाल में लखनऊ शहर ग-अलग महीनेवार व थानावार हत्या, महिलाओं के जेवरात छीनने, सर्राफा व बैंक लूटने की कितनी वारदातें हुयीं और राजधानी में भविष्य में जन- के लिए क्या उपाय किए गए ?

िश्वनाथ प्रताप सिंह--

राष्ट्रपति शासन काल में लखनऊ शहर में महीनेवार व थानेवार हत्या, ओं के जेवरात छीनने, सर्राफा लूटने व बैंक लूटने के सम्बन्ध में पंजीकृत ोगों का विवरण संलग्न है ।

अपराधों की रोकथाम हेतु अपराध विरोधी अभियान चलाए गए तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भरसक प्रयत्न किया गया ।

देखिए नत्थी 'छ' आगे पृ0 890 पर ।

फर्रुखाबाद जिले के इन्टर कालेज के अस्थायी प्रधानाचार्य

32—श्री सुनील शास्त्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के इन्टर कालेजों में ऐसे कितने प्रधानाचार्य हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप से कार्यरत हैं और इनका विधिवत् चयन नहीं हो पाया है ? क्या इन प्रधानाचार्यों के चयन हेतु शीघ्र साक्षात्कार कराए जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दो (प्रधानाचार्य)

जी हां ।

वाराणसी जिले के विकास खण्ड पिंडरा एवं बड़ागांव के भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

33—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चितौरा, मरुई, गजेन्द्रा, समोगरा, चुप्पेपुर, असवालपुर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी एवं कुसुमपुरा बरंजी, लखमीपुर अभिलोधन जयपुर ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी के प्राइमरी स्कूलों की अपनी इमारतें नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त स्कूलों की इमारतों को बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद वाराणसी के विकास खन्ड पिंडरा में ग्राम चितौरा, मरुई, गजेन्द्रा, समोगरा, चुप्पेपुर और असवालपुर के प्राइमरी पाठशालाओं के निजी भवन नहीं है किन्तु प्राइमरी पाठशाला चितौरा के भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है और उसका निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सौंपा गया है । विकास क्षेत्र, बड़ागांव के ग्राम कुसुमपुरा, लखोमपुर और धनजयपुर के प्राइमरी पाठशालाओं के भी निजी भवन नहीं है । ग्राम बरजो में दो प्राइमरी पाठशाला है जिनमें से एक के पास अपना कब्जा भवन है और दूसरे के पास कोई भवन नहीं है । प्राइमरी पाठशाला अभिलोधन नाम का कोई विद्यालय नहीं बताया जाता है ।

शासन के सीमित साधनों के कारण सभी भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है किन्तु जैसे-जैसे धन की व्यवस्था की जायेगी उपरोक्त विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जायगा । किसी अवधि का आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम गम्भीरबन में डकैती

34—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 11-4-80 को गांव गम्भीरबन, थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ में भीषण डकैती पड़ी, जिसमें पांच हरिजनों के

घरों को लूटा गया और बम तथा बन्दूक का प्रयोग हुआ था ? क्या यह भी सत्य है कि 13 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल किया गया ? इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । दिनांक 10/11-4-80 की रात्रि में करीब 1बजे ग्राम गम्भीर-बन, थाना कोतवाली, आजमगढ़ में 13-14 डकैत बन्दूक, कट्टा, लाठी व बम लेकर 4 हरिजनों के घर में घुसकर जेवर कपड़ा व नगद रुपया लूट ले गए। 13 व्यक्तियों को चोटें आयी हैं । विवेचना से 11 अभियुक्त प्रकाश में आये । 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में दिनांक 5-6-80 को मारा गया । शेष 7 अभियुक्त फरार हैं । उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है ।

दिलदारनगर स्टेशन, गाजीपुर में तूफान एक्सप्रेस में डकैती एवं हत्या

35--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13-4-80 को मुगलसराय-पटना मेल लाइन पर दिलदारनगर स्टेशन, जिला गाजीपुर में 7-अप तूफान एक्सप्रेस को लूटा गयाऔर दो व्यक्तियों को जान से मार दिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 13-4-80 को एक गिरोह के द्वारा 7-अप तूफान एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे कतिपय पशु व्यापारियों को लूटने का प्रयास किया गया यात्रियों के द्वारा प्रतिरोध करने के फलस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए। थाना जी0 आर0 पी0 मुगलसराय पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना से 6 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से चार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

36--श्री राम स्वरूप वर्मा--

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।)

जिला जालौन के कन्धौरा-चतेला एवं कन्धौरा-इकोला मार्ग, का निर्माण

37--श्री शंकर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जालौन जनपद के कालपी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम चतेला से जलालपुर ग्राम हरचन्दपुर से इकौना तथा ग्राम लहरा से भेड़ी जाने वाली सड़कों को शासन से निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी तथा उक्त मार्गों पर कार्य न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

ग्राम चतेला से जलालपुर तथा ग्राम हरचन्दपुर से इकौना तक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति क्रमशः कन्धौरा-चतेला मार्ग तथा कन्धौरा-इकौना मार्ग के नाम से, मिट्टी के कार्य हेतु मार्च 1980 में दी गई थी । ग्राम लहरा से भेड़ी मार्ग पर मिट्टी का कार्य सितम्बर 1979 में तथा पुल/पुलियों और खंड़जा लगाने का कार्य मार्च 1980 में स्वीकृत किया गया ।

इन मार्गों पर काफी मात्रा में मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है। खाद्यान्न की कमी तथा सीमेन्ट व ईंट उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है।

बेहटा ब्लाक, जिला सीतापुर के अध्यापकों के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

38--श्री मुख्तार अनीस--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के बेहटा ब्लाक के उप-विद्यालय निरीक्षक को तथा जिलाधिकारी सीतापुर को दिनांक 26-5-80 को ब्लाक के कुछ अध्यापकों की शिकायत लिखित रूप से भेजी थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

बेहटा ब्लाक, जनपद सीतापुर के कुछ अध्यापकों के विरुद्ध कोई शिकायत दिनांक 26-5-80 को उप-विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर को व जिलाधिकारी सीतापुर को प्राप्त नहीं हुई।

सीतापुर जिले के कतिपय ब्लाकों में सड़कों का निर्माण

39--श्री मुख्तार अनीस--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के रऊसा ब्लाक, बेहटा ब्लाक और सकरन ब्लाक में वर्ष 1977-78 एवं 1979 में शासन द्वारा कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं और उन पर कितना कार्य सम्पन्न हो चुका है और कितना शेष है तथा बाकी कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 892 पर।)

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा विद्यालयों को किया गया भुगतान

40--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1979-80 में कितना पुराना एरियर तथा नया भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन भुगतान किया गया है और यह कितने दिनों पुराना बकाया पड़ा था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री संजय गांधी के मृत्यु के अवसर पर गोण्डा नगर में दुकानें बन्द किये जाने के सम्बन्ध में मार पीट

41--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दिनांक 24 जून, 1980 को युवा नेता संजय गांधी की मृत्यु के सन्दर्भ में गोण्डा नगर में दुकानें बन्द करते

समय कांग्रेस (आई) कार्यकर्ता और दुकानदारों के बीच मार पीट हुई थी जिसकी वजह से नगर में धारा 144 लगाना पड़ा ? यदि हां, तो इस घटना में कितने लोगों को गम्भीर चोटें आई, कितनी दूकानें लूटी गईं, कितने लोग हिरासत में लिए गए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-6-80 को तो नहीं परन्तु 23-6-80 को दुकानें बन्द करने के प्रश्न पर झगड़ा हो गया था जिसके कारण 7 दिनों के लिए नगर में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। केवल दो व्यक्तियों को कुछ चोटें आईं। दुकान कोई नहीं लूटी गई तथा कोई भी व्यक्ति बन्दी नहीं बनाया गया।

प्रशिक्षण प्राप्त सुपरवाइजरों की राज्य विद्युत् परिषद् में नियुक्ति

42—श्री बदन सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि सन् 1976-77 में अन्डर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया स्कीम द्वारा प्रशिक्षित सभी अप्रेन्टिस सुपरवाइजरों को अभी तक नौकरी प्रदान नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों और उन सबको कब तक नौकरी दे दी जायगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वर्ष 1976-77 में अप्रेन्टिस (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1973 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये लगभग 175 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है। प्रश्नगत अप्रेन्टिस सुपरवाइजरों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अवर अभियन्ता के पद रिक्त न होने के कारण अब तक नियुक्त नहीं किया जा सका है। परिषद् में कार्यरत सभी निम्न पदस्थ डिप्लोमाधारियों के अवर अभियन्ता के पद पर समायोजित हो जाने के पश्चात्, रिक्त स्थान होने पर प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस सुपरवाइजरों को अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त करना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम बगरा, जिला जालौन के राजकीय इन्टर कालेज की इमारत

43—श्री दलगंजन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में ग्राम बगरा के माध्यमिक राजकीय इन्टर कालेज की इमारत के लिए काफी अर्सा पूर्व धनराशि स्वीकृत हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ और क्या प्रस्तावित निर्माण के लिए टेन्डर मांगे गए ? यदि नहीं, तो क्यों और अब यह निर्माण कार्य कब से शुरू होने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां। बुन्देलखण्ड में काली मिट्टी होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मिट्टी का परीक्षण होना आवश्यक है। मिट्टी के परीक्षण के पूर्ण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अगस्त 1981 से कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

गोरखपुर जिले के विद्यालयों मे पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी एवं अध्यापक

44—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक एवं गैर शिक्षक पदों पर भर्ती हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था रही है? यदि हां, तो शासनादेशों के बाद कितने पिछड़ी जाति व अनसूचित जाति के लोग क्रमशः उपरोक्त पदों पर भर्ती किए गए और प्रतिशत इस समय क्या रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। सूचना एकत्र की जा रही है।

तम्बौर, जिला सीतापुर में अस्पताल का निर्माण

45—श्री मुख्तार अनीस—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माण निगम के अधीन तम्बौर (सीतापुर) में अस्पताल का निर्माण हो रहा है? इस अस्पताल के कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तम्बौर (सीतापुर) के भवनों के निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा स्थल के निरीक्षण के उपरान्त तैयार किये गये पुनरीक्षित आगणन की जांच मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। मुख्य अभियन्ता से आगणन प्राप्त होने पर उसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य अक्तूबर, 81 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जौनपुर जिले के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के पद एवं नियुक्ति

46—श्री जंग बहादुर सिंह तथा श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिए कितने अध्यापकों की स्वीकृति प्रदान की गई है और कितने स्थानों पर अध्यापक रखे गये हैं और स्वीकृत स्थानों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद जौनपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के लिए 7033 पद स्वीकृत हैं, जिसके विपरीत 6925 पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं। इस प्रकार 108 रिक्त पद होते हैं, किन्तु अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शासन ने 40 छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति का मानक निर्धारित किया है। इस मानक के आधार पर जो पद रिक्त हैं, उन पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

टाण्डा, जिला फैजाबाद में तापीय परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि और भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

47--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद थर्मल प्रोजेक्ट निर्माण हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद फैजाबाद की 4 × 110 मेगावाट टांडा तापीय परियोजना के निर्माण हेतु योजना आयोग भारत सरकार द्वारा कुल 159·25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से मार्च, 1980 के अन्त तक 21·51 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 1980 व जुलाई, 1980 के बीच इस परियोजना पर व्यय करने के लिये 2.23 करोड़ रु0 की धनराशि अवमुक्त (रिलीज) की जा चुकी है। इस प्रकार कुल व्यय अनुमानतः 23.74 करोड़ रुपये है।

48--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में थरमल पावर प्रोजेक्ट, टान्डा, परियोजना निर्माण हेतु किसानों की कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई तथा अधिग्रहीत भूमि मकान, बाग, कुआं, आदि नलकूप आदि का सम्पूर्ण प्रतिकर किसानों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद फैजाबाद में थरमल पावर प्रोजेक्ट टान्डा परियोजना के निर्माण हेतु 959·538 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। उक्त अधिगृहीत भूमि, मकान, बाग, कुंआं, नलकूप आदि सहित रु0 1,33,09,701.61 प्रतिकर निर्धारित किया जा चुका है जिसमें से रु0 1,28,43,050.73 का वास्तविक वितरण सम्बन्धित व्यक्तियों को किया जा चुका है। केवल ऐसे किसानों को भुगतान करना अवशेष है जो अनेकों अवसर देने के बावजूद भी अभी तक प्रतिकर लेने उपस्थित नहीं हुये हैं तथा कुछ मामलों में भूमि विवादग्रस्त होने के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में सड़कों का निर्माण

49—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में कुल कितनी किलोमीटर लम्बी तथा कौन-कौन सी सड़कें खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1980 तक विभाग द्वारा बनायी गयीं ? तथा उनमें से कौन-कौन सी तथा कुल कितनी किलोमीटर लम्बी सड़कें सोलिंग अथवा पिच हो गयी हैं और कौन-कौन सी बाकी हैं तथा इन्हें सोलिंग अथवा पिच कब तक किया जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

(अ) संलग्न सूची† के अनुसार 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1980 तक खाद्यान्न योजना 2, 3, 4 व 5 एवं सूखा योजना के अन्तर्गत 323 कि0मी0 में से 244 कि0मी0 मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(ब) खाद्यान्न योजना 2, 3, 4, 5 के अन्तर्गत स्वीकृत 239 कि0 मी0 में से 102 कि0मी0 में सोलिंग हो गई है । खाद्यान्न योजना 2 व 3 में अभी कोई भी कि0 मी0 पिच 'लेपित नहीं हुआ है । योजना 2 और 3 के लिए सड़कों को पिच करने की स्वीकृति शासन द्वारा जारी की गई है परन्तु योजना 4 और 5 के लिए केवल सोलिंग तक कार्य करने की स्वीकृति जारी की गई है । सूखा योजना की सड़कों पर केवल मिट्टी का कार्य स्वीकृत है ।

(स) जिन मार्गों पर अभी सोलिंग अथवा पिच 'लेपन' नहीं हुआ है, उसकी सूची परिशिष्ट 1 में उपलब्ध है । सोलिंग लगाने की तथा पिच लेपन करने की लक्ष्य तिथि भी परिशिष्ट 1 में अंकित कर दी गई है । जो धन तथा डामर की उपलब्धि पर निर्भर करेगी ।

आजमगढ़ जिले के महुला-गडबल बांध को पक्का किये जाने की मांग

50—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घाघरा के किनारे बने महुला-गडबल बांध को सिंचाई विभाग से लेकर पक्का कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो, क्या शासन उस पिछड़े क्षेत्र की यातायात की समस्या को ध्यान में रख कर इस पर विचार करेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

† छापी नहीं गयी ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में स्टेनोग्राफी-कम-सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के जूनियर लेक्चरर का वेतन मान

51—श्री बाबूराम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समान स्तर के द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों में स्टेनोग्राफी कम सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस डिप्लोमा, कस्ट्यूम डिजाइन एवं कामर्शियल प्रैक्टिस के विषयों के अध्यापकों का पद नाम मूल रूप में 1963 में जूनियर लेक्चरर तथा वेतनमान रु0 200-450 था और आज (1980) में उक्त पद नाम को लेक्चरर नान इंजीनियरिंग, लेक्चरर तथा जूनियर लेक्चरर के नाम से परिवर्तित करके उनका वेतनमान 550-1200, 400-750 तथा 325-575 किया गया है ? क्या यह सही है कि इसमें स्टेनोग्राफी कम सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के जूनियर लेक्चरर्स को सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां तो इसका आधार क्या है ? क्या सरकार समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर इस विषमता को शीघ्र दूर करेगी अथवा करने हेतु वेतन आयोग को भेजेगा ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्न में इंगित तीन, दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में से केवल स्टेनोग्राफी-कम-सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का पाठ्यक्रम ही वर्ष 1963 में चल रहा था। इस पाठ्यक्रम में जूनियर लेक्चरर हिन्दी/अंग्रेजी का वेतनमान रु0 200-450 तथा जूनियर लेक्चरर हिन्दी तथा अंग्रेजी स्टेनोग्राफी एवं टंकण का वेतनमान रु0 120-300 था। इन पदनामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उनका वर्तमान वेतनमान पुनरीक्षित करके क्रमशः रु0 400-750 व रु0 325-575 किया गया है।

स्टेनोग्राफी-कम-सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के पाठ्यक्रम में जूनियर लेक्चरर हिन्दी/अंग्रेजी पद का वेतनमान कस्ट्यूम डिजाइन तथा कामर्शियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रमों जो क्रमशः 1972 व 1975 में चलाये गये थे, के जूनियर लेक्चरर के वेतनमान के समान हैं। केवल जूनियर लेक्चरर स्टेनोग्राफी एवं टंकण (हिन्दी/अंग्रेजी) के पद का वेतनमान कम है। इस पद की अर्हतायें कस्ट्यूम डिजाइन तथा कामर्शियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रमों में इन्स्ट्रक्टर के पद के लिये निर्धारित अर्हताओं के स्तर की हैं जिनका वेतनमान भी रु0 325-575 है। अतः विषमता तथा वेतन आयोग की कोई संस्तुति भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इन्टर कालेज, बनकोट, जिला पिथौरागढ़ के अध्यापकों का वेतन निर्धारण

52—श्री बाबूराम—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, बनकोट (पिथौरागढ़) का प्रान्तीकरण फरवरी, 1975 को हुआ था, क्या यह भी सही है कि उक्त कालेज के 19 अध्यापकों के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय धनराशि (1-2-75 से सितम्बर 77 तक) 50,000 का भुगतान अभी तक कि उक्त अध्यापकों को नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों और धनराशि का भुगतान कब तक हो जायेगा ? तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

फरवरी, 1975 से सितम्बर, 1977 तक के अवशेष वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि उक्त धनराशि के अवशेष वेतन बिल नवम्बर, 1977 में राजकोष, पिथौरागढ़ में प्रस्तुत किये गये, परन्तु कोषाधिकारी ने बिलों को इस आपत्ति के साथ वापस कर दिया कि वे एक वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं, अतः अवशेष वेतन बिल महालेखाकार से आडिट कराये जायं। इस आपत्ति के आधार पर प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, बनकोट द्वारा नवम्बर, 1977 में अवशेष वेतन बिल प्रि-आडिट हेतु महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजे गए। महालेखाकार द्वारा कई बार ये बिल आपत्ति लगा कर प्रधानाचार्य, को वापस किये गये। प्रधानाचार्य ने महालेखाकार की आपत्तियों का निराकरण करके बिलों को चौथी बार महालेखाकार, को भेजा है। महालेखाकार द्वारा बिलों का प्रि-आडिट कर दिये जाने के उपरांत ही अध्यापकों को अवशेष वेतन का भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।

इस प्रकार यह मामला महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद एवं प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, बनकोट के बीच पत्र व्यवहार के अधीन लम्बित रहा।

जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले आगरा निवासी श्री अशोक जैन की जान को खतरा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की माननीय सदस्यों द्वारा 14 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5 स्वीकृत की गयी हैं।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आगरा शहर के सी0-12 अशोकनगर निवासी श्री अशोक जैन ने अपने पड़ोसी श्री अशोक मेहता निवासी सी0-13, अशोक नगर, आगरा के विरुद्ध 17 जून, 1980 को लोहा मण्डी थाना, आगरा में एक रिपोर्ट लिखाई जिसमें उसने श्री अशोक मेहता का सम्बन्ध एक ऐसे जाली नोट छापने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से बताया जो चीन में छापे जा रहे भारतीय करेंसी नोटों को चलाने में संलग्न है। साथ ही इसमें अमरीका का भी सहयोग है। अशोक जैन के अनुसार लगभग 86 अरब की जाली करेंसी भारत में फैली है। कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास में इनके लेन देन के केन्द्र हैं उनमें से पांच-पांच रुपये के समान सीरीज वाले दो नोट श्री जैन ने प्रमाण स्वरूप मुझे प्रदान किये हैं जिनकी फोटोस्टेट कापी मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। और उसने शिकायत की है कि इस गिरोह द्वारा वह स्वयं भी 33 हजार रुपये से ठगा जा चुका है। आगरा की पुलिस द्वारा अशोक मेहता से मिल कर इस महत्वपूर्ण मामले पर पर्दा डाला जा रहा है और श्री जैन को श्री मेहता एवं इस गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा जान से मारने की

[श्री बदन सिंह]

धमकी दी जा रही है । शासन से मेरी मांग है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था को एक गहरा धक्का देने वाली इस षड़यन्त्र की जांच सी0 बी0 आई0 से कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करें तथा इस बीच श्री जैन द्वारा इंगित व्यक्तियों को अविलम्ब हिरासत में ले लिया जाय जिससे अपराधी विलम्ब का लाभ न उठा सकें और षड़यन्त्र का पर्दाफाश हो सके । मान्यवर, यह उसकी फोटो स्टेट कापी है नोटों की । मूल नोट आपको दिखा चुका हूं । यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

श्री चन्द्रिका पासी (हरिजन), निवासी ग्राम चमरतलिया, थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ की पुलिस पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । गत दिनांक 1-9-80 को पुलिस की पिटाई से चन्द्रिका पासी (हरिजन) निवासी ग्राम चमर तलिया, थाना गोसाईगंज की मृत्यु हो गयी । प्राप्त सूचना के अनुसार गोसाईगंज थाना के अन्तर्गत पुलिस चौकी अमेठी, जनपद लखनऊ की पुलिस ने रात्रि में अचानक छापा मार कर घर पर ही उसकी जम कर पिटाई करने लगे और इतना अधिक पीटा कि वह चलने लायक ही न रह गया । उसे थाने लाने के लिये खड़खड़े पर लाद कर ला रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी । इस घटना एवं पुलिस की तानाशाही प्रवृत्ति एवं आतंक के कारण रोष एवं क्षोभ क्षेत्र की जनता में व्याप्त है ।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस घटना की जांच गोपनीय विभाग द्वारा करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो तथा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस घटना पर अविलम्ब वक्तव्य की मांग करता हूं ।

फैजाबाद जनपद की अकबरपुर तहसील के कतिपय ग्रामों में अतिवृष्टि से क्षति तथा अपर्याप्त सहायता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद जो कि जनपद की सबसे बड़ी तहसील है जिसमें तीन सौ आठ गांव हैं । आज की स्थिति में उक्त तहसील में 500 से ऊपर गांव व कस्बा अकबरपुर अतिवृष्टि एवं जलप्लावन से डूब चुके हैं । हजारों मकान, लाखों की फसल व जन-जीवन मवेशी, मौत के शिकार हो चुके हैं । सहायता के नाम पर दिनांक 2-9-80 तक केवल 20, 25 रुपये की दर से कुछ परिवारों को सहायता दी गयी है । केवल एक बार दिनांक 2-9-80 को मेरे आग्रह पर जिलाधीश महोदय ने क्षेत्र का दौरा किया था । ऐसा मालूम पड़ता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि सरकारी मशीन किंकर्तव्यविमूढ़ है । कस्बा अकबरपुर का एक बड़ा हिस्सा तमसा नदी की बाढ़ से डूब चुका है । ऐसी उपरोक्त परिस्थिति में सरकार जिलाधीश को मौके पर सहायता कार्य देखने का आदेश दे और अधिक से अधिक सहायता द्रुत गति से डूबे हुए गांवों में अविलम्ब पहुंचाने का आदेश यदि नहीं करती है तो निश्चित रूप से और शीघ्र ही वहां की अधिकांश आबादी व जानवर भुखमरी का शिकार होने लगेंगे ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के छात्रों के दो गुटों में संघर्ष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, सहारनपुर में बी0 ए0 एम0 एस0 की कक्षायें लगभग एक महीने से बन्दी हैं । छात्रों के दो दलों में हुए संघर्ष जिसमें आग्नेय अस्त्रों का खुल कर प्रयोग किया गया और उसमें घायल एक छात्र की हालत अब भी चिन्ताजनक है, के कारण विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है । आयुर्वेदिक कक्षायें राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं किन्तु वहां स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति न होने के कारण अराजकता का साम्राज्य है । छात्रों तथा अभिभावकों में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है । आयुर्वेदिक कक्षायें बन्द कर दिये जाने के कारण छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । राज्य सरकार से हमारी मांग है कि यहां घटित घटनाओं का उच्च स्तरीय जांच कराया जाय । आयुर्वेदिक कक्षायें तत्काल प्रारम्भ की जायें तथा संस्था को सुचारूरूप से संचालित करने के लिए स्थायी प्राचार्य की तत्काल नियुक्त की जाये ।

सुल्तानपुर जनपद में भयानक बाढ़ से तबाही की स्थिति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जैराज गौतम—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । वर्तमान परिस्थितियों में सुल्तानपुर जनपद में जून के प्रथम सप्ताह से लेकर आज तक लगातार घनघोर अति वृष्टि से पूरा जनपद तबाही की गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है । श्रीमन्, जनपद की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जनपद के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की दूरी 128 किलोमीटर, दक्षिण सीमा से उत्तर की सीमा लगभग 60 किलोमीटर है । इस जनपद के बीचों-बीच सीने को चीर कर पश्चिम से पूर्व की ओर गोमती नदी जनपद के पश्चिमी ओर जगदीशपुर विकास खण्ड के आम घाट से चार किलोमीटर पश्चिम से कादीपुर विकास खण्ड के पूर्वी छोर पर रमनियां गजहनपुर तक घुमावदार तरीके से लगभग 200 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र को रौंदती हुई विकास क्षेत्र जगदीशपुर, बल्दीराम, धनपतगंज, मुसाफिरखाना, कुड़ेभार, दूबेपुर, भदैया, जयसिंहपुर, लम्भुवा, दोस्तपुर, प्रतापपुर, कमैचा एवं कादीपुर तक जनपद के 19 विकास क्षेत्रों में से 12 विकास क्षेत्रों को अपना भयंकर विनाश लीला का शिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जैराज गौतम—]

बनाये हुए हैं। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त विशेष कर कादीपुर विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं उसके दक्षिण में आदि गंगा गोमती की प्रलयंकारी बाढ़ उत्तर से मझुई नदी का भीषण जलप्लावन जिससे हजारों परिवार बेघरबार हो गये। पूर्व में कुंवर नदी ने लोगों का अमन चैन छीन लिया है।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में इन नदियों के विनाशकारी बाढ़ के अतिरिक्त क्षेत्र में पड़ेला, धतूरहा, कन्हाई, बसनपुर, ठाड़सहन, जमदहा, हौद तथा मिलमपुर के तालाबों ने भी अपनी भीषण बाढ़ की लपेट में हजारों परिवारों तथा उनके पशुओं को भुखमरी के गर्त में डाल दिया है। जगह-जगह नहरों तथा सड़कों की वजह से इस समय जनपद का हर गांव जलभराव से पूरी तरह प्रभावित है। श्रीमन्, जनपद की 95 प्रतिशत फसलें लगातार तीन बार इनकी भयंकर बाढ़ एवं जलभराव से नष्ट हो चुकी हैं पशुओं के चारे की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। संक्रामक रोगों का जनपद में प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सुल्तानपुर जनपद को बाढ़-ग्रस्त घोषित करके जनपद के सारे किसानों के लगान तथा छात्रों की फीस माफ कर दें तथा उनके पशुओं के चारे की व्यवस्था, संक्रामक रोगों से रक्षा के लिए औषधियों की व्यवस्था, मकान निर्माण हेतु उचित अनुदान, लोगों को पिछले बार सूखे और इस बार बाढ़ के कारण भुखमरी से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोटे द्वारा राशन की व्यवस्था तथा युद्ध स्तर पर राहत कार्य किये जायें।

अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था कहां से आ गयी ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

इस सदन में अभी तक यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष का जो निर्णय होता है चाहे वह प्रश्नों के बारे में हो या अन्य किसी भी सम्बन्ध में हो, उसके सम्बन्ध में कोई सदस्य यह नहीं कहता था कि आपने गलत निर्णय लिया या किया। आज अभी सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा ऐसा कहा गया है। मैंने उसी समय यह कहा था, शायद आपने सुना न हो कि यह सदन का अवमान है और मैं इसे विशेषाधिकार के रूप में रखता हूं। अगर कोई सदस्य ऐसा करते हैं तो वह अवमान करते हैं। अगर उन्हें कुछ कहना था तो वह आपके कक्ष में जाकर बात करते। सदन में यह नहीं होना चाहिए कि आपके खिलाफ कहने लगें। कृपया इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर पहले ही प्रश्न उठा था। मैंने कहा कि जो प्रश्न स्वीकार कर लये गये थे उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है । वैसा कोई सदस्य नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई सदस्य नहीं कह सकता, यह बताने का प्रश्न नहीं है । मेरा विश्वास है सभी सदस्य जानते हैं । अगर कोई सदस्य नहीं जानता तो अपने ध्यान दिला दिया । मैं भी ध्यान दिला देता हूं कि जानना चाहिये ।

पुलिस अधीक्षक, बदायूं, श्री जी० एल० शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न बहुत पहले उठाया गया था । मैंने माननीय फखरे आलम को आश्वासन दिया था कि मैं उस पर उनको सुनूंगा जब कोई निर्णय लूंगा ।

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर)

आप बैठ जायें । प्रश्न उपस्थित कर दूं ।

श्री फखरे आलम, सदस्य, विधान सभा ने 24 जुलाई, 1980 को पुलिस अधीक्षक, बदायूं, श्री जी० एल० शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह शिकायत की कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में उठाये गये एक मामले के प्रसंग में पुलिस अधीक्षक, बदायूं ने उन्हें यह धमकी दी कि "आपने जसवन्त नगला के मामले को एसेम्बली में उठाकर अच्छा नहीं किया, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ।" मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी की । माननीय मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र से जांच कराकर उनकी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि मेरे पास भेजी है और श्री फखरे आलम द्वारा गृह सचिव को लिखे गये पत्र और विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना में कही गयी बातों में विरोधाभास इंगित किया है ।

चूंकि इस मामले के तथ्य विवादास्पद हैं और स्वयं माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचनाओं में विरोधभास है, अतः मैं इस प्रश्न की ग्राह्यता पर निर्णय देने से पूर्व, माननीय श्री फखरे आलम एवं अन्य संबंधित सदस्यों को सुनना चाहता हूं । माननीय श्री फखरे आलम इस प्रश्न के विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में ग्राह्य किये जाने के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें ।

*श्री फखरे आलम—

अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, ग्राम जसवंत नगला मजरा ग्राम जाटी, थाना उसेहत, जिला बदायूं में मई, 1980 में तारीख 12-5-80 को पुलिस थाना उसेहत द्वारा जबरदस्ती मूंगे लाल एवं श्यामलाल, मल्लाह (धीमर) . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि गृह सचिव को लिखे गये पत्र में विरोधाभास हो गया । माननीय सदन को मालूम हो जाये कि क्या विरोधाभास हो गया, तो आसान हो जाये कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर प्रागदर्शन बनता है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

दोनों पत्र जो आये हैं उन पत्रों को आप देख लें । दोनों पत्र पढ़ देता हूं या उन पत्रों की प्रतिलिपि चाहिये ?

श्री रियासत हुसेन--

आप पढ़ दीजिये । मालूम हो जायेगा कि क्या विरोधभास है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा निवेदन है कि माननीय श्री फखरे आलम साहब ने जो विशेषाधिकार की सूचना दी है, उन्होंने आपके सामने कई तथ्य प्रस्तुत किये, जिसको अपने सदन के सामने पढ़कर सुनाया । उससे यह बात सामने आई कि विधान सभा में इनके द्वारा किये गये काम के सम्बन्ध में इन पर दबाव डालने की चेष्टा सरकारी अधिकारी ने की ।

मान्यवर, वह जानकारी आपके पास पहुंच गयी । हमारे विशेषाधिकार और सामान्य नागरिक के विशेषाधिकार एक ही होते हैं । लेकिन केवल इतना फर्क होता है कि सदन में जो हमारा काम है उस काम में अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस काम के लिए प्रभावित करता है तो वह विशेषाधिकार के अंतर्गत आ जाता है । सदन में माननीय सदस्य ने एक बात कही, गलत कहा या सही कही वह तो अलग तय होगा लेकिन प्रागदर्शन से यह सिद्ध होता है कि सदन में उन्होंने जो कुछ अपने वाक् स्वातंत्र्य का उपयोग करते हुये कहा उसके लिए राज्य कर्मचारी ने प्रभावित करने की चेष्टा की ।

श्री अध्यक्ष--

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो जो सूचना उन्होंने गृह सचिव को दी है उसका इससे कोई मतलब नहीं है । उस पत्र पर कोई विचार न करते हुये हम फखरे आलम के पत्र पर विचार कर सकते हैं ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, ग्राम जसवंतनगला मजरा ग्राम जाटो थाना उसेहत, जिला बदायूं में मई, 1980 में तारीख 12-5-80 को पुलिस थाना उसेहत द्वारा जबरदस्ती मूंगेलाल, श्याम लाल मल्लाह (धीमर) के घर में घुसकर उनकी औरतों को परेशान करने, धमकाने और शरीर पर पीसी हुई मिर्चे लगाने और भरने का काण्ड हुआ था

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिसकी ओर जिले के पुलिस अधिकारियों को ध्यान दिलाया गया था मगर कोई कार्यवाही उस सिलसिले में उस पुलिस सब-इंस्पेक्टर श्री के० पी० सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक, बदायूं ने नहीं किया।

इस मामले को मैंने महामहिम राज्यपाल के भाषण पर चर्चा करते हुये असेम्बली (सदन) में उठाया। मामला अधिक गंभीर था और निर्बल वर्ग पिछड़े वर्ग को पुलिस द्वारा सताये जाने से संबंधित था। इस वजह से जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इस विषय को विधान सभा में उठाकर मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया।

यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अब यह मामला सी० आई० डी० को दिया गया है और मामला सही पाया गया।

जब मैं बदायूं 19-7-80 को पहुंचा तो 20-7-80 को दोपहर में पुलिस अधीक्षक बदायूं (एस० पी०) श्री जी० एल० शर्मा ने टलीफोन की बातचीत पर मुझसे यह कहा कि आपने जसवंतनगला के मामले को असेंबली में उठाकर अच्छा नहीं किया उसके परिणाम आपको भुगतान पड़ेगा और फिर जोर के साथ अंग्रेजी में मुझसे कहा 'आई हैव वाड्ड पॉवर्स टू कर्ब यू डाउन' और मुझको धमकियां दीं। इससे पहले 13-7-80 को श्री मलिक, इंचार्ज थाना, उसेहत, जिला बदायूं के द्वारा एस० पी० ने मुझसे कहलवाया था कि इस मामले पर जोर न दिया जाय और असेम्बली में मजीद चर्चा न की जावे वरना इसके परिणाम आपके (यानी मेरे) लिए अच्छे न होंगे।

जिस समय टेलीफोन पर श्री जी० एल० शर्मा, पुलिस अधीक्षक, बदायूं ने मुझे उक्त धमकियां दी थीं और मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे कार्यों में बाधा डाल रहे हैं और मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और सदन का अपमान कर रहे हैं तो उस समय श्री वाहिद उल्ला खां, एडवोकेट व श्री सुभाष चन्द्र, एडवोकेट और कई अन्य आदमी मौजूद थे।

दिनांक 21-7-80 को एस० पी० बदायूं के कार्यालय में जिले के विधायकों की मीटिंग में भी श्री जी० एल० शर्मा, पुलिस अधीक्षक (एस० पी०), बदायूं ने इस बात को दोहराया और अन्य बातें भी हुयीं और गरमा-गरमी से बातें हुयीं और श्री जी० एल० शर्मा, एस० पी० ने इंसपेक्टर कोतवाली, बदायूं को बुलाकर यह आदेश दिया कि ये विधायक जिले के मामलात असेंबली में बहुत उठाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लो और उसके बाद करीब आधा घंटा अपने दफ्तर में पुलिस की कस्टडी में बिठाये रखा।

श्री जी० एल० शर्मा, एस० पी० बदायूं ने मेरे विशेष अधिकार जो असेम्बली के अन्दर हैं, उनका हनन किया है और सदन का अपमान (कंटेम्प्ट) भी किया है।

अतः मैं श्री जी० एल० शर्मा, पुलिस अधीक्षक (एस० पी०), बदायूं के विरुद्ध अपने विशेष अधिकारों की अवहेलना तथा सदन के अपमान का प्रश्न उठाता हूं।

[श्री फखरे आलम--]

मान्यवर, उसके बाद भी उनकी बराबर धमकियां जारी हैं और वह धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि पुलिस के खिलाफ कोई बात न कह सके और पुलिस की हालत उस जिले में जो हो रही है उसकी नोटिस मान्यवर, आपके नलेज में मैं ला चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि वहां क्या-क्या हुआ। जो भीखमपुर में हुआ, जिसको श्री रियासत हुसैन ने कहा कि एक इंस्पेक्टर गड़रिया के घर में घुस गया और घर की महिला के साथ बलात्कार करना चाहा जिस पर कार्यवाही हो रही है। पुलिस अधीक्षक उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार वहां ऐसा अत्याचार का वातावरण पैदा कर दिया है, एस० पी०, बदायूं ने कि जिससे ऐसा मालूम होता है कि एस० पी० को राजा, बादशाह बदायूं में मुकर्रर कर दिया गया है। एस० पी०, बदायूं नहीं चाहता है कि कोई उनके बारे में कुछ कहे। मान्यवर, उनका रेकार्ड आपके यहां मौजूद है जिसको देखने से मालूम होता है कि वह जिस जिले में रहे हैं वहां बराबर झगड़ा करते रहे हैं। कुछ लोग वहां ऐसे हैं जिनको उन्होंने अपने काबू में कर रखा है, और वह लोग ऐसे हैं जो असर रखते हैं और यदि चाहें तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन असरदार लोगों को वह ओब्लाईज करते हैं। मान्यवर, आप और मुख्य मंत्री इसकी जांच करायें तो मालूम होगा कि उनके काम करने का तरीका यही है कि लोगों को सतायें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, आप से अनुरोध है कि इस प्रश्न को आज स्थगित कर दें चूंकि मुख्य मंत्री सदन में नहीं हैं और यह चर्चा उन्हीं के सम्मुख रखी जाय तो संभवतः ज्यादा उचित होगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह पूरे सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। इससे मुख्य मन्त्री को कोई खास मतलब नहीं है। मुख्य मन्त्री के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जी यहां हैं और इस सदन की पुरानी परम्परा रही है कि माननीय सदस्य जो अपने से संबंधित बात कहते हैं तो उसको सत्य माना जाता है, यदि उसके विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत न किये जायें। सदन में माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि यहां जनहित से संबंधित प्रश्नों को उठायें और उसके लिए कोई शक्ति बाहर हमको बाधा उपस्थित करती है तो उसके संबंध में हम यहां प्रश्न उठाते हैं और यदि हमारा प्रश्न नियम विरुद्ध होता है या माननीय सदस्य की बात में असत्यता होती है तो माननीय सदस्य को दंडित करने का आदरणीय सदन का और मान्यवर, आपका अधिकार है। इसलिए इस विशेषाधिकार के क्षेत्र में बाहरी शक्ति की दखलंदाजी की परम्परा नहीं है, अतः इसको विशेषाधिकार समिति को मान्यवर, सौंप दें और जो तथ्य हैं वह सामने आ जायेंगे।

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं सदन की भावना का स्वागत करता हूं और यह सत्य है कि सदन की मर्यादा रखने का दायित्व आप पर है और आपके माध्यम से शासक दल पर है, इसमें दो राय नहीं है। मेरा अनुरोध था चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे माननीय सदस्य से संबंधित है, उनपर अविश्वास की बात नहीं है, इसलिए मान्यवर, आपसे और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस प्रश्न को उस समय उपस्थित करें, कल या परसों, जब मुख्य मन्त्री आ जायं जो ज्यादा उचित होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, बदायूं इसको वाद-विवाद का प्रश्न यहां न बनायें, यह मेरा निवेदन है विवाद इस पर नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उस के सम्बन्ध में आप कहें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, वह हो सकता है। वैसे इस में मुख्य मंत्री जी का प्रश्न आता नहीं क्योंकि उनका जवाब आ चुका है। यह निर्णय आप को करना है। मुख्य मंत्री जी को नहीं करना है। आप ने बताया कि मुख्य मंत्री जी ने डी0 आई0 जी0 के द्वारा कोई इनक्वायरी कराई। प्रश्न यह है कि फखरे आलम साहब ने जो बात कही है उस में तीन बातें...

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता, विरोधी दल ऐसा है कि अगर विवाद चला तो सब बातें कहने का अवसर मिलेगा। यह तो माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव के बारे में मैंने जानना चाहा था कि नेता, विरोधी दल की क्या राय है....

कुमारी उर्मिला अग्निहोत्री--

बहुत गम्भीर प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी है...

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न जो माननीय मंत्री जी ने उठाया..

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जो तिथि आप निर्धारित करें उसे सदन को बता दें ताकि मालूम पड़ सके..

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने सुझाव दिया और आप सभी माननीय नेता यहां पर हैं। यह कोई ऐसा प्रश्न तो है नहीं। आज भी चल सकता है और कल भी चले तो बहुत भारी परेशानी नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें, मैं अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता, तो 15 सितम्बर को कर दें....

श्री लोक पति--

15 को कर दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है 15 तारीख इस के लिए रख दी है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[12 बजकर 37 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 में निम्नलिखित कार्य स्थगन प्रस्ताव आये थे। माननीय दलगंजन सिंह एवं श्री कुबेर--रामपुर जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा छापा मार कर अवैध हथियार बरामद किये जाने के सम्बन्ध में, दूसरा श्री हरिवंश सहाय का है, दिनांक 8-9-80 को अलीगढ़ में भड़के दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने के सम्बन्ध में, यही माननीय मोहन सिंह जी का भी प्रस्ताव है....

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इस पर..

श्री अध्यक्ष--

श्री नन्द किशोर सिंह का यह था, दिनांक 8-9-80 को जिला देवरिया के रेलवे प्लेटफार्म पर रेल दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। ये सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हुये हैं।

अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मोहन सिंह--

अलीगढ़ की घटना बहुत महत्वपूर्ण और संगीन है...(शोर)...

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं आप से निवेदन कर रहा था जब आप पढ़ रहे थे। आप खड़े थे इस लिए यह मेरे लिए सम्भव नहीं थ। मेरा निवेदन यह था श्रीमन्, कि इस पर अपना निर्णय करने से पहले हमें एक मौका दें कहने का लेकिन श्रीमन्, मुझे दुःख है कि इसके बावजूद आप ने यह ध्यान नहीं दिया। श्रीमन्, आप को याद होगा। श्रीमन्, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जब मुरादाबाद की बहस यहां पर हुई थी तो यह बात रिपिटीडली हमारी तरफ से कही गई थी कि इस समय जो प्रशासन है वह इस साम्प्रदायिक दंगा बनाना चाहता है जब कि एक वर्ग विशेष के साथ पुलिस का झगड़ा हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दंगे को अब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने साम्प्रदायिक बना दिया है, जो ब्रीफ चीफ सेक्रेटरी का श्रीमन् जो आज के सभी अखबारों में निकला है, उसमें यह साबित किया गया है कि यह साम्प्रदायिक दंगा हुआ है। जो अलीगढ़ में कल हुआ वह जिस दिन मुरादाबाद का हमने डिस्कस किया था, उससे भिन्न हो गया। जो झगड़ा हुआ था वह प्रशासन के साथ था एक वर्ग विशेष का, मुस्लिम सम्प्रदाय के साथ हुआ। अब यहां पर जो बात हो रही है, बिलकुल भिन्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम 56 के अन्तर्गत प्रस्ताव की ग्राह्यता बतलायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

वही बतला रहा हूं। यह बजट सेशन चल रहा है आप कहेंगे कि नियम 56 नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन यह ग्रान्ट 1 महीने बाद आयेगी जब इस पर चर्चा हो सकेगी। इतना अहम सवाल यह है और इससे ज्यादा अहम कोई प्रश्न हो

नहीं सकता । प्रशासन ने इसको जानबूझ कर साम्प्रदायिक रूप दे दिया है । इस-लिये इस पर बहस का मौका मिलना चाहिये । लिहाजा इस पर पुनर्विचार आप कर लें ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

नेता विरोधी दल ने मुद्दा उठाया है कि यह साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है, यह प्रशासन के खिलाफ झगड़ा है (व्यवधान) अगर प्रशासन के खिलाफ झगड़ा होता है तो यह विद्रोह की स्थिति है । लेकिन न तो यह विद्रोह है, न कोई साम्प्रदायिक झगड़ा है । मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि दुखद घटना हुई, प्रदेश में कुछ लोगों पर जुल्म हुए। शासन ने उस पर खेद प्रकट किया । मेरा आपसे अनुरोध है कि पुनः इस पर विचार और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं अपना तर्क ग्राह्यता तक ही सीमित रखूंगा, मैं उसके मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता । सबसे पहली बात यह माननीय मंत्री जी ने कही है कि चर्चा हो चुकी है । चर्चा जिन विषयों पर हो चुकी है उससे यह बिलकुल भिन्न घटना है । यह अलीगढ़ में घटना हुई है शासन की जिम्मेदारी है । शासन के द्वारा परिस्थिति को बिगाड़ कर जानबूझ कर झगड़ा कराया जा रहा है । बात यह है कि अलीगढ़ में एक समाचार सरकारी एजेंसी द्वारा दिया गया, उसका पत्रकार गिरफ्तार किया गया । जनता में प्रोटेस्ट हुआ कि सरकार स्थिति को नियंत्रित करने म बिलकुल असफल तथा नाकाम रही है । ऐसी स्थिति में इस पर चर्चा न करना हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण होगा । इससे प्रदेश का जनमानस चिन्तित है । इस पर समय के साथ परिस्थिति को नकारते हुए नहीं हमको विचार करना चाहिये । जो व्यवस्थयें पहले इसी पीठ से दी गयी हैं उनका उदाहरण मैं देना चाहता हूं । 18 जुलाई, 66 से 9 मार्च, 67 के बीच में चार विषयों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव इसी सदन में चर्चा के स्वीकृत हुए । पहला सचिवालय में कर्मचारियों पर लाठी चार्ज, दूसरा है बांदा में पुलिस गोली, तीसरा है प्रदेश छात्र आन्दोलन और चौथा है प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा काम का बहिष्कार । इसके अलावा 2 अगस्त, 1965, से 4 नवम्बर, 1965 तक के कार्य विवरणों में भी प्रदेश के किन्हीं भागों में अनावृष्टि से अकाल एवं सूखे की स्थिति, गोरखपुर में राजकीय उर्वरक कारखाने के फाटक पर प्रदर्शन तथा बदरीनाथ-केदारनाथ के रास्तों के बन्द होने आदि विषयों पर कार्य-स्थगन चर्चायें हुई हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ में जो घटना हुई है वहां कहीं बड़ी विस्फोटक स्थिति न पैदा हो जाय इसलिये आवश्यक होगा कि इस प्रश्न पर आप गम्भीरता से विचार करें । मैं पुनः बल देना चाहूंगा कि यह शासन की नीतियों की असफलता का परिणाम है । इसलिये नियमों के अधीन रहते हुये मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस पर चर्चा करने की आज्ञा दें ।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैं थोड़े समय में अपनी बात कहूंगा । मान्यवर, आपको याद होगा कि जब मुरादाबाद से सम्बन्धित आपके कक्ष में सारे नेताओं की मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में बातचीत हो रही थी तो उस वक्त यह बात चल रही थी कि उस पर चर्चा कब करायें । उस वक्त मैंने कहा था कि शासन यह चाहता है कि उसमें विलम्ब हो ताकि वह अपनी असफलता को छिपा सके और उसको उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

कम्युनल रूप दे दिया । आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शासन ने अपनी इस चीज पर कामयाबी हासिल कर ली है । अलीगढ़ के अन्दर जो घटना हुई और जिस तरह से शासन ने उसे कराया है और अभी वहां के डी० एम० का बयान आया है कि पुलिस ने कोई ज्यादती नहीं की, कोई गोली नहीं चलाई, कोई टियर गैस नहीं छोड़ी गई, जो सफाई दे रहे हैं वह इस बात का सबूत है कि वहां पर 9 आदमी मारे गये हैं और यह सौ फीसदी हिन्दू-मुसलमानों में आपस की लड़ाई है । शासन जो चाहता था, उसमें वह कामयाब हो गया है । श्रीमन्, अगर आप इसमें विचार नहीं करते हैं तो फिर जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और गृह विभाग की मांगों की बहस तो अभी बहुत दिनों बाद होगी और यह शासन प्रदेश को तब तक कहां से कहां ले जायेगा, प्रदेश की जनता इस सदन को क्या समझेगी इसलिये चाहे किसी भी तरीके से, चाहे किसी नियम को निलंबित ही क्यों न करना पड़े, इस अलीगढ़ के मामले के ऊपर चर्चा का आप मौका जरूर दें ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । जब मुरादाबाद की घटना हुई तो उस समय शासन की ओर से कहा गया कि यह हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं है बल्कि यह पुलिस और अल्पसंख्यकों का संघर्ष है । तब से इस प्रदेश की पुलिस इस तिकड़म में है कि यह जो संघर्ष है वह हिन्दू-मुस्लिम दंगे की शक्ल ले ले । जब इलाहाबाद में दंगा हुआ तो मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया कि वह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था । उन्होंने दो वक्तव्य दिये । जब यह प्रश्न सदन के समक्ष आया तो माननीय ब्रह्म दत्त जी ने जो वक्तव्य यहां पर दिया उससे वह साम्प्रदायिक दंगा जरूर हो गया । कल अलीगढ़ में जो 9 व्यक्ति मरे हैं और दर्जनों घायल हुये हैं उसमें मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है । जिस घटना में इतने व्यापक पैमाने पर लोग मारे जायं और सरकारी सूत्र के हवाले से अगर कोई समाचार प्रसारित कर दे तो उस अधिकारी की एवज में वहां पर दो पत्रकारों को गिरफ्तार कर दिया गया और उन दो पत्रकारों की गिरफ्तारी से वहां उत्तेजना हो गयी और ऐसे मौके पर जब कि पूरे प्रदेश में एक सद्भावपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी थी, कानून व्यवस्था सुधर रही थी, सेना वापस भेजी जाने वाली थी और उनकी तस्वीर भी छपने लगी थी । लेकिन फिर क्यों कल ऐसी स्थिति पैदा हो गयी । मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन अलीगढ़ की अकर्मण्यता और प्रशासनिक अक्षमता से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है । इसी अक्षमता के कारण वहां पर कितने ही लोग मारे गये हैं और कई घायल हो गये हैं । जानबूझ कर मुआवजा न देना पड़े सरकार को, मरने वालों की संख्या कम बताई है । मरने वालों की संख्या निश्चित तौर पर अधिक है । नियम 56 में इससे कम महत्व के सवालों पर भी चर्चा हुई है । छुटपुट हाथापायी, पुलिस द्वारा बल प्रयोग आदि मामलों पर यह स्वीकार हुआ है । लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर लोग मारे गये और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाय और सदन इस पर विचार जानने से रह जाय यह उचित नहीं है । यह सदन का कर्त्तव्य है कि हमको इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर विचार रखने का मौका दिया जाय। आपके स्पीकर होने के बाद हमको यह अवसर मिले कि आपके द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इसलिये इसको ग्राह्य करते हुये इसे स्वीकार करें।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

यह सचमुच माननीय सदस्य मोहन सिंह ने इस प्रश्न को जिस रूप में रखा है यह अहम सवाल है उन्होंने जो प्रशासनिक अक्षमता की बात कही है जिसकी वजह से यह हो रहा है, वह एक विद्वान और बुद्धिमान हैं। उन्होंने इस बात को सही माना है कि जनता शासन में लगातार...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इससे इसका क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं आपकी बात की ताईद कर रहा हूं। आप सही बात सुनें। अलीगढ़ शहर में लगातार दंगे जनता पार्टी के शासन में साल भर तक हुये (व्यवधान) आपने प्रशासनिक अक्षमता के बारे में कहा तो एक साल तक अलीगढ़ में हुए ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अलीगढ़ में प्रशासन किस प्रकार से अक्षम है, यह प्रश्न उठा है

(व्यवधान)

आपका प्रश्न यह है कि अलीगढ़ में प्रशासन नहीं रह गया है आपको सुझाव इस पर देने हैं तो इस पर बहस हो सकती है लेकिन कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है क्योंकि जनरल बजट पर बहस आने वाली है। जब एक साल तक वहां पर दंगे आप बरदास्त कर सकते हैं तो दो चार दिन और बरदाश्त कर लीजिये।

(व्यवधान)

आपने एक साल बरबाद किया। तो जनरल प्रशासन पर बजट आयेगा आप अपने सुझाव दे सकते हैं

(व्यवधान)

प्रशासनिक क्षमता आप में थी तो एक साल तक अलीगढ़ में दंगे हुये इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री दलगंजन सिंह से)

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न अलग है लेकिन मेरा प्रश्न भी इस घटना से सम्बन्धित है। मैंने जो प्रश्न प्रस्तुत किया है वह रामपुर में अनेक आग्नेयास्त्रों को बनाने के कारखानों को पकड़े जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त इसकी ग्राह्यता के बारे में बोलें।

श्री दलगंजन सिंह—

इससे स्थिति विस्फोटक हो गयी है क्योंकि दंगों में जो अस्त्र-शस्त्र पकड़े गये हैं वह रामपुर के बने हुए अस्त्र-शस्त्र हैं, अलीगढ़ से लेकर मुरादाबाद आदि जगहों में यह पहुंचाये गये। अगर मान्यवर, इस घटना पर इस सदन में चर्चा नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर कहें।

श्री दलगंजन सिंह—

जो अस्त्र-शस्त्र प्रयोग हुये हैं यहां तक कि छोटी-छोटी घटनाओं में सोफेस्टिकेटेड आर्म प्रयोग हुए हैं। इसलिए इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये।

श्री फखरेआलम—

मान्यवर, अलीगढ़ की घटना पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है या कहिये यहां पर पुलिस राज्य है।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री फखरेआलम—

मान्यवर, कहा जाता है कि यह हिन्दू-मुस्लिम दंगा है। कहीं भी हिन्दू और मुसलमान लड़ना नहीं चाहते हैं। इलाहाबाद के बारे में कहा गया कि वहां का हिन्दू-मुस्लिम दंगा है, वहां भी कोई हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं था, इलाहाबाद के हिन्दुओं ने तो मुसलमानों को बचाया और उनके घरों पर सामान पहुंचाया...

(व्यवधान)

श्री लोकपति—

मान्यवर, एक अनुरोध करना है, इस पर चर्चा हो अथवा न हो, यह श्रीमन्, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। प्रश्न केवल ग्राह्यता का है लेकिन यह मेरे ऊपर बात उठा रहे हैं। होना यह है कि अलग-अलग आप लोग यह आपको लिखकर दें और उस पर आपका निर्णय होगा कि चर्चा होगा या नहीं होगी।

एक सदस्य--

लिखकर काफी लोगों ने दिया है ।

श्री लोकपति--

जहां तक मुरादाबाद का प्रश्न है, उसके बारे में जूडिशियल इंक्वायरी हो रही है । अब अलीगढ़ या अन्य जिलों की चर्चा माननीय सदस्य उठा रहे हैं । अगर माननीय सदस्य सचमुच इस भावना से हैं कि प्रदेश में सौहार्द का वातावरण बने तो चर्चा से सौहार्द का वातावरण नहीं बनता...

(व्यवधान)

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, यह आपकी ही देन है, इस बीज को बोने का श्रेय आपको है...

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

यह आपत्तिजनक है, इसे श्रीमान् जी, कार्यवाही से निकालें या इसी पर बहस करा दें, यह बीज किसने बोया यह बताएं ? और इसी पर बहस हो ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह--

इसकी जिम्मेदारी किस पर है, इस पर चर्चा हो जाये ।

(व्यवधान)

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

यह व्यक्तिगत आक्षेप है, इस पर आप निर्णय दें ।

(व्यवधान)

श्री लोकपति--

मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया, उनके दल को सम्बोधित किया है ।

श्री मोहन सिंह--

सम्पूर्ण दल के चरित्र पर लांछन लगाना तो और भी अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा ही है । इसीलिये मैंने बार-बार बीच में जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो यह कहने का प्रयास किया कि ग्राह्यता पर ही कहा जाये और ग्राह्यता व विषय के गुण-दोष में काफी भेद है । लेकिन अत्यन्त दुःख है कि इस भेद को पूरी तरह से निभाया नहीं जाता है और ग्राह्यता पर कहते हुये गुण-दोष पर भी चर्चा होने लगती है । तो उससे चर्चा कराने का कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि चर्चा में यही कहा जाता है । तो यह बहुत उचित नहीं है कि ग्राह्यता पर

[श्री अध्यक्ष--]

विचार रखते समय उसके गुण-दोष के सम्बन्ध में कहा जाये। जब फखरे आलम जी बोल रहे थे, मैंने उनके बीच में यह कहना चाहा था, लेकिन इस बीच व्यवधान हुआ, माननीय मंत्री जी उठे और उन्होंने इस प्रश्न को बताया और एक कारण उन्होंने बता दिया। अब इस कारण से हम परेशानी में पड़ गये कि इसकी व्याख्या क्या करें। जैसे बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत आरोप नहीं किया था।

(श्री फखरे आलम के खड़े रहने और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के बैठ जाने पर)

माननीय गुप्त जी, मैंने आपको बुलाया था परन्तु आप माननीय फखरे आलम के कहने पर बैठ गये। तो मैंने फखरे आलम साहब को बुला लिया। आप ही बतायें कि मैं क्या कर सकता हूं ? आप दोनों ही माननीय सदस्य बहुत पुराने हैं और माननीय मंत्री जी भी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, आप मुझे सुन लें 2 मिनट के लिए तब आप निर्णय करें ?

(व्यवधान)

(श्री फखरे आलम व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, दोनों के एक साथ खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल, इन दोनों दलों के नेताओं के सम्बन्ध में आप मेरी सहायता करें।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं जो बात कह रहा था तो मुझे बीच में ही रोक दिया गया और माननीय मन्त्री जी बोलने लगे। मन्त्री जी उससे आगे कहने लगे।

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री फखरे आलम--

तो मान्यवर, मैं काम रोको प्रस्ताव के बारे में कह रहा था कि माननीय मन्त्री जी बोलने लगे। कसूर उनका और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे थे। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस कामरोको प्रस्ताव पर चर्चा होना बहुत ही जरूरी है और वह इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गये हैं जिससे यह मालूम पड़ रहा है कि यहां पर कोई सरकार है नहीं और पुलिस और पी० ए० सी० बड़ा ही जुल्म ढा रही है। अलीगढ़ में 9 आदमी मारे गये, आखिर इस पर यहां चर्चा नहीं होगी तो कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगी । अलीगढ़ में जो जुडिशियल इन्क्वायरी बैठायी गयी थी उसको भी वापस ले लिया गया । "हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरयाद लेकिन वह भी कम्बख्त तेरा चाहने वाला निकला ।" इलाहाबाद को मिसाल में देना चाहता हूं । वहां पर श्री राम जनम सिंह, ए० डी० एम०, श्री सुशील कुमार, सी० ओ० और सर्वश्री कटारिया और शीतला प्रसाद, इन्सपेक्टर्स ने पी० ए० सी० के साथ मिलकर घरों को जलवाया, लोगों को लूटा और घर-घर में घुस कर औरतों की कानों की बालियां छीनी, यहां तक कि उनके कान तक फट गये । इसी तरह से अलीगढ़ में भी पी० ए० सी० ने जुल्म ढाये । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर कामरोको प्रस्ताव का आना बहुत ही जरूरी है । यही मेरा आपसे निवेदन और अनुरोध है । माननीय मंत्री जी ने मेरी और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की ओर इशारा करके यह कहा कि यह बात आपकी है, यह अच्छी बात नहीं है । अगर सदन में इस तरह से कहा जायेगा तो सही बात नहीं होगी ।

श्री बलवीर सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय मंत्री जी हमारे दल के नेता पर व्यक्तिगत आक्षेप लगा सकते हैं ? उन्होंने क्षमा तो मांग ली, लेकिन उसे कार्यवाही से भी काट दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, हम नये सदस्य हैं, आप ग्राह्यता के लिये यह बतायें कि कितने आदमी हलाल होने पर आप काम रोको प्रस्ताव मंजूर करेंगे ? एक हजार से ज्यादा आदमी मुरादाबाद में मर गये स्वीकार नहीं हुआ, 9 आदमी अलीगढ़ में मरे स्वीकार नहीं कर रहे हैं । आखिर कितने लाख आदमी मारे जायेंगे तो यह स्वीकार होगा ? (व्यवधान) आप बजट को ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं, क्या बजट में जितने करोड़ का घाटा है वह घाटा उतने आदमियों को मार कर पूरा करना चाहते हैं... (व्यवधान) बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण इन्सान की जान की कीमत है ...

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब अलीगढ़ में हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ तो इनको बन्द कर दिया गया था ।...

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जैतली--

जनता पार्टी के शासन काल में हिन्दू मुस्लिम दंगा कराने में यही जिम्मेदार थे ।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग कृपया बैठ जायें । इस प्रश्न की ग्राह्यता पर तो चर्चा कम हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे । मेरे एक माननीय सदस्य

[श्री अध्यक्ष--]

बोल रहे थे तो यह कह गये कि कितने लाख लोगों के मारे जाने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव मंजूर होगा। मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे, आप किसी भी माननीय सदस्य से कम दुख इस घटना पर नहीं है। जब आप यह कहते हैं कि कितने लोगों के मारे जाने पर यह मंजूर होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप को उतना दुख नहीं है जितना आप व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी एक आदमी की जान जाने के बदले में अपनी जान देने के तैयार हूं, कार्य-स्थगन की क्या बात है ?

(व्यवधान)

हमारा भी हृदय है। अध्यक्ष की पीठ पर, रहते हुये मैं भी इन्सान हूं, मेरे हृदय पर भी चोट लगती है इस बात से कि कितने आदमी मरेंगे तब स्वीकार करेंगे ... (व्यवधान) नियमों के अन्दर इस की ग्राह्यता पर काफी सुना गया और लोक दल के नेता जी ने, कांग्रेस अर्स के नेता जी ने और दूसरे दल के माननीय नेतागण ने और साथ-साथ रियासत हुसैन साहब ने बोल लिया, करीब-करीब प्रत्येक दल के नेताओं के विचार मैंने सुन लिया और अगर आप बच गये हैं तो और भी सुना दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हलीम साहब को सुन लीजिए इनके क्षेत्र का मामला है।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, 1 मिनट मुझे भी सुन लें।

(व्यवधान)

(श्री ख्वाजा हलीम के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, इनके सीनियर माननीय मोहन सिंह बोल चुके हैं। इनको अब कौन सी बात बोलने को रह गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर आप सब लोग चाहते हैं कि सदन सुचारुरूप से न चले, तो उसमें मुझको कोई एतराज नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले तो उसमें मेरी सहायता करें।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त अलीगढ़ में 9 आदमियों को जिन्दा जलाया गया, उस वक्त पुलिस मौजूद थी और पुलिस सफाई दे रही है कि कोई फायर नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह गुण-दोष है । यह ग्राह्यता नहीं है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

ये ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं खुद कह रहा हूं कि यह ग्राह्यता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, 9 आदमी जिन्दा अलीगढ़ में जलाये गये, आप कहते हैं, ग्राह्यता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप फिर उसके गुण और दोष पर जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ के बारे में बार-बार यह कहा जाता है कि जनता पार्टी के शासन काल में दंगा वहां पर हुआ था । मान्यवर, एक कमीशन आफ इन्क्वायरी बैठी हुई थी, जो सही बात बताती, लेकिन उसको इस शासनकाल में हटा लिया गया ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न ग्राह्यता का है, उधर के माननीय सदस्य को ग्राह्यता पर ही बोलना चाहिये । मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और विरोध इस आधार पर करता हूं कि वे ईमानदारी और सच्चाई के साथ यदि इस प्रदेश के अंदर शांति बनाये रखना चाहते हैं तो इनको चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बजट में रखकर सुझाव अपने-अपने रख सकते हैं और जिस प्रकार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

उत्तेजना में आकर सदन में भाषण देते हैं, उसका बुरा असर पड़ता है, अखबारों में खबरें छपती है इस तरह बाहर भी उत्तेजना फैलती है। अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं, जब इसका मौका दिया जाए तो शांति से अपनी बात को कहें। इस तरह उत्तेजना फैलाकर सदन की कार्यवाही में भी बाधा डालते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

ला एण्ड आर्डर में यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप संतुलित होकर बात करें, इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। इसलिए मैं इस काम रोको प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जब इस पर बहस को मौका दिया जाए, तब ही बहस इस पर की जाये।

श्री खैरूल बशर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो मुरादाबाद पर बहस किया और प्रदेश की हिन्दु मुस्लिम जनता को बधाई दी कि उन्होंने प्रदेश के अंदर साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने दिये। लेकिन आज जो अलीगढ़ का वाकिया हुआ है। इस घटना को देखने के बाद मेरा यह निश्चित मत है कि शासन की एक सुनियोजित योजना है और वह योजना आसाम से लेकर कश्मीर तक

(शोर)

वही कार्यवाही शासन की चल रही है। और प्रदेश के अंदर फिर अलीगढ़ में जो शर्मनाक वाकिया हुआ है उस पर अगर आज बहस नहीं हुयी तो यह शासक दल पूरे प्रदेश को धीरे-धीरे करके आग में झोंक देगा और बिल्कुल जला कर खाक कर देगा। इसलिए आज इस पर बहस होनी चाहिए।

*श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है, उसी पर ग्राह्यता के प्रश्नों को आप अब सुन रहे हैं। इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखने के सम्बन्ध में नियम 58 के अन्तर्गत दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे;

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;

(3) प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा;

मान्यवर यह घटना पुरानी नहीं है, कल ही घटित हुयी है और एक से अधिक प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं और एक ही प्रस्ताव द्वारा एक ही विषय पर चर्चा की बात रखी गयी है। मान्यवर, लगभग सभी नेता, नेता विरोधी दल और नेता सदन और मान्यवर आप भी इसी राय के होंगे कि यह घटना जो घटित हुयी है, गलत हुयी है। इसमें 9 आदमी मारे गये या 50 यह मैं नहीं कहता और किसने करवाया नेता विरोधी दल अथवा नेता सदन ने, यह कुछ नहीं कहता। यह तो जब जांच होगी तो मामला सामने आ जायेगा।

चौथा प्वाइंट है कि प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा तो मान्यवर, यह नेता विरोधी दल ने केवल कर्य-स्थगन का प्रस्ताव ही उठाया है, विशेषाधिकार का नहीं और पांचवा प्वाइंट है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। दूसरा मान्यवर, महत्वपूर्ण मसला जो है जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि हमने आदेश नहीं दिये न वहां के किसी अधिकारी ने आदेश दिये, लेकिन पुलिस फिर भी गोली चलाती रही और कल घटना जो वहां होती रही, पुलिस मौके पर रही, पर वह खामोश रही जैसा कि अभी इधर से बताया गया तो इससे साफ सिद्ध हो गया कि जनता में ही आपस में फसाद हो गया हिन्दू ने मुसलमान को मारा या मुसलमानों ने हिन्दू को मारा मैं नहीं जानता लेकिन मान्यवर, पुरानी चर्चा नहीं, विषय भिन्न है, पुलिस ने नहीं मारा, घटना बिल्कुल भिन्न है, प्रस्ताव में ऐसा कोई विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, तो पहले इस पर कोई विचार नहीं हुआ। मान्यवर, नियमों में साफ व्यवस्था है।

मैं इस राय का हूं मान्यवर, ट्रेजरी बेंचेज से कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं जनता पार्टी ने ऐसा करा दिया इसलिये इस पर चर्चा कराना आवश्यक है जिससे साफ हो जाय किसने कराया किसने नहीं कराया, कितने मरे हैं। मान्यवर, आपकी गरिमा है, गौरव है आज सारे प्रदेश की निगाह लगीं है कि कहीं सरकार ने कोई षड़यंत्र तो नहीं रच दिया है जो पुलिस वर्सेज माइनारिटीज चल रहा है। इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। मान्यवर, आप सदन को स्थगित करें न करें चर्चा आज कराय या कोई और तिथि निश्चित करें। मैं तो इस राय का हूं और सदन भी इस राय का होगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत ही इम्पारटेन्ट मामला है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने को ग्राह्यता की सीमा के अन्तर्गत रखूंगा इसकी मेरिट और डिमेरिट पर कुछ नहीं कहूंगा। मान्यवर, नियमावली आपके सामने है नियम 48 का अवलोकन करें। इसमें मान्यवर साफ दिया है घटना को तात्कालिक घटना नहीं है। नियमों की अपेक्षा तो बहस से परे है। मान्यवर, उसकी मंशा स्पष्ट है। सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया कि जब जनरल प्रशासन पर बहस होगी तो इस पर चर्चा होगी तो मान्यवर, इससे ज्यादा शर्म और इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार और कोई बात नहीं हो सकती है। मान्यवर, अलीगढ़ जल रहा है मान्यवर, यहां पर कहा गया कि साम्प्रदायिक दंगा नहीं है आज हमारे प्रदेश की 10 करोड़ जनता हमारे मुंह पर तमाचा मारने को तैयार है। यह घटना साम्प्रदायिकता के रूप में उदय हुई है। मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं यह सत्ता पक्ष का प्रश्न नहीं न विरोध पक्ष का प्रश्न है यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है मुख्य मंत्री नहीं है दूसरे मंत्री हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसकी ग्राह्यता को देखते हुये इस पर बहस करायें, खुले दिल से बहस करायें। मान्यवर, नियमावली के नियमों को देखकर माननीय नेता विरोधी दल ने जो काम रोको प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करें और बहस करायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, ग्राह्यता के सम्बन्ध में मोटे तौर पर दो चीजें देखें पहली चीज यह कि मामला तात्कालिक है या नहीं दूसरी चीज मामला सार्वजनिक महत्व का है या नहीं। मान्यवर जिस प्रकार की घटना है कल अलीगढ़ में दंगा हुआ 9 लोगों की मृत्यु हुई इसके साथ-- साथ 18 लोग बुरी तरह घायल हुये यह सरकारी सूचना है कई दुकानों पर हमला किया गया और घरों में लोग लूटे गये। मान्यवर, जो घटना है उसके महत्व को देखते हुये मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं और मेरा ख्याल है कि सदन की भी यह राय होगी की घटना मामूली नहीं है। अलीगढ़ में दंगा हुआ। अलीगढ़ की आग शान्त नहीं हुई कि दुबारा फिर दंगा हुआ केवल अलीगढ़ में नहीं पूरे प्रदेश में होगा। मुरादाबाद से बारे में जो बहस हुई उसमें साफ तौर से कहा गया कि मुरादाबाद में साम्प्रदायिक घटना नहीं थी इसको सरकारी पक्ष ने और विपक्ष ने भी स्वीकार किया। एक वातावरण बना था इस सिलसिले में, लेकिन कल की जो घटना है सरकार की तरफ से और उनके अधिकारियों की तरफ से जो बयान आये उनको देखते हुये एक दूसरा कलर दिया जा रहा है। इस कलर से हमारा देश और प्रदेश कलंकित होगा। ऐसी सूरत में यह अहम मसला है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये चाहे कार्य स्थगन के रूप में ले लें या जिस रूप में ले लें। यह मामला बहुत गम्भीर है। इस पर विचार अवश्य होना चाहिये।

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, वह जो मामला उठाया गया है इसकी मैरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर, इसमें कौन सा टेक्निकल चीज है, कौन नहीं है, मेरा खयाल है, मैं खुद समझ रहा हूं मामला गम्भीर है। इस पर ज्यादा विचार करने की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि इस समय सरकार के पास सूचना उपलब्ध पूरी नहीं हो पायी है। हमारे अधिकारीगण गये हुए हैं

(व्यवधान)

और पूरी जानकारी करायी जा रही है। अगर सदन में कोई बात होती है जब पूरी जानकारी आ जाय, पूरी सूचना आ जाय, उसी समय कोई बात कहना उचित होगा। इस समय उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम स्वरूप वर्मा के खड़े होने पर) वर्मा जी, आप बैठ जायं। इस पर काफी सुना गया है। अब नहीं सुनूंगा।

मेरे सामने नियम 56 का जो प्रस्ताव आया है। सबसे पहले मैं उसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं।

श्री मुख्तार अनीस--

मन्त्री जी ने समय मांग लिया।

श्री अध्यक्ष--

मैं मन्त्री जी के कहने से या आप के कहने से बाध्य नहीं हूं। मैं अपना स्वतः निर्णय दूंगा।

"कल दिनांक 8 सितम्बर, 1980 को अलीगढ़ के तीन मुहल्लों में दंगा भड़क उठा जिसमें गोली, छुरेबाजी तथा पथराव से 9 आदमी मारे गये तथा पचासों घायल हैं। सारे नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुहराम मचा है। कई दूकानों में आग लगा दी गयी है। विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः आज उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन की कार्यवाही स्थगित कर विचार किया जाय।"

श्री मोहन सिंह--

एक हमारा है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

जिला देवरिया में कल सुबह रेलवे प्लेट फार्म पर. . .

श्री अध्यक्ष--

आप देवरिया की घटना में ही पड़े हुए हैं।

यह कार्य स्थगन प्रस्ताव मेरे सामने है जिसको आपके सामने पढ़ कर सुनाया। आपके प्रस्ताव से यह सामने आता है, अलीगढ़ में जहाँ उपद्रव हो रहा था और जहां शान्ति हो गयी थी करीब-करीब ऐसी सूचना आयी थी वहां फिर उपद्रव भड़क उठा और उसमें नौ व्यक्ति मारे गये। इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। उसके पश्चात् भी सदन में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे क्योंकि उनको इन घटनाओं से चिन्ता थी।

उनकी चिन्ता को देखते हुए मैंने उनसे यह सूनना चाहा कि वे ग्राह्यता पर बतायें और इस पर भी माननीय सदस्यों ने मुझे सूचना दी और ग्राह्यता के अलावा भी जो मैं नहीं सुनना चाहता था, वह भी लोग कहने लगे। माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस ओर से यह व्याख्या की है उन्होंने दो बिन्दु रखे हैं। एक तो यह कि पहले से भिन्न घटना है और दूसरा यह कि इसका लोकमहत्व हो और बजट के चलते हुए भी चूंकि इसका बजट बहुत देर में आयेगा, इसीलिए यह तब तक टाला नहीं जा सकता और दूसरी तरफ से कहा गया कि यह बजट सत्र हो रहा है इस पर चर्चा हो सकती है जब इसके बजट पर चर्चा हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात कही कि अभी पूरी सूचनायें नहीं आ पायी हैं इसलिए उनके ऐसा कहने से यह आभास होता है कि यदि सूचनायें आ जायें तो देखा जायेगा। तो पहले जो साम्प्रदायिकता वाला प्रश्न है यह पहले से भिन्न है। जो मैंने पढ़कर सुनाया। इस संबंध में मुरादाबाद कांड के संबंध में 4 घंटे की चर्चा हो चुकी है। मुरादाबाद की चर्चा में इस संबंध में काफी चर्चा हुई थी। चर्चा का विषय, जो लोग मरे, जो दुर्घटना हुई, जो अप्रत्याशित दुर्घटना हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उसको लोगो ने भिन्न-भिन्न ढंग से अपने-अपने ढंग से व्याख्या की थी और आज भी जो बात आयी है वैसी ही दुर्घटना हुई है। साम्प्रदायिक झगड़े की वजह से या पुलिस के वजह से ही, ऐसी कोई व्याख्या नहीं आयी है। इसको देखते हुए यह उससे भिन्न नहीं है और चूंकि इसी सत्र में उस पर चर्चा हो चुकी है ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव में चर्चा के विषय को मैं उचित नहीं समझता। इसके अलावा एक माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कल एक सूचना दी थी जिसमें एक सम्पादक की गिरफ्तारी करने का मामला था जिसमें मैंने वक्तव्य का

[श्री अध्यक्ष--]

निदेश दिया है। इसलिये मैं इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं और मुख्य मन्त्री को निर्देश देता हूं कि इस विषय में भी अपना वक्तव्य उसी दिन 15 तारीख को दें।

श्री रियासत हुसैन--

मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि शासक दल इस अलीगढ़ के मामले में, जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अभी सूचनायें प्राप्त नहीं हो पायी हैं, इसकी गम्भीरता को बढ़ाते हैं, और शासक दल इसमें विलम्ब कर रहा है। अतः शासक दल के इस रवैये के विरोध में यह दल सदन का त्याग करता है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

इसके विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सदन त्याग कर रहे हैं।

(श्री विद्या सागर नौटियाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरूल बशर--

शासक दल के लोग अपने आश्वासन पूरे करने में असमर्थ हैं। साम्प्रदायिक दंगे करा रहे हैं और प्रदेश में तबाही पैदा कर रहे हैं। इसलिये हम प्रगतिशील विधायक दल के लोग सदन का त्याग करते हैं।

(श्री खैरूल बशर कुछ निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री छत्तर सिंह--

हम आज ही चर्चा चाहते हैं।

(व्यवधान)

नोट--(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मन्त्री....

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत हों।

(शोर व्यवधान)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 119--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम

(1 बज कर 35 मिनट)

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,45,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(कई सदस्य फ्लोर पर आकर खड़े हो गये)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--85....

(फ्लोर पर खड़े होकर कई सदस्य शोर करने लगे और 'इन्दिरा सरकार नहीं चलेगी,' 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाने लगे)

....सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,78,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(फ्लोर पर खड़े होकर कई सदस्य नारे लगाते रहे)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 119--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,47,29,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(फ्लोर पर खड़े होकर कई सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

श्री राम नारायण पाठक--

माननीय सदस्यगण के सम्मुख वर्ष 1980-81 का सहकारिता विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है। वसे तो इस विषय पर मेरे कुछ कहने के बजाय माननीय सदस्यों को सुनना अधिक महत्वपूर्ण है, किन्तु मैं संक्षेप में बजट की मुख्य बातों पर दो शब्द कह रहा हूं। मान्यवर, शासन की नीति के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले योगदान का आकार इस वर्ष लगभग पंद्रह सौ करोड़ रुपए का होगा। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के संसाधनों से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुल लगभग सत्तर करोड़ रुपये का योगदान प्रस्तावित है।

(कई सदस्य लगातार शोर करते रहे एवं नारे लगाते रहे)

इस वर्ष दो सौ तीस करोड़ रुपए का अल्पकालीन, पच्चीस करोड़ रुपए का मध्यकालीन तथा बहत्तर करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जायगा। दीर्घकालीन ऋण से लगभग दो लाख सत्ताइस हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी। सहकारी समितियों के माध्यम से एक सौ चालीस करोड़ रुपए का खाद भी किसानों को इस वर्ष बांटे जाने का लक्ष्य है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सहकारी नीति के अनुसार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाने की दिशा में लगभग एक सौ पचास करोड़ रुपए मूल्य की उपभोक्ता वस्तुएं वितरित की जायेंगी।

(कई सदस्य फ्लोर पर खड़े होकर लगातार शोर करते रहे एवं लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नारे लगाते रहे)

सहकारी क्षेत्र में जो उल्लेखनीय नए प्रोजेक्ट्स इस वर्ष प्रस्तावित हैं, वे इस प्रकार हैं--(1) बदायूं में साठ लाख रुपए की लागत से तेल मील का विस्तार, (2) हल्द्वानी में साढ़े छः करोड़ रुपए की लागत से सोयाबीन प्लान्ट, (3) चालीस हजार टन क्षमता वाले दश नए शीतगृह, जिनकी लागत लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए होगा, (4) विश्व बैंक योजना के तहत साढ़े चार सौ नए गोदाम जिनकी लागत लगभग तीन करोड़ रुपए होगी और भंडारण क्षमता पैंतालीस हजार मैट्रिक टन होगी।

समाज के निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिए रिक्शा चालक समितियां और श्रम सहकारी समितियां गठित की जायगी। जिला सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का कम से कम 40% और भूमि विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण का पचपन प्रतिशत निर्बल वर्ग के सदस्यों को वितरित किए जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए लगभग बावन करोड़ रुपए का ऋण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित किए जाने का कार्यक्रम है। दस हजार दस्तकारों को रोजगार दिया जायेगा।

(व्यवधान जारी) ('इनक्लाब जिन्दाबाद' के नारे)

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने रिपोर्टर की कापी छीन ली। बाद में पर्ची में लिखा गया।)

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री रियासत हुसैन, श्री धनीराम वर्मा, श्री हरिवंश सहाय तथा

श्री नन्द किशोर सिंह--इनमें से जो भी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, कर सकते हैं ।

(किसी सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3, 45,58,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,78,20,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 119--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,47,29,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नियोजन मंत्री

(घोर व्यवधान)

(कुछ सदस्य आगे बढ़े और उन्होंने डायस पर रखे कागजों को फाड़ डाला और नारे लगाए ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

[श्री अध्यक्ष--]

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई । 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही एक घंटा और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी ।

तदुपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में वक्तव्य दिए जाने का निर्देश

श्री अध्यक्ष--

इसके पहले कि मैं कार्यक्रम की अगले मद संख्या को लूं, मैं आप सभी माननीय सदस्यों को, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, अन्य सभी दलों के माननीय नेताओं और सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं और उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि सदन की मर्यादा को, जो स्वतः उनकी मर्यादा है, अध्यक्ष की मर्यादा को, जो उनके द्वारा दी हुई मर्यादा है, उसकी रक्षा करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि सदन के सम्बन्ध में कोई अनुचित बात कहीं पर कही जा सके ।

अभी जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आया था और जिसे यहां पर अस्वीकृत कर दिया गया था और अस्वीकृत होने के पश्चात् उसकी ग्राह्यता पर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। उनको मैंने समय दिया और दोनों तरफ के शासक दल के और विरोधी दल के--माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों की अभिव्यक्ति की । उसके पश्चात् मैंने यह निर्णय दिया कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो रहा है लेकिन इस विषय पर 15 तारीख को, जैसा एक और वक्तव्य सम्बन्धित था, जिस पर शासन को निर्देश दिया गया है, वक्तव्य देने के लिए निदेश दिया । आप उस पर स्पष्टीकरण पूछेंगे और स्पष्टीकरण के साथ ही साथ अगर चर्चा की आवश्यकता होगी तो इस पर चर्चा फिर कराई जायगी ।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग तथा अनुदान संख्या 96--नियोजन विभाग-पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

अब मैं कार्य सूची की अगली मद पर आता हूं । माननीय नियोजन मंत्री।

नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दो प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा

स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,57,12,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96-नियोजन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह अनुदान जिसकी मैं मांग कर रहा हूं नियोजन विभाग से संबंधित है वर्ष 1980-81 के लिए । इस में आयोजनागत व्यय का प्राविधान 202.17 लाख रुपये का है और आयोजनेतर का 152.6 लाख का ।

उपरोक्त बजट का प्राविधान नियोजन विभाग के अन्तर्गत जो दो प्रमुख चीजें हैं, उनके लिए है । राज्य नियोजन संस्थान जिस के आठ प्रभाग हैं और राज्य योजना आयोग जो नई योजनायें बनायेगा । राज्य नियोजन संस्थान हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो बड़े महत्वपूर्ण काम कर रहा है । इसमें विभिन्न प्रभाग हैं और विभिन्न उपायों और क्रियात्मक चीजों का अन्वेषण इसमें किया जाता है जिनके के अपनाने से अधिक से अधिक जन सहयोग इस योजना से प्राप्त कर सकते हैं । सभी योजनाओं का क्षेत्रीय परीक्षणों के बाद विभाग में लया जाता है । इस चालू वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई के बारे में, सहकारी तरीके से ग्रामीणों की बेरोजगारी दूर करने के बारे में, सहकारी डेरी फार्म बनाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं । इसमें एक मूल्यांकन प्रभाग है । इसमें जो योजनायें सरकार चलाती है उनका हम मूल्यांकन करते हैं । 5 नये प्रभाग खोले गये हैं । प्रत्येक क्षेत्र की योजना में स्थानीय समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है । यह जो प्रभाग बनाये हैं इनमें दीर्घकालीन योजनाओं के साथ अल्पकालीन योजनायें भी शामिल की गयी है जिनमें फौरी दिक्कतों को फौरन ही हल किया जाता है । बाढ़ के लिये जब बाढ़ आती है तो कुछ काम किया जाता है जिससे फौरी रक्षा हो लेकिन दीर्घकालीन योजनाओं के लिये एक अलग प्रभाग भी बनाया गया है । जो जनशक्ति है उसका कैसे अधिक से अधिक उपयोग हो इस सम्बन्ध में जब बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हो जायेंगे तभी मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा ।

प्रायोजना की रचना के साथ साथ मूल्यांकन का भी एक प्रभाग बनाया है । एक अर्थ एवं संख्या प्रभाग है । एक राज्य आयोजना आयोग है । उसमें देश के जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया है । राज्य अयोजन आयोग शीघ्र गठित होने वाला है । उसका प्रस्ताव विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कारपोरेशन 77 में हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी की प्रेरणा से बनाया गया था । इसी तरह सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन देश की जानी मानी संस्थाओं में है । अन्य प्रदेशों तथा प्रदेश की योजनाओं में यह तकनीकी सलाह देते हैं । एक बात और कहना चाहूंगा कि 80 के चुनाव के बाद हमारी इस विधान सभा के चुनाव के बाद नियोजन की प्रक्रिया को नया महत्व प्राप्त हुआ है । थोड़े शब्दों में यह कहूंगा इट हेज रिटर्न्ड विथ रेड रोज विथ फुल प्रोगरेस। यानी नियोजन के बाग में लाल गुलाब की वापसी हुई है पूरी खुशबू के साथ ।

श्री मोहन सिंह—

इसमें खुशबू नहीं है ।

श्री ब्रह्म दत्त—

इसमें गंध है। इसकी गंध को पाने के लिये नाक का थोड़ा आपरेशन करना पड़ेगा। नियोजन प्रक्रिया के लिये सारे देश में एक परिवर्तन लाना होगा। वर्तमान स्थिति में सुधार के लिये कई चीजों की जरूरत होगी। पहले देखना यह होगा कि तर्कसंगत विचार करें कि हमारे साधन क्या हैं उनका अधिकतम उपयोग कैसे हो। दूसरे हमारे सामने सुन्दर भविष्य की सुन्दर कल्पना होनी चाहिये। हमारे देश के क्रान्तिकारी फिलासफरन कहा है रीजन, रोमांटिज्म एंड रिजोल्यूशन।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जी इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, नियोजन के महत्व से परिचित हैं और जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे, उनका मैं सम्मान के साथ स्वागत करूंगा अंदर करूंगा।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 96—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी माननीय नियोजन मंत्री जी ने अपने विभाग की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की। मान्यवर, नियोजन विभाग हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि सारे विकास का दारोमदार इसी विभाग पर निर्भर है और इस विभाग का सभी विभागों के साथ सम्बन्ध है। अपनी बात कहने से पहले मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि पिछले चार महीनों से यहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन चल रहा है और चार महीनों के अन्दर यह मंत्रि-मंडल यह फैसला नहीं कर पाया है कि किस विभाग के लिये कौन सा मंत्री उपयुक्त है। हर 20 दिन के बाद विभागों में तनदीली हो जाती है। मुझे नहीं मालूम कि नियोजन मंत्री की यह टेम्पोररी सर्विस है या परमानेंट। तीन-तीन बार हमारे नियोजन मंत्री जी को विभाग दिये गये। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात की है वित्त के साथ-साथ वे नियोजन विभाग सम्भाले। वित्त का नियोजन से बड़ा सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि नियोजन मंत्री जिनको वित्त भी सौंपा गया है वे उत्तर प्रदेश की समस्याओं को सुलझा पायेंगे हालांकि आशा कम है क्योंकि एक पिटी-पिटाई लकीर है और वे कौरवों की सेना में भीष्मपितामह के रूप में हैं।

श्री ब्रह्म दत्त—

अगर चीर हरण होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आज दुनियां का छटा भारत का देश है। सन् 1971 की जन-गणना के अनुसार लगभग 9 करोड़ की आबादी इस प्रदेश की है और देश की कुल आबादी की 16 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इसके साथ ही साथ यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग यहां की जो लम्बाई और चौड़ाई है वह सम्पूर्ण देश की 9 प्रतिशत है। इतनी अहमियत हमारे प्रदेश को प्राप्त है। लेकिन यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले तीस-बत्तीस सालों में जब से सरकार के हाथों में यहां की बागडोर आयी है इसको कोई मजबूत नियोजन नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश तरक्की के दौर में सब सूबों से पीछे होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश अपने गलत नियोजन के कारण, अस्थिर अर्थ-व्यवस्था के कारण तथा अपनी कुछ कमजोरियों के कारण हिन्दुस्तान के नम्बर 3 और कंगाल सूबों में से एक हो गया है और उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की और शासक दल की है जिसको आज नियोजन मंत्री ने पेश किया है। मैं यह बात आंकड़ों से सिद्ध करना चाहता हूं।

मान्यवर, सन् 1950-51 में जब हम लोगों ने अपने देश की अर्थ-व्यवस्था का निर्णय शुरू किया उस समय हमारे देश के अन्दर जो कुल राष्ट्रीय आय थी वह 260 रुपये प्रति व्यक्ति थी उस समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 5 प्रतिशत अधिक थी। प्रथम पंच वर्षीय योजना चली, दूसरी पंच वर्षीय योजना चली, उत्तर प्रदेश के गलत नियोजन का यह परिणाम हुआ है कि 1960-61 के अन्दर उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आय जो 5 प्रतिशत अधिक थी वह घट गई और देश की राष्ट्रीय आय 360 रुपये हो गयी। यहां की आय 60-61 में 246 हो गई। यह यहां के गलत नियोजन के कारण हुआ। श्रीमन् उसके बाद तृतीय पंच वर्षीय योजना चली तो राष्ट्रीय आय 426 हो गई और यहां की आय 364 ही रह गई। 1970-71 से निरन्तर हमारी राष्ट्रीय आय जब से इन्दिरा जी का चरमोत्कर्ष समय आया कांग्रेस पार्टी समाजवादी नारा लगा रही थी तब से उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 21 प्रतिशत घट गई। तो निरन्तर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घटती चली जा रही है, उत्तर प्रदेश निरंतर कंगाली की तरफ जा रहा है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश को जो आर्थिक सहायता मिली वह इतनी कम रही कि उत्तर प्रदेश को आज पिछड़ेपन का मुंह देखना पड़ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई तो उसमें मध्य प्रदेश, बिहार उड़ीसा और बंगाल को केन्द्रीय सरकार से कुल सहायता जो बजट से दी गयी वह 77 प्रतिशत दी गयी और उत्तर प्रदेश को दो योजनाओं में एक भी पैसा नहीं मिला क्योंकि उत्तर प्रदेश को प्रधान मंत्री मिल गया। तो प्रधान मंत्री को घूस में उन लोगों को सारा पैसा दे दिया और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में कुल 72 करोड़ रु० यह निकम्मी सरकार केन्द्र से पायी। उसी कारण यहां की प्रति व्यक्ति आय घटती गयी और प्रदेश का समुचित और संगठित विकास नहीं हुआ और यह उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे पिछड़ता चला गया और कंगाली के रास्ते पर खड़ा हुआ है।

आज हमारे प्रदेश की क्या हालत है इसकी हालत यह है कि आज आपको जो सर्वे कमीशन है वह कहता है कि यहां के 22 जिलों में जो जन संख्या है 4 आने रोज के हिसाब से जीवन बिता रही है।

(व्यवधान)

यह आपकी सरकार के ही आंकड़े हैं।

(इस समय 3 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, देश के अंदर 29 जिले ऐसे हैं जो सबसे पिछड़े हुए हैं। जिनमें 150 रु० प्रति व्यक्ति आमदनी है उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है उन 29 जिलों में से 11 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। फिर दूसरा ग्रुप केन्द्रीय सरकार ने बनाया जिसमें 200 रु० तक प्रति व्यक्ति आय हो तो उन दूसरे नम्बर के कंगाल

[श्री मुख्तार अनीस--]

जिलों में पूरे देश में 52 जिले आये और उसमें से 22 जिले उत्तर प्रदेश के आये। तो यह आपकी योजना में तरक्की यहां की हुई है। इन सब चीजों के लिए योजना मंत्री जी प्रस्ताव रखे हैं। इस स्थिति में हमको यह विचार करना चाहिये कि हम अपनी योजना को किस तरह से ठीक करें। इस ढांचे को ठीक करने के लिए पहली चीज यह है कि हम अपनी खेती को ठीक करें क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 से 80 फीसदी लोग खेती पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खेती की तरक्की के लिए अधिक से अधिक खाद, बीज और पानी देने की जरूरत है और जो गरीब किसान हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। जो आपने गुलाब मुरझाया था पिछली बार 1977 में हमने पूरे देश में खिलाने के लिए कृषि और किसानों के ऊपर केन्द्रीय और प्रादेशिक बजट का 40 प्रतिशत खर्च करने का फैसला किया था। तब किसानों की हालत सुधारने की बात थी। इस प्रदेश की तरक्की किसानों पर निर्भर है। आपने क्या किया? किसानों को कोई इंसेटिव नहीं दिया, उनके विकास के लिए कोई बात नहीं की। उल्टे खाद और दूसरी चीजों के दाम बढ़ाये हैं। जो भी काम हुए हैं वह किसान विरोधी हुए हैं।

मैं माननीय नियोजन मंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं हो सकता है और जो बजट आपने पेश किया उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपने किसान विरोधी काम शुरू किया और जो योजनाएं थीं, उन्हें गलत ढंग से बनाना शुरू किया। अब इस बात की जरूरत है कि आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान देखें कि वे कौन-कौन सी कैश-क्राप पैदा करते हैं। वे कैश-क्राप्स के अन्तर्गत पटसन, मूंगफली, गन्ना, लाही व तिलहन आदि बोते हैं। आपको ऐसे समस्त किसानों की एक श्रेणी बननी चाहिए और एक दूसरी श्रेणी उन लोगों की बननी चाहिए जो गेंहू, चावल आदि खाद्यान्न पैदा करते हैं। इसका आपको पूरा सर्वे कराना चाहिए। आपने अपने भाषण में इसकी कोई रूपरेखा नहीं बताई और बजट पेश कर दिया।

मैं आपको बहुत मोटी बात बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कैश-क्राप के रूप में पटसन सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह प्रदेश में बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है। गंग और शारदा को जो पूरी बेल्ट है, उसमें बड़े पैमाने पर पटसन पैदा किया जा सकता है। इसका कई बार सर्वे किया गया, लेकिन कोई भी सर्वे रिपोर्ट सरकार ने मंजूर नहीं की, क्योंकि इन पर कुछ बड़े-बड़े उद्योगपतियों का भारी दबाव है। इन पर जे0 के0 वालों का दबाव है, जिन्होंने एलेक्शन में इन्दिरा गांधी को हेलीकाप्टर दिया था। उसने प्रदेश में पूरे पटसन उद्योग पर अधिकार जमा रखा है। आप हेलीकाप्टर का मोह त्यागें, यह आपको फिर मिल जाएगा। करोड़ों रुपया उस 67 के एलेक्शन का, हेलीकाप्टर का आपके नेता पर बाकी है। आप जे0 के0 ग्रुप्स से पटसन अलग करें और यह कोशिश करें कि पटसन उद्योग यहां पर शुरू हो।

इसी प्रकार से तिलहन और गन्ना की बात है। गन्ना का एरिया कम होता जा रहा है। इसके बारे में आवश्यक है कि खेती और खेत को हर तरह की दैवी आपदाओं से दूर किया जाए और बाढ़ नियन्त्रण हेतु सक्षम और मजबूत योजनाएं बनाई जाएं। जो आप 30/32 सालों में नहीं बना पाये हैं। आपका नियोजन विभाग इस दिशा में क्या कर रहा है? वह काम कॉफी हाउस में बैठकर काफी पीने से क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नियोजन मंत्री जी के सर पर कभी लोकदल की भी छाया रह चुकी है।

श्री ऊदल--

छाया ही नहीं थी, यह चौधरी साहब को तो खुदा मानते थे ।

श्री मुख्तार अनीस--

इनकी और चौधरी साहब की शारीरिक दूरी हो गई है, लेकिन मन और हृदय की दूरी नहीं है । तो मैं कह रहा था, हमारे मंत्री जी ने एक लेख भी लिखा है, खेती के विकास के साथ-साथ इस बात की जरूरत है कि खेती के ऊपर से आदमी का बोझ कम किया जाए । यदि इसपर बोझ बढ़ता जाएगा तो गरीबी बढ़ती जाएगी । आज से 15 वर्ष पूर्व, 5 सदस्यीय परिवार के पास यदि 10 बीघे का खेत था और उससे उसका काम अच्छी तरह चलता था तो अब इस समय जब यह सदस्य 15 हो गये हैं तो उसका काम किसी तरह से उससे नहीं चल सकता है । खेती को रबड़ की तरह से खींच कर बढ़ाया नहीं जा सकता है, अब काम कैसे चले । जो बेकार लोग हैं, जो खेती पर बोझ बन गये हैं, उनको नये रोजगार देने चाहिए जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और खेती पर से बोझ घट सके । मैं पूछना चाहता हूं कि नियोजन विभाग ने इस दिशा में क्या काम किया है ?

मैंने अभी यहां पर पटसन और उद्योग की बात कही । बंगाल और आसाम के अन्दर और अन्य कई सूबों के अन्दर बोरे ही नहीं बहुत सी खूबसूरत चीजें बन रही हैं और वहां पर जो उनके एम्पोरियम हैं वे उसका प्रचार करते हैं, आपके यहां पर पटसन मौजूद सनई मौजूद लेकिन आपने उनके प्रयोग के लिए कोई कारगर योजना बनायी है ? आसाम की तरह से हमारे यहां पर बांस काफी मात्रा में उगता है जिससे नाना प्रकार की कंडियां बन सकती हैं । इसके अलावा जो चीजें हमारे खेतों में ही पैदा होती हैं, जैसे टमाटर उससे चटनी बना कर तैयार की जा सकती है । आपने क्या किया ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

अदरक के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

एक सदस्य--

अदरक के स्वाद का बन्दर को पता नहीं लगेगा (हंसी)

श्री श्याम लाल वाजपेयी --

क्या आप अपनी बात बता रहे हैं ?

श्री मुख्तार अनीस--

मेरी प्रार्थना है कि हमारे जो जुड़े हुए उद्योग हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है । अभी मान्यवर, हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार ने एग्रो शुरू किया हालांकि उस एग्रो में भी करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गांवों के नौजवान जिनकी उम्र 15-20 साल की होती है रिक्शा चलाने के लिए लखनऊ, कोयला निकालने के लिए झरिया और बर्तन मांजने के लिए बम्बई जाते हैं, उनका वहां पर जाना रुक जाये और वे अपने घरों पर ही रहकर उन्हें राज्य सरकार रोजगार के लिए इन्सेन्टिव दे और

[श्री मुख्तार अनीस--]

वे लोग बेकार और मजदूर न बने । एक तो इससे हमारी खेती पर से बोझ कम होगा दूसरा लाभ उनको गांवों में रह कर रोजगार मिल सकेगा और तीसरा लाभ यह होगा कि वे लोग जो रोजगार पाने के लिए गांवों से शहरों की ओर भागते हैं और वहां पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसको कम करने का मौका मिलेगा । आज हालत क्या है ? माननीय नियोजन मंत्री जी ने अपनी बात सदन में रखी लेकिन हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उत्तर प्रदेश के साथ ही नहीं बल्कि सारे हिन्दी बोलने वाले इलाकों के साथ किस प्रकार से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनमें नौकरी तो मिलती ही नहीं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को कर्जा तक देने में आनाकानी करते हैं. और मैं समझता हूं कि इसकी तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री जी के पास वित्त विभाग, नियोजन विभाग और इन्स्टीट्यूशनल आफ फाइनेन्स का विभाग भी है । अगर आपको पैरवी और सिफारिशों से फुर्सत मिले तो आप इनके अधिकारियों की एक मीटिंग करवा डालिए और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमको बुला लीजिए, हम आपको बता देंगे कि इस मामले में आपको क्या करना चाहिए । इस सिलसिले में इनको मीटिंग करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार से मांग करना चाहिए कि यह राष्ट्रीयकृत बैंक अगर उत्तर प्रदेश को लोन नहीं देते, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं, तो इनकी यहां कोई जरूरत नहीं है । इन पर हमारा कन्ट्रोल होना चाहिए ।

शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है मैं, 1971 की जनगणना के अनुसार सारे देश में शिक्षा का औसत 29 फीसदी था, जबकि उत्तर प्रदेश में उसका औसत 21 फीसदी ही था । उत्तर प्रदेश की सरकार का इस प्रदेश के लोगों को शिक्षित करने की ओर ध्यान नहीं है क्योंकि गंगा और जमुना के किनारे से आपके खिलाफ इनक्लाब की ज्वाला फूटती है । मैं जानना चाहता हूं कि स्कूल खोलने तथा लोगों को शिक्षित करने के बारे में आपके नियोजन विभाग ने क्या कार्य किया है ? प्रौढ़ शिक्षा की एक नीति हमारी जनता पार्टी की सरकार ने बनायी थी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री मुख्तार अनीस--

एक मिनट और दे दें । पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उद्योग धन्धों के लिए बिजली की बहुत जरूरत है विकास का वही एक आधार है । बिना बिजली के गांव का विकास नहीं होगा । जब हमारे नियोजन मंत्री विधान परिषद् में नेता विरोधी दल के रूप में बैठते थे तो रोज बयान देते थे आज उनकी क्या हालत है ? आज सारे तालाब भर गये हैं, जलाशय भर गये हैं (व्यवधान) लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश को बिजली देने में आप असफल रहे हैं । 1973-74 के आंकड़ों के के अनुसार सारे देश में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 97 किलोवाट बिजली का उत्पादन है जब कि उत्तर प्रदेश में वह 57 ही है । बिजली जब आप नहीं देंगे तो उद्योग धंधो का विकास कैसे होगा । आप तो खाली मंत्रि-परिषद् में बने रहना चाहते हैं, देश को बरबाद करना चाहते हैं, उत्तर

प्रदेश को चौपट करना चाहते हैं । जनता पार्टी के समय में नियोजन का विकास शुरू हुआ है, जिस पटरी पर उस समय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को ले आयी थी, आपने उसे चौपट कर दिया क्योंकि आप को तो इलेक्शन जीतने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा चाहिए और उन्हीं की आप सुरक्षा करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठें ।

*डाक्टर रमाकृष्ण उपाध्याय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध और मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किए हैं उनका समर्थन करता हूं । मान्यवर, गत सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि यह जो विरोध में भाषण कर रहे हैं यह भाषण में ही ज्यादा प्रवीण हैं । अगर उसके हाथ में कोई स्टेयरिंग दे दी जाय तो फेल हो जाता है, जिस तरह से गत सरकार 3 साल के अन्दर, इतनी बड़ी बहुमत वाली सरकार होते हुए भी, अपने कार्यकलापों से अपने प्रदेश के अन्दर, अपने देश के अन्दर, अपने कारनामों से, इस स्थान पर पहुंच गयी है । यह भी मैंने देखा है कि वास्तव में विरोधी वैसे ही बड़ा बागी होता है, बड़ा भाषण देता है, लेकिन उसके हाथ में देश की बागडोर दे दी जाय तो टोटली फेल हो जाता है ।

मुझे प्रदेश की जनता ने इस सरकार का भार दिया है। हमारी सरकार इन 4 महीनों में दंगों से परेशान है । लेकिन हमारी सरकार इसमें काफी ताकत लगा रही है । पिछली सरकार जो थी, उसके शासन काल में 76 फीसदी नलकूप बिलकुल खड़े रहे । हमारी सरकार जो अभी आई, जिसे केवल 4 महीने हुए हैं, लेकिन वह अपनी योजनाओं को बड़े सुन्दर ढंग से बना रही है । पिछली सरकार को मैंने देखा कि उस सरकार में जितने भी कार्य थे, सारी की सारी योजनाएं जो थी, वैसे ही खड़ी हुई मिली हैं । मैं प्रदेश को बनाने में परेशान हूं । मंहगाई की जो धारा है, उसको रोकने में परेशान हूं । जो पिछली सरकार थी वह तो केवल हल्ला करने वाली सरकार थी । उसके हाथों में सरकार चली गयी थी, लेकिन जनता ने महसूस किया कि वह सरकार कुछ काम नहीं कर सकती है और उसने अपना बहुमत हमें देकर यहां पर पहुंचाया । मैं तो कहता हूं कि इस योजना विभाग के लिए जो धन मांगा गया है, कहीं अधिक धन इसके लिए मिलना चाहिए । जनता शासन काल में यूनिवर्सिटी की परीक्षायें कभी भी समय से नहीं हुई । शिक्षा के क्षेत्र में यह पहली बार है जब कि साढ़े 3 साल के बाद यूनिवर्सिटी की परीक्षायें समय से होने जा रही हैं । जनता के शासन काल में जो हमारे प्रदेश का नवजवान था, वह दिशाहीन था, वह दिन प्रति दिन दिशाहीन होता चला जा रहा था, हमको तो अभी मौका नहीं मिल रहा है कि प्रदेश को कैसे बनावें । हमारे प्रदेश का नवजवान दिशाहीन हो गया था । हमारे देश के नवजवान जो हमारे देश के भविष्य होते हैं, उनको पिछली सरकार ने दिशाहीन कर दिया था । ऐसे लोग जिनको कि दो साल के लिए सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--]

मिली थी, उन्होंने हमारे देश को और प्रदेश को सत्यानाश कर दिया है । जितना आप लम्बा भाषण दें, दो-ढ़ाई साल में जो आपकी सरकार थी, उस समय के आपके जो कारनामें हैं, [× × ×] वह जनता से छिपे नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जिसका कि प्रयोग नहीं होना चाहिए । गुंडई शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए । इसलिए मैं आदेश देता हूं कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--

हमारे जो कृषि के क्षेत्र हैं, सहकारिता के क्षेत्र हैं, इन सारी चीजों को मुझे बनाने के लिए, इस बजट को मुझे समर्थन करने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नियोजन मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव हमारे साथी श्री मुख्तार अनीस जी ने रखा और जो बात उन्होंने अभी कही, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । नियोजन मन्त्री जी ने जिन लोगों को खड़ा किया है, वे एक शब्द भी नियोजन के सम्बन्ध में नहीं बोले, सभी लोग राजनीति पर ही भाषण करते रहे । इस देश को जब आजादी मिली, तो उस वक्त प्रधान मन्त्री के रूप में श्री जवाहर लाल नेहरू आये और उन्होंने पंचशाला योजनाओं को फिक्स किया और बड़े बड़े उद्योगों को, प्रायरिटी दी, जिसके नतीजे आने वाले 50 सालों के अन्दर पता चलेगा कि उन्होंने इस ओर गलती की थी अथवा नहीं । लेकिन आज भी उसका प्रभाव पड़ रहा है वह यह कि आज बेकारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसके दूसरी ओर पूंजीपति लोग दिन पर दिन और बढ़ते जा रहे हैं । मेरठ जिला व अन्य पश्चिमी जिलों की जहां आय प्रति व्यक्ति 1,000 रु0 को छूती आ रही है, वहीं*पूर्वी उत्तर प्रदेश की आय भी 700 रु0 तक पहुंच गयी थी, परन्तु अब इसकी आय 3 सौ और पौने तीन सौ के लगभग होती जा रही है प्रति व्यक्ति । देवरिया में 14 चीनी मिले हैं, पर फिर भी वहां की परकेपिटा आमदनी अपेक्षाकृत सभी जिलों से कम है । अर्थशास्त्रियों के तमाम सिद्धान्तों के खिलाफ जिसमें कहा गया है कि जहां जितने ज्यादा उद्योग धन्धे होंगे, वहां उतनी ही अधिक आमदनी बढ़ेगी । इसी प्रकार से गोरखपुर में भी 6 चीनी मिले हैं । यह भी अन्य जिलों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है ।

आजादी के बाद जब जमींदारी खत्म हुई तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय तो कुछ आशा बंधी थी कि जहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ वहीं उद्योगों का भी विकेन्द्रीकरण होगा । मान्यवर, मेरा प्लानिंग से सम्बन्ध रहा है, जिसमें मैंने देखा है कि बजट का 90 प्रतिशत पैसे को 10 प्रतिशत लोग खर्च करते हैं ब्लाक में । जिसका लाभ, अलाभकर और सीमान्त जोत के लोगों को नहीं पहुंच पाता है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिनका आप उस वक्त विरोध करते थे जनता सरकार का, इसी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का 22 प्रतिशत से बढ़ा कर उसका बजट 44 प्रतिशत किया और समाज के उस तबके के पास जिसके पास कुछ नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है कोई उद्योग नहीं है, ऐसे समाज के लिये हमने अन्त्योदय योजना शुरू की। अन्त्योदय योजना को आज आपने बैंक को दे दिया माननीय मन्त्री जी इससे बड़ा अहित देशवासियों का और क्या हो सकता है। बैंक अपने खाते से किसी को एक पैसा देने वाली नहीं है। इस बैंकिंग सिस्टम को जनता पार्टी की सरकार ने ही ठीक किया था। जब बैंक से बाढ़-ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कहा गया कि इन्हें पैसा दे दें तो बैंक ने साफ मना कर दिया। इसके अलावा बैंक ने किसी भी छोटे उद्योग वाले को कर्जा नहीं दिया।

इस प्रदेश में उद्योगों को बढ़ने की सम्भावना है लेकिन जरूरत इस बात की है कि नियोजन के लिए किस क्षेत्र में रा मैटेरियल कहां मिल रहा है, उसी हिसाब से उद्योग स्थापित हों। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेकारों की हालत यह है कि थाईलैंड और बैंकाक में सिपाही के रूप में यहां के लोग पहरा दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यदि विकास के लिए विशेष योजनाएं नहीं बनाई गयीं तो उस क्षेत्र में व्याप्त विषमताएं दूर नहीं होंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आसाम के रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जायेगा। यहां पर कई उद्योगों को फैलाया जा सकता है, चीनी का धंधा, लकड़ी, काजू तथा दियासलाई आदि के उद्योग चलाये जा सकते हैं। अगर उस दिशा में आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का कल्याण करेंगे। यही स्थिति आज दूसरे क्षेत्र की है। जनता सरकार को जितनी

[4·00 बजे उपराह्न]

भी गालियां दे दीजिये आपको मौका मिला है। हम भी वहां पर बैठ कर 27 सालों का रोना रोते थे और आप 27 महीने का रोना रो रहे हैं लेकिन इस रोने से कुछ होने वाला नहीं है। स्थिति यह है कि 27 सालों की गलतियों से हम सबक सीखने की कोशिश की लेकिन नहीं सीख पाये और इधर आ गये और आप भी 27 महीने से नहीं सीख पायेंगे और इधर आ जायेंगे। पहले क्या किया गया इससे मतलब नहीं है आप कल क्या करने जा रहे हैं। आपको जनता ने अपार बहुमत से हालांकि आप 37 परसेन्ट ही वोट पाये हैं लेकिन जनतंत्रीय सिद्धान्तों के अनुसार आपको एक अवसर मिला है। मैं चाहता हूं कि इन छोटी-मोटी बातों को छोड़ कर एक योजना तैयार करें जिससे प्रदेश के पिछड़े इलाके आगे बढ़ें।

मान्यवर, प्रदेश के पिछड़े इलाके रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद ही नहीं हैं बल्कि प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां आज भी औसत आमदनी प्रति व्यक्ति डेढ़ रुपये से अधिक नहीं है। एक दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह इसलिये जरूरी है कि सी0 डी0 के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना पड़ेगा। 1952 में इसकी शुरूआत की गई थी। किन्तु जो अपेक्षित परिणाम थे वह सामने नहीं आये हैं। आज भी सामान्य किसान जो है उसको सुविधा नहीं मिल रही है। आज का किसान चाहता है कि उसके खेत को पानी मिले, अपने हाथ में मजबूती से खेत जोतने की ताकत हो, समय से बिजली मिले। आप बिजली के सम्बन्ध में करते हैं आंख मिचौली मैं तो कहता हूं कि जनता सरकार ने 22 घंटे बिजली देने का काम किया था मैं तो चाहता हूं कि आप इस कम्पटीशन में आगे आये और 22 घंटे के स्थान पर 24 घंटे बिजली दें। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में जब देश आजाद हुआ उस समय हमारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास श्रृंखला में 7वें

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

स्थान पर था और आज देख लें औद्योगिक विकास श्रृंखला में नीचे से तीसरे स्थान पर चला गया है इतनी तेजी से नीचे भाग गया है 27 सालों में। उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा है, कृषि के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा अपराध किया कौन सा पाप किया है। दिल्ली में आपकी सरकार बैठी हुई है। आज जब सवाल उठाया जाता है कि आबादी के हिसाब से पपुलेशन की डेनसिटी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिये तो दिल्ली में बैठे हुये लोग डन्डा लेकर तैयार हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह दिल्ली सरकार को लिखे कि उत्तर प्रदेश सरकार का निश्चित मत है कि जो पैसा नियोजन के लिये मिल रहा है वह आबादी के घनत्व के हिसाब से मिले अगर ऐसा नहीं होगा और हम पिछड़ते चले जायेंगे तो हमारी आने वाली औलादें हमसे पूछेंगी जवाब तलब करेंगी कि क्यों उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया।

हमारी किसी प्रदेश से दुश्मनी नहीं है यह देश अपना है लेकिन जब अपना पेट नहीं भरेगा, मान्यवर, आज आसाम में क्या बात है मान्यवर आज आसाम में जो आर्थिक विषमता है उसके कारण यह आग लगी हुई है आज आसाम के वासी यह सोचने को मजबूर हैं कि वह भारत के साथ रहे या न रहे। कल यह आग पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगेगी, परसों बुन्देलखण्ड में लगगी और चौथे दिन जहां से आप आते हैं पहाड़ी इलाकों में यह आग लगने वाली है। यह जो आर्थिक विषमता है इसको दूर करने के लिये आप अगुआई करें जो जनता सरकार ने शुरू किया था। हर जिले में एक इन्डस्ट्री यूनिट खोली जाये, छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायें और बजट का 44 परसेन्ट उस पर खर्च होगा हर बेरोजगार को रोजी देने की योजना। उन योजनाओं को लागू किया जाय। और उन सारी योजनाओं को तीन साल में जनता पार्टी ने लागू करने की कोशिश की। जो पहले से चला आ रहा है, जहां 1857 में जो बगावत की आग जली, 1942 में जो आन्दोलन हुआ, वही पूर्वी उत्तर प्रदेश है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, वह अंग्रेजों की आंख में किरकिरी रहा, आपकी भी आंख में किरकिरी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकासित करने के लिए, उसके विकास की जो सम्भावनायें हैं उनको अमली रूप देने की मांग करता हूं। वरना आसाम की पुनरावृति पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाली है जिसकी सारी जिम्मेदारी आप पर और राज्य सरकार पर होगी।

*श्री गोरे लाल शाक्य—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियोजन पर बहस चल रही है। मैं अपने विरोधी लोगों के सामने सत्य-सत्य बातें रखना चाहता हूं। नियोजन का उद्देश्य पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था पापों, दुर्गुणों, और कमियों को दूर करने के लिये यह प्लानिंग चलायी गयी है और सारे विश्व में, हिन्दुस्तान में, अपने सूबे में। पिछले साल में जो 100 साल के बाद अकाल पड़ा इसको आपकी जनता पार्टी ने मीट आउट किया, यह कौन से देश की प्लानिंग थी? सारे साधन मुहइया किये, ट्यूबवेल लगवायें, सारे उद्योग धंधे कारखाने कांग्रेस ने लगवाये। इस योजना से मीट आउट किया आपने। इस योजना की आप आलोचना करते हैं। कांग्रेस के नियोजन ने जिसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती उस योजना ने आपको मीट आउट करने की शक्ति दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं । हमारे यहां पब्लिक सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, तीसरा कोआपरेटिव सेक्टर है जिस पर अभी मतदान हो चुका है । इसमें भी कल्पना कांग्रेस सरकार की है । आपके सरगना ने कहा था कि कोआपरेटिव सेक्टर एक बेकार सेक्टर है जब कि कांग्रेस की कल्पना है कि हिन्दुस्तान की गरीबी, रोजी-रोटी की समस्या इसी से हल हो सकती है । आप चाहते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटी न रहे । आपके सरगना चौधरी चरण सिंह चाहते हैं यह सेक्टर न रहे । आप लोग उसकी आलोचना करते हैं । इसके साथ-साथ यह किताब है, सांख्यिकी डायरी यह कांग्रेस के जमाने की कम्पाइल की हुई नहीं है, इसमें तीन साल के आपने आंकड़े दिये हैं वह डायरी में मौजूद हैं । अचीवमेंट इन प्रोडक्शन, एक्सपेन्डीचर इन फाइव इयर प्लान और पर कैपिटा एक्सपेन्डीचर जो दिया है । नेशनल इनकम बढ़ी है, अचीवमेंट इन प्रोडक्शन बढ़ा है, किसी फ्रंट पर भी बता दें जो कमी हुई हो जिसमें लास हुआ हो । सत्यता यह है कि यह कांग्रेस के नियोजन का ही फल है । आप असली बात न कह कर हुल्लड़बाजी मचाते हैं, नारेबाजी करते हैं । आप चाहते हैं कि जनतन्त्र कम्युनिस्टिक प्रणाली में बदल जाय । अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिये कि एक कमेटी के रूप में बैठें और अपने विचारों को समायोजित करें । अलग से एक कमेटी फार्म कर लें उसमें अपनी विचारधारा रखें । उसमें विचारधारा को रखें दूर करने की न कि उसमें ही हल्ला मचाना चाहिये । योजना क्या चीज है यह कांग्रेस सरकार ने नियोजन कैसे दिया है, हमारे यहां जो राशनिंग की व्यवस्था बनायी गयी है, जो सिस्टम है, यह प्राइज रेइज को कन्ट्रोल करने के लिए है । यह इसलिये किया गया है ताकि जनसंघ और पूंजीपति लोग करोड़ों टन अनाज भर कर रख लें । खत्तियां खुल जायेंगी और आप लोग महंगाई बढ़ाने में असफल होंगे । यह हमारी योजना है । सन् 47 से 52 तक आज तक फर्स्ट फाइव इयर प्लान, सेकेन्ड फाइव इयर प्लान, थर्ड फाइव इयर प्लान में और जो वर्तमान समय में योजना चल रही है आप उनको देखें । फर्स्ट इन्डस्ट्रीज सेकेन्ड एग्रीकल्चर । दोनों पर बराबर ध्यान दिया गया है । हमें इन्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों चाहिये । ऐसा नहीं होने दिया गया कि कहीं इन्डस्ट्रीज ज्यादा और कहीं एग्रीकल्चर को ज्यादा महत्व दिया गया हो । हमें चाहिये लोहा, इस्पात, तेल, गैस, सिंचाई के सामान और जहाज, एटोमिक इनर्जी, विद्युत । यह सब इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है जिन बुनियादों पर हमारा देश निर्भर करता है । हमने कौन सी चीज मुहय्या करके नहीं दी है । इतना अच्छा नियोजन दिया है हमारे जवाहर लाल नेहरू या अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने । इसको आप गलत साबित कर ही नहीं सकते । जो कांग्रेस की सरकार ने योजना दी है अगर आपने उसे बदल दिया तो हम ...।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

केवल एक मिनट चाहिये । हम लोगों ने उनके द्वारा लागू की गयी योजना अन्त्योदय स्वीकार कर ली कि थोड़ा डिफेक्ट था उसमें । गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा था । अब दिया जा रहा है । इसलिए गलत बात मत कहिये । सच-सच बात करें, इतनी अच्छी योजना हमारी है ।

श्री खैरुल बशर—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जहां तक कटौती के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो माननीय नियोजन मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी योजना क्या है, किस लिए है और आपकी योजना की मंजिल कहां है। योजना का कोई उद्देश्य न हो, जनहित का कोई सिद्धान्त न हो, जो अपने पक्ष को न देखता हो और जिसकी भविष्य पर कोई नजर न हो। ऐसी योजना कोई योजना हो ही नहीं सकती।

आज जो सरकार सत्ता में है 33 साल से उसने हमको क्या दिया है? हमारे प्रदेश की हालत क्या है, हम किस जगह खड़े हुये हैं? हर साल कीमतें बढ़ रही हैं। प्राइसेज इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं फिर आपकी योजना की हकीकत क्या है? आप योजना को साल में कितनी बार रिव्यू करेंगे? इसलिए मैं तो कहता हूं कि आपकी योजना निहित स्वार्थी वर्ग को खुश करने की योजना है। ढाई साल की जनता सरकार को जरूर कोसिये लेकिन यह साफ है कि 33 साल से गन्ना पैदा करने वाला किसान इसका मूल्य नहीं पा रहा है। आपने गन्ना बोने वाली करोड़ों जनता का ख्याल नहीं किया ख्याल किया तो उसी का जो मिल मालिक है। चाहे देश रसातल में चला जाये। इस योजना से क्या फायदा। आप अपनी योजना को देखें। यह योजना क्या है? एक कहावत है—

'अंधे को अंधियारे में बड़ी दूर की सूझी'

आपकी योजना इसी नीति की योजना हो सकती है। निहित स्वार्थी वर्ग की योजना है। इसकी न तो कोई मंजिल है और न ही कोई उद्देश्य है।

एक माननीय मंत्री जी ने लोहे की बात की। देश के लोहे के कारखानों की क्षमता क्या है एक करोड़ टन से अधिक पैदा करने की हमारे देश के लोहे के कारखानों की क्षमता है लेकिन बड़े शर्म की बात है हम 70 लाख टन से अधिक लोहा पैदा नहीं कर पाते। आप योजना की बात करते हैं। जिन लोगों ने ट्यूबवेल लगाने के लिये कर्ज लिया है। उन पर कर्ज की वसूली आ गयी उनके ट्यूबवेल नहीं लगा। उनके ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं मिल रही है। लेकिन आपकी योजना किस काम की है। गरीबी बढ़ती चली जा रही है। इस देश के अन्दर बेकारी बढ़ती चली जा रही है. मिलावट का काम बढ़ता चला जा रहा है। चीनी की कमी आ गयी, सीमेंट की कमी आ गयी, हर चीज के उत्पादन में कमी आयी। हमारे प्रदेश में किस चीज की बढ़ोत्तरी हुई है? कौन सी चीज बढ़ रही है, मुनाफा व रेट बढ़ रहा है। सेठों का, पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ रहा है। चीनी की पैदावार में कमी आई लेकिन पूंजीपतियों की थैलियां गरम हो गयीं। यही आपकी योजना है, यही आपकी प्रणाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रणाली का कोई उद्देश्य नहीं है। समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते। माननीय मंत्री जी क्रांति की बात भी करते हैं। पूंजीपतियों के पोषक समजवाद को क्या समझें। पुरानी रुढ़िवादी नीतियों पर चलने वाले क्रांति की बात करते हैं। क्रांति की बात करनी है हट जायें छोड़कर गद्दी। समाजवाद की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। प्रदेश की जनता को झुठलाना चाहते हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो अपनी योजना को रिव्यू करो।

क्या आपकी योजनाओं को जनता सही मानती है ? ये योजनायें किसी की हैं । मान्यवर, ये योजनायें नौकरशाही की हैं । मंत्री महोदय को तो एक सबक पढ़ा दिया गया है । बाकी आफिस में बैठे हुये बड़े-बड़े नौकरशाहों ने इन योजनाओं को लूटने और घसीटने के लिये बनाया है । मान्यवर, मंत्री जी का विभाग इतना करेप्ट विभाग है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । 50 परसेंट पैसा इंजीनियर खा जाते हैं । आपकी योजनायें कुछ भी नहीं हैं । आपकी योजनायें केवल रद्दी की टोकरी में डालने के लायक हैं । मेरे दोस्तो, जरा सोचो कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो । उस रास्ते पर जाओगे तो बरबाद हो जाओगे । जैसे-जैसे देश कमजोर होगा, वैसे-वैसे विदेशी ताकतें हमारे देश में कदम जमाने लगेंगी । चाहे वह आसाम की समस्या हो, या चाहे काश्मीर की समस्या हो, देश को विखंडित करने के लिये लोग पैदा हो जायेंगे । इसलिये जरा सचेत हो जाओ ।

अन्त में मैं फिर एक बार कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये और मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं कल से बोलने के लिये प्रयास कर रहा था । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने ये जो बजट रखा है, सचमुच में यह प्रशंसा के योग्य हैं और देखा जाय तो बहुत ही ठोस योजनायें प्रदेश के विकास के लिये दी गयी हैं । मान्यवर, जनता सरकार के पिछले तीन साल के शासन में एक कहावत मशहूर थी--

नक्शा, मीटिंग और सलाम,

प्लानिंग के ये तीन काम ।

मान्यवर, उस वक्त मंत्री जी लोग केवल दौरे करने में लगे हुये थे या अपने-अपने घटक को मजबूत करने में लगे हुये थे । प्रदेश की बहबूदी की तरफ उनका जरा भी ध्यान नहीं था । गांव के लोगों को देहातों में बहकाया जाता था ताकि चुनाव में वे उनका साथ दें और कांग्रेस की तरफ न चले जायं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो आमंत्रित किया था कि ठोस सुझाव माननीय सदस्य दें । लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया ।

श्रीमन्, जहां एक तरफ पूरे देश और प्रदेश के विकास के लिये योजनायें दी गयी हैं, वहीं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी और सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत ही पिछड़ा है, की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, जौनपुर जिले में खांडसारी मिल बजरंग नगर में सन् 60 में खोली गयी थी । बिजली नियमित रूप से न मिलने के कारण और गन्ना सूख जाने के कारण यह 74 से बन्द पड़ी है । उसमें व्यक्तिगत सदस्यों 51,300 रुपया, राज्य सरकार का 75,000 रुपया और जिला सहकारी बैंक ने 1·23 लाख रुपया उक्त खांडसारी मिल में लगाया था । लेकिन सन् 74 से मिल बन्द

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रभू नारायण सिंह--]

पड़ी है और उसके पुर्जों में जंग लग गयी है। कुछ पुर्जों को चोरों ने चुरा लिये हैं और अगर इस मिल को तत्काल न चालू किया गया तो बहुत बड़ी क्षति इस प्रदेश की और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश को हो जायेगी और प्रदेश के उद्योग को नुकसान होगा।

श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि नियोजन के नाम पर जो कुछ योजनायें दी गयी हैं गांवों में, सचमुच में वे उतनी लाभदायक नहीं रहीं जितना कि उनको होना चाहिये था और ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं हुयीं। मैंने देखा कि जहां लिंक रोड की योजना लागू की गयी थी तो अगर वहां के लोग सक्षम थे, अगर वहां के ब्लाक के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाई तो वहां सड़क पर काम हुआ है अन्यथा वह सड़कें वैसे ही खदाई में पड़ी हुयी हैं। तालाबों के लिये लाखों लाख रुपये प्रति ब्लाक दिये गये थे कि तालाबों को गहरा किया जाय। लेकिन मेरे पूरे क्षेत्र में केवल एक तालाब को गहरा करने के नाम पर करीब 27 हजार रुपया व्यय दिखाया गया। बाकी तालाबों पर काम नहीं किया गया है। मैं तो कहता हूं कि यह एक प्रकार से अच्छा हुआ कि पैसे को खर्च नहीं किया गया और पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ। मैं बयालसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं। बनारस के बार्डर पर त्रिलोचन महादेव नामक स्थान पर शारदा नहर की शाखा वहां से जाती है। वहां पर 27 गांव ऐसे हैं जहां पर वाटर लागिंग हो गयी है। खेत पानी से डूबे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह से आजमगढ़ की सरहद पर गौराबादशाहपुर में वहां पर 32 गांव ऐसे हैं जहां पर वाटर लागिंग है। पानी से वह इलाका डूबा है, फसल नष्ट हो गयी है। तो जो तालाबों को गहरा करने के लिये पैसा था जो ब्लाकों में बचा हुआ है उस पैसे का उपयोग ड्रेन बनाने में किया जाय और ड्रेनों में फाटक लगाने में किया जाय ताकि जब जरूरत हो तो फाटक से पानी की निकासी हो सके और जब सिंचाई की जरूरत हो तो वह पानी रोका जा सके। ऐसी ठोस योजना में इस पैसे को परिवर्तित कर दिया जायगा तो निश्चय ही उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह से पूरे प्रदेश में तालाबों के पैसों का उपयोग किया जाय। हमारे क्षेत्र में जलालपुर ब्लाक है। वहां पर 9 सड़कें खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ली गयीं थीं। लेकिन कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण वहां केवल एक लिंक रोड पर मिट्टी डाली गयी और बाकी पैसा पड़ा हुआ है। तो इस पैसे का अगर उपयोग नहीं किया गया तो गांव को सड़कों से जोड़ने की योजना जो है वह पूरी नहीं हो पायेगी। आज गांवों में अगर देखा जाय, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम है। आज काफी दूर-दूर तक चल कर बच्चों को विद्यालयों में जाना पड़ता है। मास एजूकेशन की जो योजना थी वह पूरी नहीं हुयी है। मैं तो कहूंगा कि हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना बनायी जाय। मैं जो सुझाव दे रहा हूं अगर उनको कार्यान्वित किया जायगा तो पूरे प्रदेश का लाभ होगा। अंत में मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम स्वरूप निम--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री द्वारा रखे बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस विरोध के पीछे मेरा यह अभिप्राय है कि जो वक्तव्य मंत्री जी ने दिया है उसमें सिवा

इसके कि सारहीन उद्देश्यहीन प्रस्ताव के अलावा कुछ नहीं है ।

इसमें ग्रामीण जनता को कोई राहत देने की बात नहीं कही गयी है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की बड़ी जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करती है उसके लिये इसमें कोई योजना नहीं है । उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनायी कि जिस प्रकार से कोई फैक्टरी खोली जाती है और उसका बीमा कर दिया जाता है लेकिन किसान के बारे में या किसान की फसल के बारे में या किसान के कारोबार के बारे में कोई इस तरह की योजना का जिक्र नहीं है । तो मैं कहूंगा कि यह नियोजन के जो प्रस्ताव मंत्री जी ने पेश किये हैं वह गरीबी को और बढ़ाने के लिये हैं । अमीरों को और अमीर बनाने के लिये हैं, शहरों के लिये है, और ग्रामीण जनता को धोखा देने के लिये यह बजट का प्रस्ताव रखा गया है । इसलिये मंत्री जी इस बारे में ध्यान दें । हमेशा ही ग्रामीण जनता की यह उपेक्षा बनी रही है, और पं0 जवाहर लाल नेहरू जी के समय से लेकर इन 30 वर्षों के कांग्रेसी शासन में यह सरकार ऐसा ही करती चली आ रही है और ग्रामीण जनता के लिये कभी भी कोई योजना नहीं बनायी गयी , तो मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना के अन्दर गांव के किसानों को खेती करने के लिये, मंडी बनाने के लिये, कोल्ड स्टोरेज और सड़कें बनाने के लिये योजनायें बनायें जिससे किसानों को राहत मिल सके और यदि उनको राहत नहीं मिलेगी और उनकी उपेक्षा होगी तो वह दिन दूर नहीं कि यह सरकार तो धराशायी हो ही जायेगी लेकिन साथ ही साथ इस प्रदेश में एक बड़ी क्रांति भी हो जायेगी । इसलिये मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । साथ ही साथ मान्यवर, मन्त्री जी शिक्षा, खेती और छोटे उद्योगों के बारे में अपनी योजनायें बनायें जिससे बेरोजगार, गरीब और भूमिहीन अपनी स्थिति को सुधार सकें । आज बेरोजगारी इसलिये है कि जो भी सरकार ने योजनायें बनायी हैं उनके पीछे उसकी मंशा उनकी भलाई करने की नहीं रही है । कांग्रेस शासन के नेता हमेशा ही पूंजीपतियों और धनी लोगों के लिये सारी योजनायें और कानून बनाते हैं जिससे पैसे के बल पर वह जीतकर अपनी सरकार बढा सकें । इसलिये हर चीज पूंजीपतियों के लिये है और गरीबों को तन ढ़कने के लिये कपड़े और मकान की कोई सुविधा नहीं है इन 30 साल के कांग्रेसी शासन में । इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि ग्रामीण जनता के लिये कुछ सोचें और योजनायें बनायें ।

आज सरकार की क्या व्यवस्था है, न बच्चों को पढ़ने के लिये किताबें हैं और न कापियां हैं और न स्कूलों में एडमीशन की सुविधा है । इसलिये सरकार को इन सब चीजों की व्यवस्था करना चाहिये । शिक्षा का जब तक प्रसार नहीं होगा तब तक कोई भी योजना कारगर नहीं हो सकती है । दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में इंजीनियर और डाक्टर बेरोजगार हैं । तो इतनी निकम्मी और निकृष्ट सरकार जो तकनीकी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है, ऐसी सरकार से किसी प्रोग्राम की क्या आशा की जा सकती है । इसलिये जो बजट अभी पेश हुआ है और उसको मैंने देखा तो मंत्री जी ने ब्यूरोक्रेसी के बनाये हुये बजट को यहां पेश कर दिया है । उनको नहीं मालूम है कि देहरादून, बहराइच की स्थिति क्या है, वहां फसल पैदा हो रही है कि नहीं या वहां क्या ज्यादा पैदा हो सकता है, इसका उनको कुछ भी नहीं मालूम है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सम्मानित उपाध्यक्ष जी, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने अवसर दिया कि मैं योजना मंत्री जी की मांगों के प्रस्ताव पर समर्थन में कुछ अपने विचार

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

व्यक्त कर सकूं । विचार व्यक्त करने के पहले मैं माननीय मुख्तार अनीस को दो शब्द धन्यवाद के कहूंगा कि उनको ज्यादा नहीं एक वर्ष में ही ज्यादा दर्द बढ़ गया और वह गांव की ओर देखने लगे । अभी तक तो यह मैं नहीं जानता था कि पुराने राम और हनुमान दोनों मिल कर कौन गांवों की तरफ ज्यादा देखता है । लगता है कि अनीस जी असली राम के साथ हैं और आज हनुमान का साथ छोड़ दिया है इसलिए इन्हें गांव दिखाई पड़ रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्लानिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ इसमें मूल्यांकन सब से अहम पहलू है और मूल्यांकन के द्वारा ही क्या नियोजन व कार्यक्रम संचालित हुआ यह जाना जा सकता है । इस मूल्यांकन में जो सरकारी आंकड़े लोग प्रस्तुत करते हैं उसे जगलरी की संज्ञा दी जा सकती है उसी से प्रगति बता दिया करते हैं ऐसा अन्देशा है और संभावना है कि आकड़े काल्पनिक होते हैं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पिछले साल प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ी धन राशि का परिव्यय किया गया है पिछले शासन द्वारा । उसी प्रौढ़ शिक्षा के नाम को लेकर आज कुछ लोग यहां पर जिसको घड़ियाली आंसू कहते हैं वह बहा कर कह रहे हैं कि इस प्रदेश की शिक्षा को कुछ लोग कम बढ़ाना चाहते हैं और कुछ लोग ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं ।

इसी के साथ-साथ में एक निवेदन करना चाहता हूं । सूखा जो एक तरीके से दैवी देन है उससे हमारे प्रदेश की आय में एक विशेष तरह का संकट आ गया था । केन्द्र में जब 3 प्रतिशत की कमी रही तो इस प्रदेश स्तर पर इसकी 17 प्रतिशत कमी आई है । इस प्रकार की परिस्थिति जब शासन को मिली है उसको देखते हुये जो योजना माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की है, मैं समझता हूं उससे अच्छी योजना दूसरी नहीं हो सकती थी । हां, एक बात जरूर रह गई, पटसन की । मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य बहुत सोच रहे हैं । मुझे लगता है कि पटसन के बारे में उन्होंने बंगाल की कुछ कल्पना की है । पटसन का जो स्वरूप है इसका विकास है, इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो पायेंगे कि इसके ऊपर यथोचित जोर इस नियोजन में दिया गया है । इस नियोजन में काटेज इण्डस्ट्रीज पर जोर दिया गया है लेकिन उनका विकास हैवी इण्डस्ट्रीज के बिना नहीं हो सकता । पटसन उद्योग बड़े उद्योग के सहारे चल सकते हैं ।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं । साथ ही शासन के प्रति मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विद्युत् के लिए इन्होंने विकल्प की व्यवस्था की है और उस ओर सजग हैं । विद्युत् के आधार की कल्पना जल के अलावा भी दूसरी हो इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की जा रही है . . .

श्री मुख्तार अनीस--

यह योजना जनता पार्टी की थी . . .

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अगर जनता पार्टी की थी तो आपने नाराजी क्यों प्रकट की । उसी जनता पार्टी की योजना के खिलाफ आपने नाराजी प्रकट की ।

मैं साथ ही साथ एक निवेदन और कर रहा हूं। गाडगिल फारमूले के अन्तर्गत केन्द्र से उत्तर प्रदेश ने मांग की है कि उसके पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये यहां पर विशेष ध्यान दिया जाय और जो केन्द्र से सहायता उपलब्ध हो उस धनराशि में बढ़ोत्तरी हो इसके लिए माननीय मोहन सिंह जी आपको बधाई देनी चाहिये। केन्द्र की सहायता से इस योजना का आकार बढ़ा है। इसके स्वरूप की प्रशंसा आपको अवश्य करनी चाहिये थी जब कि उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री मुख्तार अनीस--

इस वर्ष केन्द्र ने कितनी सहायता दी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पिछले साल जो मांग की थी उससे ज्यादा केन्द्र ने सहायता दी है। 119 करोड़ की बढ़ोत्तरी की है देश में प्रति व्यक्ति जो रुपया सहायता के रूप में आता है उसका आंकड़ा 253 रु0 है परन्तु इस प्रदेश का 212 रुपया आता है। इस विषमता को दूर करने के लिये जो प्रयास किया गया है उसके लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं। एक बात इलाहाबाद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अल्लापुर में बख्शी बांध रोड पर सेल्यूस गेट की व्यवस्था की जाय और जो आयोजनेत्तर व्यय हर वर्ष बढ़ जाता है हर साल उसे रोका जाय। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक योजना गोढ़री बांध एवं रेगुलेटर की थी जिसे जनता पार्टी ने ड्राप कर दिया था उसे भी यह सरकार कार्यान्वित करने की कृपा करे।

श्री ऊदल--

मान्यवर, बिना प्लानिंग के किसी देश का ठीक से विकास नहीं हो सकता। लेकिन अदूरदर्शिता की वजह से जो दिशा विहीनता और दुर्दशा हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाय यह सोचना होगा। प्लानिंग रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। प्लानिंग की जब शुरूआत यहां हुई तो 5 साल की योजना एक बार में बना दी जाती थी और पंचवर्षीय योजना उसका नाम दिया जाता था। लेकिन अब तो एक साल की योजना भी हम ठीक से नहीं बना पाते। एक-एक साल की हम प्लानिंग कर रहे हैं। यह उद्देश्यहीनता का द्योतक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है प्लानिंग का मतलब है हर क्षेत्र में विकास करना, बेरोजगारी को दूर करना रोजगार दिलाना, अशिक्षा को दूर करना, शिक्षा को बढ़ाना, बड़े-बड़े उद्योगों को खोलना और लोगों को प्लानिंग के माध्यम से उनके मुताबिक उनको ढालना और उसी के अनुसार शिक्षा को देना। लेकिन आज हम किस तरह के समाज को बना रहे हैं जब पुलिस और एक वर्ग के लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम यह कहते हैं कि इसमें विदेशियों का हाथ है। यह हम पिछले तीस वर्ष में कर पाये हैं तो फिर हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं ? विचारणीय प्रश्न यह है कि इस प्रकार से रिवोल्यूशन होने वाला नहीं है। हमें सोचना होगा कि हम इस देश व समाज को कैसा बनाना चाहते हैं ? जब कोई रूप-रेखा हमारे पास होगी तभी हम प्लानिंग ठीक से कर सकेंगे। प्रत्येक जिले में अब ए0 डी0 एम0 (विकास) भी हो गया है। पहले वह ए0 डी0 एम0 (पी) था। क्या इस तरह से रिवोल्यूशन होगा ? उनका काम क्या है ? क्या प्लानिंग वह कर रहे हैं ? हर

[श्री ऊदल—]

15 दिन में अथवा महीने में ए0 डी0 ओ0, बी0 डी0 ओ0 के साथ मीटिंग हो जाती है ।

मान्यवर, कहावत है 'प्लानिंग के तीन काम' नक्शा बनाना, फर्जी झूठा और धोखा देने वाला, फर्जी मीटिंग करना और श्रीमान् को (ब्रह्मदत्त को और अफसरों को) सलाम करना । यही उद्देश्य इस प्लानिंग का रह गया है । आपने प्रत्येक जिले में विकास क्षेत्र खोले हैं । 20–20 और 25–25 । क्या मैं जान सकता हूं कि इनका क्या काम है ? देश का अरबों रुपया इन विकास क्षेत्रों पर लग रहा है । कौन सी प्लानिंग है । आज विचारों को बदलने की आवश्यकता है और देश को युग के मुताबिक प्लानिंग करने की आवश्यकता है । प्रदेश के अन्दर बाढ़ आई, आपने क्या दीर्घकालीन योजना बनायी, क्या मैं जान सकता हूं ? हर तीसरे वर्ष बाढ़ आती है और इसी तरह से सूखा भी पड़ता है । आप कहते हैं कि हमने दीर्घकालीन योजना बना रखी है । कौन सी योजना है । आपने फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना रखा है, उसका क्या काम है, नियोजन संस्थान का क्या काम है, कितने उद्योग-धंधे आपने खोल रखे हैं, कितने बड़े-बड़े कल कारखाने आपने खोल रखे हैं ? मान लीजिये यहां पर बिजली का संकट है, आपने क्या उसके लिये योजना बनाई है ? डाला सीमेन्ट फैक्ट्री की क्या हालत है, चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री की क्या हालत है ?

आप कहते हैं कि हम नेशनल विकास दर के मुताबिक प्रदेश का विकास करना चाहते हैं । अभी एक प्रश्न के उत्तर में आप कह रहे थे कि उसे हम 6 प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसका सपना देखना चाहते हैं । कितने करोड़ रुपये की आपको इसके लिए आवश्यकता होगी । मैं समझता हूं कि 20 हजार करोड़ रुपये आप खर्च करेंगे तब देश की विकास दर पर उत्तर प्रदेश को आप पहुंचा सकते हैं । वरना हम 50 साल पीछे हैं । मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर प्लानिंग ठीक से नहीं किया गया तो अभी 8 वर्ष तक हमारे प्रदेश में बिजली का संकट रहेगा । इसलिए इस संकट को दूर करने के लिए आप उचित व्यवस्था करा दें । इसके अतिरिक्त यहां पर बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए आपने क्या योजनायें बनायी हैं । आप कहते हैं कि हमने डेरी फार्मिंग का उद्योग खोला है । हमारे बनारस में रामनगर में एक डेरी फार्म खोला हुआ है । उसमें 3 करोड़ की लागत लगी हुई है लेकिन वह मार्च के महीने से बन्द पड़ा हुआ है । लाखों रुपये हर माह तनख्वाह के रूप में आपको देना पड़ता है । इसलिये यह तो पूंजीवादी प्लानिंग है । मैं कहता हूं कि देश का समाजवादी विकास इससे नहीं हो सकता है । इसलिये आज विचारों को बदलने की जरूरत है, समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अच्छे नागरिक बनाने की जरूरत है और वह हम कैसे बनायें इसलिये अच्छी प्लानिंग की जरूरत है । आपको अपनी इस प्लानिंग की रूप रेखा को बदलना पड़ेगा । आज पहाड़ों की क्या स्थिति है, बुन्देलखन्ड की क्या स्थिति है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य की क्या स्थिति है, पश्चिम की क्या स्थिति है ? इन सब बातों पर आप विचार करें और जो असमानतायें हैं उनके बारे में सोचें कि वे कैसे दूर हों । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने विचारों को बदलिये । रिवोल्यूशन कहने से नहीं होता । इसलिये नियोजन मंत्री, लेक्चर कम और काम ज्यादा । मंत्री जी सुन लीजिये आपके नेताओं ने कहा है कि काम अधिक बातें कम जिनको आप पूजते हैं उन्होंने यह बात कही है जरा उसको ठीक से अमल करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, मैं नियोजन विभाग की बजट मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुये आपके माध्यम से मंत्री जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में अवगत कराना चाहता हूं । मान्यवर, यहां पर पर्वतीय विकास की बात होती है उसके लिये 80, 85 करोड़ रुपया दिया गया है । बुन्देलखंड के विकास के लिये भी चलाई गयी हैं । मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां के लिये भी यूरिया कारखानों की बात अगली आने वाली योजना में रखी जाय । जैसा कि नियोजन विभाग ने मेरठ में खाद के कारखाने के बारे में कहा है तो मेरा अनुरोध है कि वहां पर यूरिया का कारखाना लगाया जाय ।

दूसरी बात सिंचाई के साधन बढ़ाने की है । जनता पार्टी के शासन में भी सिंचाई की काफी बात चली वह साधन बढ़ा पाये या नहीं मैं नहीं कहता मगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन लगाये जायं। वहां जो रेतीली जमीन है उसके लिये सिंचाई के साधन नहीं हैं ।

तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिए जो आवास बनाये हैं उसके बारे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो घर बनाये गये हैं वह आज तक भी आवंटित नहीं किये गये हैं । उसके बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, औद्योगिक क्रांति की बात पं० जवाहरलाल नेहरू किया करते थे उन्होंने नारा दिया था कि उत्पादन बढ़ाओ या खत्म हो जाओ । ढाई साल के शासन में जनता पार्टी कोई औद्योगिक विकास नहीं कर पायी जो लोग बड़े उद्योगों के विरोधी हैं उनकी बात मैं नहीं करता मैं उसका हामी हूं । अगर लघु उद्योग चलाने हैं तो वह भी हैवी इंडस्ट्रीज पर बेस्ड हैं । लघु उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं कि ग्रामीण रोजगार योजना अतिशीघ्र लागू करें । ग्रामीण रोजगार योजना में हमने सड़कें बनाई मगर उससे हम गांवों का आर्थिक विकास नहीं कर सके । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर गांवों का विकास करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने और आलू की बहुत पैदावार होती है, पिछले वर्ष तो किसान भाई आलू को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख पाये, आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस तरह से मुख्तार अनीस ने कहा कि टमाटर की चटनी बनाइये, इसी तरह से आलू के लिये भी कोई योजना बनाईये क्योंकि आलू से बहुत से खाद्य पदार्थ बनाये जा सकते हैं । तो इससे गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा और छोटे लघु उद्योगों के द्वारा बेरोजगारी दूर हो सके । मुझे पूर्ण आशा है कि वह इस ओर ध्यान देंगे । मैं आपके माध्यम से नियोजन मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो यह योजना पूरे प्रदेश में चलाई गई है । लघु कृषक योजना, इसे हर ब्लाक में चलाया जाए। इसके अलावा जहां-जहां पानी पीने के साधन अभी नहीं जुटाये गये हैं, वहां पेयजल की सुविधा जुटायी जाये और भूमि संरक्षण की ओर ध्यान दिया जाय और शहरों से हट कर मंत्री जी गांवों के विकास की ओर और औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दें ।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने नियोजन मंत्री के मांग-पत्र पर बोलने का अवसर दिया। मंत्री जी ने जो मांग-पत्र रखा है वह एक चूं-चूं का मुरब्बा लगता है। इस प्रदेश के लिये जो नियोजन किया जा रहा है, उसमें उन्होंने इस प्रदेश की भारी जनसंख्या का कोई ध्यान नहीं रखा है। ऐसा लगता है कि इस दिशा में बड़ी लापरवाही दिखायी गयी है। फेमली का हेड जब बजट बनाता है तो वह आगे आने वाले समय का पूरे वर्ष का ध्यान रखते हुए बजट बनाता है। उसी हिसाब से वह आवास, चिकित्सा आदि की प्लानिंग करता है कि इसके लिए क्या-क्या करना है, क्या व्यय करना है। लेकिन मंत्री जी ने पूरे प्रदेश रूपी परिवार का पूरा ध्यान ही नहीं रखा। उन्होंने पूंजीपतियों का बजट बनाकर रखा है और उन्ही का इसमें नियोजन किया गया है। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को गरीब बनाया। उन्होंने कभी जनता की मुसीबतों को देखकर प्लानिंग नहीं बनाई। इनका बजट बड़े पूंजीपतियों के लिए होता है। यह सोचते हैं कि बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे तो प्रदेश की प्रगति हो जायेगी। इस प्रदेश की ग्रामीण जनता की शिक्षा की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया था, उसको शिक्षित करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। यह जानते हैं कि यदि वह शिक्षित होगी तो कांग्रेस को वोट नहीं देगी और हमारी गद्दी छिन जाएगी। एक छोटा सा प्रदेश केरल है, वहां शिक्षा का परसन्टेज 56 प्रतिशत है, लेकिन इतने बड़े अपने प्रदेश में यह केवल 21 प्रतिशत है। पूरे देश का औसत 31 परसेन्ट आता है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत आय केवल लगभग 560 रु० है, लेकिन पंजाब में प्रति व्यक्ति प्रति-वर्ष औसत आय 1800 रुपया है। हम सोचते हैं कि वहां इतने प्राकृतिक साधन हैं, गंगा-यमुना जैसी नदियां बहती हैं, हिमालय जैसा पहाड़ है और हम इतने साधन होते हुए भी प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल नहीं कर पाते जिससे इस प्रदेश की जनता की गरीबी दूर हो सके। यहां सब प्रदेशों से ज्यादा गन्ना होता है, लेकिन उसका अधिकतर भाग किसान गुड़ बनाता है और आज चीनी का भाव खुले बाजार में 12 रुपया किलो है। यदि सरकार यही प्लानिंग बना ले कि जितना गन्ना होता है उसकी चीनी बनेगी, तो उससे इस प्रदेश का काफी भला होगा और किसान का अपनी क्रेश क्राप को पूरा पैसा मिल जाएगा और उसे बड़ी राहत मिलेगी। हमारे वर्मा जी ने वहां पर पैट्रोल की कमी की बात कही है। तो हमारे नियोजन मंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे यहां पर जनसंख्या को देखते हुए बिजली के बारे में भी कभी प्लानिंग ठीक से नहीं किया गया है। यदि पहले से ठीक से प्लानिंग किया जाता तो आज बिजली की प्रदेश में कमी न होती।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं और कीमती सुझाव भी दिए हैं। मैं माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि जब मैं छोटे उद्योगों की बात करता हूं। तो मेरा मंशा कभी यह नहीं है कि मैं बड़े उद्योगों का विरोधी हूं। अगर हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा, रेल के डिब्बों को बनाना होगा, तो निश्चित् बात है कि हमें बड़े-बड़े कारखाने लगाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होंगे, स्टील के कारखाने लगाने होंगे लेकिन जो चीजें घरों में पैदा हो सकती हैं, उनको बनाया जा सकता है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकते हैं, उनके लिए बड़े-बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं है ।

भदोई, मिर्जापुर और बनारस म हजारों लोग कालीन बुनने के काम में लगे हुए हैं । एमर्जेन्सी काल में वहां पर एक बड़े उद्योगपति को कालीन का कारखाना लगाने का लाइसेन्स दे दिया । इसी प्रकार से रायबरेली में एक बड़े उद्योगपति को कालीन बनाने के कारखाने का लाइसेन्स दे दिया गया और उससे इलेक्शन के लिए चन्दा ले लिया । नतीजा क्या हुआ कि हजारों लोगों का रोजगार उस बड़े कारखाने की वजह से छिन गया और हस्तकला उद्योग को उससे बहुत बड़ा धक्का लगा है । जब हाथ से इतनी अच्छी साड़ी बन सकती है तो फिर उसके लिए बड़े उद्योगों के लिए लाइसेन्स देने की क्या जरूरत ? इसके अलावा जो सामान हाथ से तैयार किया जाता है उसके लिए यह मानी हुयी बात है कि उसका दाम कारखाने में बने सामान से महंगा होगा । लेकिन इससे नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर हजारों लोगों की रोजी चली जाती है । सबसे बड़ी बात हमारे नियोजन की यह होनी चाहिए कि हम अपने लोगों को रोजगार दे सकें ।

अभी यहां पर माननीय ऊदल जी ने डेयरी की दुर्व्यवस्था की बात कही । पिछली सरकार के जमाने में एक कमेटी गठित हुयी थी और आज के नियोजन मंत्री उसके अध्यक्ष थे । 4 महीने के लगभग हो गया लेकिन उन्होंने अपनी ही रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की, मैं पूछना चाहता हूं ? मैं तो यह कहता हूं कि नियोजन को राजनीतिक आधार मत दीजिए बल्कि नियोजन को प्रदेश के पिछड़ेपन से जोड़कर चलिए । इसका एक कारण यह हुआ है कि सारे प्रदेश की सारी व्यवस्था चौपट हो रही है । अब मैं एक मिसाल कानपुर की देता हूं जहां डेयरी में दूध ले जाने के लिए उन्नाव जिले के बांगरमऊ में अपने चिलिंग प्लान्ट लगाया क्योंकि उस समय के सहकारिता मंत्री उन्नाव जिले के हैं । नतीजा क्या हो रहा है, वह सारा का सारा प्लान्ट बन्द पड़ा हुआ है । इसी प्रकार से और भी चिलिंग प्लान्टस बन्द पड़े हुए हैं क्योंकि उनका आधार राजनीतिक था । आज योजनाओं पर क्या हो रहा है ? जो योजनाएं बन रही हैं, उनकी फाइलें नियोजन विभाग में चली जाती हैं और नियोजन विभाग के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं । आपके नियोजन विभाग का जो पहला अधिकार है वह यह है कि वह विभागों में समन्वय करेगा, और उनके अन्दर जो योजनाएं बनेंगी उनको देखेगा लेकिन हो इसका उल्टा रहा है । मंत्री लोग सिफारिश करते हैं और योजनायें बन जाती हैं और योजना विभाग उन पर सिर्फ मोहर लगाने का काम करता है । मैं चाहता हूं आपके सभी विभागों में एक समन्वय रहे । प्रदेश की सारी योजनायें आज जिलों से आती हैं, जिलों के अन्दर मजबूती से समन्वय होना चाहिये । पूरे प्रदेश का सर्वे कर के यह देखना चाहिये कि कहां-कहां पर उद्योग बढ़ाये जा सकते हैं, वहां उद्योग लगाना चाहिए ।

बाढ़ को रोकने के लिये आज तक कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया । पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखीमपुर का क्षेत्र पिछले 30 वर्षों में बाढ़ के कारण चौपट हो गया है और आप बाढ़ को रोकने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठा पाये । लाखों एकड़ जमीन आज बाढ़ की चपेट में रहती है और बेकार पड़ी है । आपका ध्यान तो केवल इस तरफ रहता है कि हमसे प्रधान मंत्री खुश रहें, फलां

[श्री मुख्तार अनीस--]

साहब खुश रहें । उत्तर प्रदेश के बजट का जब एक हिस्सा लोक सभा में पेश हुआ तो बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूछे हुये, बिना वित्त विभाग से पूछे हुये, बिना नियोजन विभाग से पूछे हुये, अमेठी जिले में कई सड़कें मंजूर कर दीं । इस तरह से आपने अपने इस विभाग का राजनैतिक करण कर दिया है । इसको आप समन्वय का आधार बनाइये । आपके पास वित्त विभाग भी है, नियोजन भी है, संस्थागत वित्त भी है, इन सभी का आपस में समन्वय बहुत जरूरी है । प्रदेश को ऊपर उठाने का काम कीजिये । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को मजबूती के साथ पेश करता हूं, आप कुछ कर नहीं पायेंगे, आपके बस का है भी नहीं, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने वाला नहीं हूं ।

*श्री ब्रह्मदत्त--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने नियोजन के सम्बन्ध में अपने रचनात्मक सुझाव किये हैं । मैं रचनात्मक सुझाव का स्वागत करता हूं और भ्रामक सुझावों का निराकरण करना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने अभी कहा कि नियोजन विभाग को आप राजनैतिक आधार न दें । नियोजन विभाग का आधार हमेशा राजनैतिक होता है । किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हम योजना बनाते हैं यह चीज सामने रखी जाती है । मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जिस समय योजना के बारे में कल्पना की गयी थी, उस समय भारतवर्ष आजाद नहीं हुआ था, 1945-46 में, उस समय 3 योजनायें बनीं थीं । एक तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों की बनी थी जिसे बाम्बे प्लान का नाम दिया गया था और दूसरी थी म्युपिल्स प्लान और तीसरी बनी थी गांधियन प्लान । कांग्रेस की प्लानिंग पहले ही बन चुकी थी और हमारी प्लानिंग उन लक्ष्यों की पूर्ति का एक संकेत मात्र है जिनको कि हम प्राप्त करना चाहते हैं । और इसलिये हमारी मजबूरी है कि हमारी प्लानिंग का एक राजनैतिक आधार है । जब पिछले तीन वर्षों में आपकी सरकार रही, आप का कोई राजनैतिक लक्ष्य नहीं रहा, इसीलिये आपने प्लानिंग की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया, अपने रोलिंग प्लान बनायी, आपकी प्लान रोलिंग करती रही और यही कारण है कि आप कोई योजना नहीं बना सके ।

यह बात सही है कि हमारे प्रदेश की आधी आदमनी कृषि से आती है और 3/4 आबादी कृषि पर ही निर्भर है, और हमारी अर्थ व्यवस्था की वही नियंत्रित करती है । कृषि को एक इन्डस्ट्री बनना है । जो लोग कृषि और इन्डस्ट्री में फर्क भ्रमवश समझते हैं, मैं उसे गलत समझता हूं । इसलिए कि जो काम इन्डस्ट्री में होता है, वही काम कृषि में होता है और बगैर अपने बेसिक उद्देश्यों का विकास किये, बगैर बिजली का विकास किये, बगैर सीमेंट का विकास किये बगैर फर्टिलाइजर का विकास किये हुए कृषि का विकास सम्भव नहीं । मान्यवर, मैं दो बातें बतलाना चाहता हूं । 1978 की योजना बनाते समय माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह शायद मंत्रि-मंडल में थे, आपने 11,005 लाख रुपये का कृषि में प्राविधान किया था । 1979 में आपने 1,788 लाख रुपये का प्राविधान किया था । आपने अगले साल केवल 783 लाख रुपया बढ़ाया । 1980-81 में हम उसके सम्बद्ध सम्वर्गों में 14,611 लाख का प्राविधान करने जा रहे हैं । कुल मिला कर 15495 लाख ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहां आप का 11,005 लाख और हमारा 15,495 लाख। मान्यवर, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने भ्रमवश जो कुछ कहा है, उनका थोड़ा भ्रम निवारण करना चाहता हूं। सिंचाई में 1978 में 14,915 लाख रखा गया और खर्च 13,731 लाख खर्च हुआ। अगले साल रखा गया और खर्च 15,377·24 रु0 हुआ। 1980 में 16,800 लाख रखा गया और इस वर्ष 17,715 लाख रखा गया। तो इस तरह से कृषि के लिए बढ़ा रहे हैं और सिंचाई के लिए बढ़ा रहे हैं। खाली नहरें बनना पूरा काम नहीं होता है, नहरों की क्षमता का उपयोग करना बहुत बड़ा काम होता है। 1951 में 100 फीसदी का, 1960-61 में 94·7 फीसदी, 1970-71 में 95.7 फीसदी हमारी योजना सफल रही है। आपने जब यह राज्य छोड़ा और जब हमने यह सलतनत सम्भाली, आप 81 परसेंट उपयोग कर रहे थे, आपने उपयोग को गिरा दिया। लघु कृषक योजना बहुत उपयोगी है। मान्यवर, बिजली की बहुत बात की जाती है। हमारे यहां बिजली की क्षमता बढ़ती गयी। बिजली के पावर हाउसेज नये-नये बना दिये गए, लेकिन जिन पावर हाउसेज का 58 फीसदी उपयोग 1977 में हुआ था, जब हमारे वित्त मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी थे, जो केन्द्र में आज नियोजन मंत्री हैं। जब आपकी हुकूमत का पहला साल आया और फिर उसके बाद दूसरा साल आया तो 45 फीसदी रह गया। इसी लिए हमारा नियोजन का दो इफर्ट यह होगा कि सिंचाई में अधिकतम उपयोग करें। मैं यह दावा कर सकता हूं कि आज हमारे पास जितने बिजलीघर हैं, जितना 1978-79 में छोड़े थे, अगर हम उसका उपयोग कर पायें, हमारे पास कोई बिजली का संकट नहीं है। यह अक्षमता का कारण यह है कि जो पिछले तीन साल में किया गया था, उसका कारण है। हमारा दूसरा इफर्ट आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में है। बिजली के लिए 1978 में 27,589 लाख की आपकी योजना थी और आपने प्रदेश को उस आउटले से करीब-करीब 1 हजार का घाटा दिया। हम अपनी योजना में इसको बढ़ा कर 30 लाख करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय विषमता की बात आप करते हैं। हमने इस तरह की प्लानिंग किया है कि गढ़वाल जिले में तथा अन्य जिले में, जो पहाड़ी जिले हैं, उनमें भी पावर की कमी नहीं रहेगी। थर्मल पावर हाउस जो हमारा है, इसे पावर हाउस माना नहीं जा रहा है। टान्डा पावर हाऊस बनाने जा रहे हैं, रायबरेली और ऊंचाहार में भी बनाने जा रहे हैं। इससे हम अपने कार्यकाल में दिखा देंगे कि हम हर क्षेत्र में क्या-क्या करने जा रहे हैं। आज मान्यवर इसी बात की जरूरत है कि जो विषमता इनके राज्य में फैली इस क्षेत्र में, उसको हम दूर करें, इसके आधार पर हमारी योजनाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप बार-बार 'आप' शब्द का प्रयोग करके मुझे सम्बोधित कर रहे हैं कि यह सब मेरे कार्य-काल में ही हुआ है। लेकिन हमारे कार्य-काल में तो ऐसा हुआ नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त--

फ्लड कंट्रोल की बात इन लोगों ने कही। यह बात सही है कि फ्लड से हमारे यहां अक्सर सैकड़ों करोड़ रुपयों का नुकसान होता रहता है। इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। नेपाल के पहाड़ों से जितनी भी नदियां

[श्री ब्रह्मदत्त--]

आती हैं, उन्हीं से यह बाढ़ आती है। और जो मुख्य-मुख्य नदियां हैं गंगा, यमुना और राप्ती आदि इन सब पर बांध बनायेंगे।

श्री मुख्तार अनीस--

हमारे सीतापुर जिले में जो नदी बहती है, उस पर भी बांध बनाये जाने की कोई योजना है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आपके जिले में नदी कहां बहती है, वह तो एक नाला है प्रश्न तो आज बड़ी-बड़ी नदियों और प्रमुख नदियों पर बांध बनाने का है जैसा कि पहले मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपने यमुना, गंगा और राप्ती आदि नदियों पर बांध बनाने की बात तो कही, लेकिन गण्डक नदी के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, घाघरा और शारदा के संगम से, उनके मिलाने से सीतापुर में मल्लापुर के पास का पूरा इलाका डूब रहा है, उस ओर भी कोई कार्यवाही करेंगे आप ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, बहुउद्देश्यीय योजना हमेशा उद्गम से ही बना करती है। ऊपर की ओर से, इसके अतिरिक्त मान्यवर आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि योजना आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है। 810 करोड़ रु० की योजना को बढ़ा कर यह सरकार 934 करोड़ रु० को स्वीकार कराकर ले आयी है हिमाचल प्रदेश के बराबर। एक माननीय सदस्य जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि 20 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाएं तो देश और प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय घटाई जा सकती है। हमारा मान्यवर, प्रयास भी यही है कि 20 करोड़ रु० को लगाकर 9 करोड़ रु० एक ओर 11 करोड़ रु० अलग। पूरे उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति की आय में विषमता है, उसको दूर करेंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की हर क्षेत्र की विषमता को दूर करेंगे और जो वर्ग विषमता है, उसे कम करेंगे। क्योंकि हमें लोकतांत्रिक तरीके से सब सोचना है। हमारी शुरू से ही यह मन्सा रहा है कि हम जिस योजना को बनाएं लोकतांत्रिक ढंग के बने और जब इसका प्रारूप तैयार करेंगे तो हर स्टेज पर इस सदन से सभी माननीय सदस्यों को इन्वाल्व किया जायेगा और उस पर उन सभी की राय ली जायगी। योजना का काम खाली कागज की योजना बनकर नहीं रहेगा। योजना विभाग का काम योजना बनाकर उनको कार्यान्वित करना है। योजना बनाकर उन पर पूरी निगरानी रखी जायेगी और उनको लागू किया जायेगा। अतः प्रार्थना करता हूं कि विरोध पक्ष से कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मुख्तार अनीस--

वापस नहीं लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

तो मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,57,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्त यह है कि अनुदान संख्या 96--नियोजन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96--नियोजन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय निकायों तथा समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सूचना देता हूं। सदन की चार समितियों, स्थायी समितियों तथा कतिपय निकायों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार नामांकन की अन्तिम तिथि आज के लिए निर्धारित थी। कल सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार सदन की समितियों तथा स्थायी समितियों के लिए अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे उनका नामांकन करें अब शेष निकायों अर्थात राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के लिए और 13 विश्वविद्यालयों के लिए माननीय नेता विरोधी दल

[श्री अध्यक्ष--]

तथा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के अनुरोध पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :

1--नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को अपराह्न 4 बजे तक ।
2--नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शनिवार दिनांक 26 सितम्बर, 1980 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा कक्ष में) ।
3--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक ।
4--निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो--	
(क) राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के लिए तथा (ख) 13 विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिए	बुधवार, दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ में होगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई थी जिनमें से माननीय अध्यक्ष ने श्री हरिवंश सहाय की सूचना को स्वीकृति दी है । दिनांक 8-9-80 को जिला देवरिया के रेलवे प्लेटफार्म पर हुई रेल दुर्घटना से घायल व्यक्तियों की चिकित्सा सुविधा सुचारू रूप से न होने तथा भीड़ पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है ।

श्री मोहन सिंह--

हमने भी दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसी से सम्बन्धित श्री मोहन सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की भी सूचनाएं थीं । यह उसमें जोड़ दी गयी है ।

मैं सरकार से यह कहूंगा कि 17 तारीख को इस पर वक्तव्य आ जाना चाहिये ।

एक सदस्य--

इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

एलगिन मिल कं0 लिमिटेड (मिल नं0 2), कानपुर में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

मेसर्स एलगिन मिल्स कं0 लिमिटेड (मिल नं0 2), कानपुर के श्रमिक 20% की दर से बोनस देने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे, जिसमें नारेबाजी प्रदर्शन आदि सम्मिलित थे। दिनांक 1 अगस्त, 1980 से श्रमिकों ने प्रातः की पाली में मध्यान्तर के बाद एक घंटे व उससे अधिक काम बन्द करना भी प्रारम्भ कर दिया था जिसका अनुकरण बाद में मिल की अन्य पालियों में भी श्रमिकों द्वारा किया जाने लगा। क्षेत्रीय श्रम कार्यालय द्वारा पक्षों को दिनांक 16 अगस्त, 1980 को बुलाकर वार्ता करायी गयी। इसके अतिरिक्त देय बोनस की दर की जांच श्रमायुक्त कार्यालय के बोनस सेल से करा कर समस्या के समाधान का प्रयास किया गया। बोनस सेल के अनुसार न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत देय पाया गया। अतः क्षेत्रीय श्रम कार्यालय द्वारा मिल में कार्यरत यूनियनों को इसकी विधिवत् सूचना देकर आन्दोलन न करने का परामर्श दिया गया।

श्रमिकों द्वारा 20 प्रतिशत की दर से बोनस वितरित किये जाने की मांग की जाती रही है और वे किसी यूनियन के माध्यम से वार्ता न करके स्वयं वार्ता करने का हठ करते रहे हैं। सेवायोजकों ने दिनांक 26 अगस्त, 1980 से नोटिस लगाकर कुल 10 प्रतिशत की दर से बोनस देना घोषित किया था और 27 अगस्त, 1980 से बोनस वितरण का कार्यक्रम भी लगाया था, परन्तु श्रमिकों ने इस दर से बोनस लेना स्वीकार नहीं किया। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिष्ठान में गत वर्ष सेवायोजकों ने 10 प्रतिशत की दर से ही बोनस वितरित किया था। श्रमिकों ने 20 प्रतिशत की मांग को लेकर अपना आन्दोलन जारी रखा। एलगिन मिल नं0 2 के सेवायोजकों ने 26 अगस्त, 1980 को इस आन्दोलन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 25 श्रमिकों को निलम्बित कर दिया। इसके पश्चात कुछ और भी श्रमिक निलम्बित किये गये जिससे निलम्बित श्रमिकों की संख्या 72 तक पहुंच गयी। उन पर प्रमुख रूप से आरोप यह था कि वे गैर कानूनी रूप से आंशिक हड़ताल करने, मिल में बिना आज्ञा सभाएं करने तथा उकसाने वाले भाषण देने आदि के दोषी हैं। सेवायोजकों के अनुसार श्रमिकों के लगातार आन्दोलन व कार्य बन्दी के कारण उनके द्वारा उत्पादन कार्य चालू रखना असम्भव हो गया और इस कारण से वे मिल में तालाबन्दी करने के लिए बाध्य हो गये एवं उन्होंने 2 सितम्बर, 1980 को प्रातः 5 बजे से एलगिन मिल्स लिमिटेड (मिल नं0 2), कानपुर में तालाबन्दी कर दी। इस मिल में लगभग 5,280 श्रमिक नियोजित हैं।

दिनांक 3 सितम्बर, 1980 को कुछ श्रमिक नेता क्षेत्रीय अतिरिक्त श्रमायुक्त, कानपुर से मिले थे और उन्होंने सूचित किया था कि अब श्रमिक कार्यरत यूनियनों के माध्यम से वार्ता करने को तैयार हैं। अतिरिक्त श्रमायुक्त ने मिल के टेक्निकल एडवाइजर से बात करके उनको वार्ता द्वारा समस्या से समाधान के लिए परामर्श दिया है। दिनांक 5-9-80 को लखनऊ में उभय पक्षों में मेरे समक्ष भी वार्ता हुई थी और वार्ता का क्रम जारी है।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह इस प्रदेश की औद्योगिक अशांति को बढ़ाने वाला और श्रमिकों के लिए चिन्ता का विषय है। इसमें जो वक्तव्य दिया है इसके प्रथम पैरा में है कि श्रमिक 20 प्रतिशत की दर से बोनस देने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे जिसमें नारे बाजी, प्रदर्शन आदि सम्मिलित थे। यह किस तारीख का विषय है नम्बर एक, दो आन्दोलन की नोटिस किस-किस यूनियनों के प्रतिनिधियों ने दी थी और तीसरी बात 26 अगस्त, 1980 से नोटिस लगाकर कुल 10 प्रतिशत की दर से सेवायोजकों ने बोनस देना घोषित किया था। 26, 27 नोटिस, लगाते हैं 10 प्रतिशत बोनस देने का और उसी दिन आन्दोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाले 25 श्रमिकों को निलम्बित भी करते हैं। यानी जो समझौते हुए थे उसमें अपने थोड़ी सी सद्भावना और हमदर्दी पैदा होने दी थी उसको सक्रिय श्रमिकों को निलम्बित करके खतम किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में शासन ने अपनी तरफ से क्या किया, मिल मालिकों और श्रमिकों में क्या सद्भावना पैदा हो सकी ? इन तीनों बातों का उत्तर दीजिये ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

उपाध्यक्ष जी, यह तो साधारण औद्योगिक विवाद है। बोनस के ऐसे आन्दोलन तो हर जगह उठा करते हैं। लेकिन हमारे श्रम विभाग और आपको देखना है कि जो विवाद उठते हैं उनका शीघ्र, न्यायोचित, तथा समीचीन समाधान करने के प्रयास हो रहे हैं या नहीं। मैं माननीय सदस्य, मोहन सिंह को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा स्टेटमेन्ट ठीक है, बात-चीत का कार्यक्रम जारी है। लम्बी तिथि का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह एलगिन मिल के मालिक और मजदूरों के बीच की बात है। उन्होंने ऐक्शन लिया। हम बोनस दिलाने में प्रयत्नशील हैं। जब कानून द्वारा निर्धारित दरों से ऊपर बोनस मजदूरों व मालिकों के बीच मेल मिलाप कर ही दिलाया जा सकता है।

श्री मोहन सिंह--

मेरी बात का उत्तर नहीं आया, श्रीमन्, आन्दोलन की नोटिस किसी यूनियन के प्रतिनिधि ने दी होगी जिसको मान्यता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूनियन के माध्यम से वार्ता न करके सीधे बात की। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या सब ऐसे ही अनाप-शनाप तो नहीं हो रहा है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मैंने बताया कि नोटिस देने वाले दूसरे हैं।

श्री मोहन सिंह--

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उन प्रतिनिधियों की यूनियनों के नाम क्या हैं जिनके नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा है, जिन्होंने नोटिस दी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

शायद हमारे माननीय सदस्य जानते हैं कि जितने भी मान्यता प्राप्त यूनियनें थी उन्होंने बोनस के सम्बन्ध में अपनी बात मालिक से कही लेकिन वहां के मजदूरों का यह कहना था कि हम किसी मान्यता प्राप्त यूनियन के माध्यम से बात

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं करना चाहते । हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से बात करना चाहते हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पढ़कर ऐसा लगता है कि जीवन भर तो उन्होंने मजदूरों की सेवा की है लेकिन सेवायोजकों से प्रतिनिधि बनकर यहां बोल रहे हैं । मजदूर अपनी फरियाद लेकर श्रम आयुक्त के पास पहुंच गये । पिछले साल 10 प्रतिशत बोनस मिल रहा था । इस साल उन्हें लगा कि ज्यादा बोनस के हकदार हो सकते हैं । श्रम आयुक्त ने कहा कि 8 33 प्रतिशत पर राजी हो जायें । उसके पहले मिल ने 10 प्रतिशत दिया था । अब तक क्या ऐसा बन पड़ रहा है कि मजदूरों की मांग पूरी होगी य नहीं । उनकी नोटिस में बोनस के अलावा और क्या मांगें थीं, उनकी पूर्ति हो रही है या केवल बोनस पर विचार हो रहा है ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

हमारे स्तर पर जो बात आई वह केवल बोनस के सम्बन्ध में है । मजदूर 20 प्रतिशत से कम नहीं लेना चाहते, 10 प्रतिशत मिल दे रही है । निश्चित ही वार्ता जारी है । दोनों पक्ष दो विभिन्न ठिकानों पर अड़े हैं उनके बीच संराधन के हम लोग प्रयास कर रहे हैं ।

*श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया उसी से जाहिर है कि यह सरकार मिल मालिकों के साथ पक्षपात करती है । बोनस रूल के अनुसार 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जा रहा था । मजदूर मांग कर रहे थे 20 प्रतिशत की । मान्यवर, 8.33 प्रतिशत बोनस को इनके श्रम आयुक्त कार्यालय ने मान लिया यह जानते हुए कि पिछले साल 10 प्रतिशत बोनस दिया गया था । इनके श्रम आयुक्त कार्यालय को यह दबाव देना चाहिये था कि 10 प्रतिशत तो देना ही पड़ेगा और मजदूर अगर 20 प्रतिशत की मांग करते हैं तो 20 और 10 के बीच में आ जाना चाहिये । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि मेरी वार्ता हो रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वार्ता हो रही है तो माननीय मंत्री जी ने मिल प्रबन्धकों से यह बात कही कि नहीं कि इनको 10 और 20 प्रतिशत के बीच आपको बोनस देना चाहिये ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्रम बोनस एक ऐसा कानून है जिसके अन्दर गणित दी है बोनस कलकुलेट करने की । मध्यस्थता में लगा हूं । जब तक वार्ता चलती है तब तक संभव है कि सफलता मिल जाये । स्वयं अपनी राय में नहीं देता । मैं अभी ही इस बीच में पड़ा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि 72 कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सेवा-योजकों पर इस तरह का दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि जिन्हें बिना किसी कारण के निलम्बित कर दिया गया है उन्हें पुनः लिया जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

फैक्ट्री में भाषण तो दे सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री में दफा 144 तो लगाई नहीं जा सकती। सेवायोजकों पर दबाव डालकर 72 कर्मचारियों को फिर से सेवा दिलाने का प्रयास करेंगे। तालाबन्दी समाप्त करने पर भी दबाव डालेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो बात कही, उसमें कहना है कि औद्योगिक जगत में जब लड़ाई होती है, तो मुख्य मुद्दों पर समझौता होता है। उसके बाद विक्टिमाइजेशन की बात आती है। अभी तो वार्ता हो रही है। जब तक कि वार्ता असफल न हो जाय तब तक किसी भी सत्ता को किसी भी पक्ष पर दबाव नहीं डालना चाहिये क्योंकि हो सकता है कि वे किसी निर्णय पर अपने आप पहुंच जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो, मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी शीघ्र वार्ता करने का प्रयास करेंगे कि जिससे विक्टिमाइजेशन न हो सके श्रमिकों का ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, बिल्कुल प्रयास करेंगे। जब तक मैं मंत्री हूं किसी भी मजदूर का विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। कहीं पर भी श्रम आन्दोलन के कार्य में लगे किसी भी मजदूर का अन्यायपूर्ण ढंग से विक्टिमाइजेशन नहीं होने दिया जायेगा या उत्पीड़न नहीं होने दिया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी केवल एक प्रश्न का उत्तर और दे दें। मान्यवर, 2 सितम्बर को 5-00 बजे तालाबंदी हो गयी। मान्यवर, तालाबंदी के लिये कुछ औपचारिकतायें होती हैं। तो क्या मिल के प्रबन्धकों ने या सेवायोजकों ने तालाबंदी करने के पूर्व उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया था और उसके लिये क्या शासन ने अनुमति दे दी थी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, ऐसे प्रश्नों के उठाने का सवाल वार्ता असफल होने के बाद उठा करता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिये शासन की अनुमति आवश्यक है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, उसके लिये कोई अनुमति नहीं चाहिये यदि हड़ताल हो गई हो और वह गैर कानूनी हो।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 41 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
9 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे 797 पृष्ठ पर)

संलग्नक 'क'

आरोपों के विवरण

1--टांडा परियोजना पर श्री मथुरा राय, सचिव तथा श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से सम्बन्धित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जानी तथा उस परिवार के एक भी व्यक्ति की नियुक्ति न करना जिनकी जमीन पर उक्त परियोजना का निर्माण हो रहा हैं ।

2--पावर हाउस की बाउन्ड्री वाल की नींव में कंकरी टिक कोर्स सैंड के स्थान पर लोकल सैन्ड का प्रयोग करना ।

3--लेबर सप्लाई के नाम पर हजारों रु0 का महीने में घपला करना, कागज में ज्यादा लेबर दिखाना पर वास्तव में बहुत कम लोगों द्वारा साइट पर काम करना ।

4--श्री मथुरा राय, सेक्रेट्री द्वारा अपने पुत्र की दुकान टान्डा में खुलवाकर उसके द्वारा मशीनरी सप्लाई की योजना ।

5—अधिकांश कर्मचारी व ठेकेदार ओबरा से लाना क्योंकि श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल वहां अधीक्षण अभियन्ता के पद पर रह चुके हैं।

6--श्री वाई0 बी0 सक्सेना, जे0 ई0 (इलेक्ट्रिकल) को सिविल का कार्य देना क्योंकि ये श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, प्रोजेक्ट चीफ के साथ ओबरा रह चुके हैं ।

7--श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा श्री बी0 सी0 मौर्या, अधिशासी अभियन्ता को प्रोजेक्ट का 75 प्रतिशत कार्य सौंपना क्योंकि यह श्री अग्रवाल के साथ ओबरा में रह चुके हैं।

8--इलेक्ट्रिकल के कुछ अवर अभियन्ताओं से प्रोजेक्ट का सिविल वर्क कराना क्योंकि ये सभी श्री अग्रवाल के साथ ओबरा रह चुके हैं ।

9--प्रोजेक्ट के सिविल के 3 अधिशासी अभियन्ताओं, 7 एस0 डी0 ओ0 और 25 अवर अभियन्ताओं से सिविल का काम न कराना क्योंकि वह सब श्री अग्रवाल प्रोजेक्ट चीफ के साथ ओबरा में नहीं रहे हैं ।

10--लगभग 5 लाख के खरीदे गये डीजल मोबिल के खर्चे में भारी घपला करना तथा गाड़ी का लाग बुक पूर्ण रूप से तैयार न करना ।

11--श्री अग्रवाल, प्रोजेक्ट चीफ का कार्यालय, फैजाबाद में स्थित है जबकि सारा कार्य टांडा आ चुका है, फलतः प्रोजेक्ट में उचित गति न होना।

12--श्री अग्रवाल द्वारा प्रोजेक्ट की गाड़ी को लखनऊ में पूर्व मंत्री भारत सरकार श्री राज नारायण के एक पी0 ए0 श्री के0 पी0 राय की लड़की की शादी में 10 दिनों तक सेवा के लिये देना ।

13--स्टोर डिवीजन में 110 व्यक्ति प्रतिदिन काम पर दिखलाना जबकि मात्र 60 व्यक्तियों द्वारा काम करना ।

14--प्रभावित किसानों के मुआवजे का अब तक भुगतान न करना,

15--ओबरा के 5 मस्टर रोल स्टाफ को लाकर रेगुलर नियुक्ति करना ।

16--सर्किल तक के कार्यालय टाण्डा में ही खोलना मगर भुगतान कार्यालय को फैजाबाद में स्थापित करना ।

17--सभी काम 20 प्रतिशत ऊंचे रेट पर बड़े ठेकेदारों को ही दिया जाना।

18--टांडा में खुले आम प्रोजेक्ट से सीमेंट व लोहा बिकना, प्रोजेक्ट को सीमेन्ट टांडा में पकड़े जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है ।

19--श्री मथुरा राय को जनता सरकार द्वारा विद्युत् कर्मचारियों के आन्दोलन पर उनके भ्रष्ट कार्यों के लिये हटाये जाने के 6 महीने बाद श्री राज नारायण के प्रभाव से उनको फिर वहां पर रखा गया।

शिकायतकर्ता ने श्री मथुरा राय व श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल के तुरन्त स्थानान्तरण की मांग की है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 802 पर)

घटना का संक्षिप्त विवरण

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कालीचरन, निवासी ग्राम पीरनगर मजरे सिगंतरा, थाना कुर्सी, जिला बाराबंकी ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-6-80 पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दिया था जिसके आधार पर लिखी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17/18-6-80 को सुबह करीब चार बजे थाना कुर्सी के कानिस्टेबिल श्री पाण्डेय व रावत ने जो रात्रि में ग्राम में रुके थे, प्रार्थी के भाई की बीबी श्रीमती कुन्ती से प्रार्थी के भाई बच्चूलाल के बारे में पूछतांछ की तथा न बता सकने पर मारना शुरू कर दिया। प्रार्थी के भतीजे तथा भतीजी के शोर मचाने पर गांव के लोग आ गये जिन्होंने घर के अन्दर घुसकर सिपाहियों को श्रीमती कुन्ती को मारते हुए देखा। सिपाहियों ने मारपीट कर उन लोगों को बाहर कर दिया। बाद को प्रार्थी के भतीजी, भतीजे रोते हुए निकले और कहा कि मेरी मां को सिपाहियों ने मार डाला।

अवर सचिव विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पृष्ठ 807 पर)।

ग्राम सुधार समिति के सदस्यों की सूची

1—श्री जगदेव पुत्र दुलम गमेल 2—श्री इकबाम पुत्र अबरार	थाने पर सूचना देने वाले
3—श्री उजागर पुत्र हीरा लाल धोबी 4—श्री काली चरन पुत्र दुलारे 5—श्री बच्चू लाल पुत्र गजोधर	ग्राम के लाइसेन्सदारों को आस पास के गांव वालों के लाइसेन्स दारों को सूचना देने वाले।
6—श्री जंगली पुत्र शिव राम धोबी 7—श्री बद्री विशाल पुत्र रघुवीर 8—श्री राम आसरे पुत्र गुरू दयाल 9—श्री मुमताज पुत्र कादिर 10—श्री प्रेमी पुत्र नन्हा 11—श्री मोहन लाल पुत्र गजोधर पासी 12—श्री शिव प्रसाद पुत्र राम आसरे	डकैतों के वापस जाने के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले।
13—श्री महेश प्रसाद पुत्र इकबाल शंकर 14—श्री विजय नारायन पुत्र छेदा लाल 15—श्री अजीमुल हुसेन पुत्र जहूर हसन	आग लगा कर रोशनी करने वाले।

संसद पुस्तकालय

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 807 पर)

17 फरवरी, 1980 से 9 जून, 1980 के बीच राज्यपाल के सलाहकार सर्वश्री इस्लाम अहमद तथा जे0 डी0 शुक्ल के वेतन, भत्ता, टेलीफोन आदि पर हुए व्यय का विवरण

सलाहकार का नाम	वेतन पर हुआ व्यय	यात्रा भत्ता बिल तथा रेल किराया पर हुआ व्यय	सरकारी हेली-काप्टर के ईंधन तेल पर हुआ व्यय	टेलीफोन पर हुआ व्यय	अपने विवेकाधीन कोष से दी गई धनराशि
	रु0	रु0	रु0	रु0	
1—श्री इस्लाम अहमद	4.00 (प्रतीक वेतन)	1956-30	19,642.04	9,259.70	शून्य सलाहकार के पास अपना कोई विवेकाधीन कोष नहीं था।
2—श्री जे0 डी0 शुक्ल	7,096.65	3,079.45	24,190.72	8,924.95	शून्य सलाहकार के पास अपना कोई विवेकाधीन कोष नहीं था।

अ०प्र०वि०सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर पीछे पृष्ठ 815 पर)

सीतापुर जिले के वजीरनगर स्थित स्टोर में 1-1-1980 से 31-5-1980 की अवधि में चोरी गये सामान का विवरण ।

क्रम संख्या	चोरी की तिथि व समय		चोरी गये समान का विवरण	
	तिथि	समय	समान का विवरण	मूल्य (रु०में)
1	5-1-1980	लगभग 7.30 बजे सांय	सीमेन्ट 70 बोरी	1,680.00
2	18/19-5-1980	लगभग 12.00 बजे रात्रि	(1) ए०सी०एस०आर० 'बीजल, तार 4.66 कि० मी०	8,398.80
			(2) ए० सी० एस० आर० 'रेबिट तार. 20, 255 कि० मी०	40, 510.00
			(3) एम० एस० चैनल 140 कि० ग्रा०	4,203.00
			(4) एल्मुनियम 248 अदद रिपेयर स्लीब	504.00
			(5) मिड स्पेन 84 अदद ज्वायन्ट एन्ड टरमिनल क्लिपस	430.00
			(6) एल्मुनियम 252 अदद आरकिंग हार्नस	504.00
			(7) 11 के० वी० 32 अदद डिस्क फिटिंग	320.00
			(8) सर्किट ब्रेकर 25 अदद टरमिनल कनेक्टर	500.00
			(9) डेड एंड सर्किट 110 अदद	1,100.00
			कुल योग ..	58,139.80

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 816 पर)

दिनांक 1-8-1979 से 15-6-1980 तक सचिवालय कालोनी, महानगर के बी-टाइप आवासों का आबंटन

1--श्री एन0 के0 शर्मा, अनुभाग अधिकारी, विधान सभा सचिवालय	शासनादेश संख्या आर 9629/32-79, दिनांक 30-8-79	बी-69
2--श्री ज्ञानेन्द्र नारायण, अनुभाग अधिकारी, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1	आर0 4818/32-80, दिनांक 27-5-80	बी-52
3--श्री ए0 ए0 सिद्दीकी, इंचार्ज विशेष नियमावली सेल, कार्मिक अनुभाग	आर0 4840/32-80, दिनांक 29-5-80	बी-48
4--श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य सचिव के वैयक्तिक सहायक	आर0 5094/32-80-22एच/80, दिनांक 4-6-80	बी-57
5--श्री ए0 बी0 लाल, अनुभाग अधिकारी, वित्त (बीमा) अनुभाग	आर0 5263/32-80-22एच0/80, दिनांक 7-6-80	बी-69
6--श्री गिरधारी लाल सोनकर, अनुभाग अधिकारी, उद्योग अनुभाग-11	आर0 5570/32-80-22एच/80, दिनांक 12-6-80	बी-92

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 817 पर)

लखनऊ शहर में राष्ट्रपति शासनकाल में महीनेवार व थानावार घटनाओं का विवरण :

थाना	माह	हत्या	महिलाओं के जेवरात छीनने	शर्राफा लूटने	बैंक लूटना
1	2	3	4	5	6
कैसरबाग	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	.
	जून	..	..	..	..
अमीनाबाद	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	1	..	..	..
	मई	..	..	1	..
	जून	..	..	..	..
नाका	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	2	..	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	1	..	1	..
	जून	..	..	..	..
हुसेनगंज	फरवरी	1	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	..
	जून	..	..	..	..
हजरतगंज	फरवरी	1	1	..	..
	मार्च	..	3	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	..
	जून	..	..	..	..
हसनगंज	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	2	..	..	..
	मई	..	1	..	.
	जून	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
महानगर	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	1	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	..
	जून	..	..	..	..
चौक	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	1	..	..	..
	अप्रैल	2	..	..	..
	मई	..	1	..	..
	जून	..	..	..	..
वजीरगंज	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	..	2	..	..
	मई	..	..	.	..
	जून	..	2	..	..
बाजार खाला	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	1	1	..	..
	मई	..	1	..	..
	जून	..	..	..	..
सआदतगंज	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	1	..	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	..
	जून	..	..	..	..
आलमबाग	फरवरी	1	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	..
	जून	..	..	..	..
कृष्णनगर	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	..
	जून	..	..	..	..
कैन्ट	फरवरी	..	..	..	..
	मार्च	..	..	..	..
	अप्रैल	..	..	..	..
	मई	..	..	..	..
	जून	..	..	..	..
		14	13	2	शून्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 319 पर)

द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का संलग्नक

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	पूर्ण किए गए कार्य लम्बाई कि0 मी0	शेष कार्य कि0 मी0	पूरा करने की सम्भावित तिथि
	रेउसा विकास खंड			(आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने की दशाओं में)
1	रेउसा तम्बौर मार्ग से गोलक-कोडर मार्ग	..	5.00	मार्च, '83
2	खुरलिया-किशोरगंज मार्ग (मिट्टी कार्य)	7.00	..	..
3	भिटौली-सुपौली-चन्द्रसेनी मार्ग (मिट्टी का कार्य)	12.00	3.00	अप्रैल 81
4	खुरलिया--किशोरगंज मार्ग (खड़ंजा	2.00	4.00	मई, 1981
5	रेउसा--चहलारीघाट मार्ग (मिट्टी की कार्य)	8.00	2.00	अप्रैल, 1981
6	भिटौली--सुपौली-चन्द्रसेनी रेउसा चहलारी घाट मार्ग (खड़ंजा)	..	15.00	दिसम्बर, 1981
7	रेउसा चन्द्रसेनी--रसूलपुर-भदेरसा ज्वारी-रसूलपुर-मउदापुर होते हुए थाना गांव मार्ग (मिट्टी का कार्य)	..	14.00	अप्रैल, 1981
	बेहटा ब्लाक			
1	लहरपुर--किशनपुर-शाहपुर-भटभार मार्ग	..	8.00	मार्च, 1983
2	लहरपुर--तम्बौर मार्ग	9.8	1.00	मार्च, 1981
3	बिसवा खुर्द--तम्बौर मार्ग	..	2.00	मार्च, 1983
4	बिसवा--बेहटा मार्ग (मिट्टी कार्य)	6.00	..	..
5	बिसवा--बेहटा मार्ग (खड़ंजा)	..	6.00	मार्च, 1981
6	बिसवा खुर्द मार्ग (मिट्टी का कार्य)	2.00	..	..
	सकरन ब्लाक			
1	भोलागंज--सांडा मार्ग (मिट्टी कार्य)	3 00	1.00	जून, 1981
2	भोलागंज--सांडा मार्ग (खड़न्जा)	..	2.00	मई, 1981
3	बिसवा--बेहटा मार्ग (मिट्टी का कार्य)	4.00	1.00	मार्च, 1981

पी0एस0यू0पी0--96 वि0 सभा--24-3-82---835-(पी0डी0)